केवल आंतरिक परिचालन के लिए

सेन्ट्रलाइट
CENTRALITE

खंड / Vol. 45 - 2023, अंक - 3

सितंबर / September 2023

लेखा परीक्षा

विशेष आकर्षण-
राजभाषा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

दिनांक 14 सितंबर 2023 को पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र के कर कमलों से भारत सरकार के प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ग्रहण करते हुए हमारे माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम वी राव.

सुस्वागतम

श्री महेन्द्र दोहरे ने दिनांक 09.10.2023 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रुप में कार्यग्रहण किया.

श्री महेन्द्र दोहरे ने विपणन एवं वित्त में एमबीए एवं आईआईबीएफ से कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा विभिन्न प्रमाणीकरण डिप्लोमा के साथ ही नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोशिएट मेंबर हैं. उनके पास 24 से अधिक वर्षों का विभिन्न बैंकिंग कार्यों का समृद्ध अनुभव है. वे पीएनबी काडर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रुप में भी कार्य कर चुके हैं.

.. न हि ज्ञानेन सदृशं ..

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही गृह-पत्रिका
A Quarterly House - Journal of Central Bank of India
प्रकाशन तिथि - 02.11.2023 • खंड / Vol. 45 - 2023 • अंक - 3 • सितंबर / September 2023

विषय-सूची / CONTENTS

माननीय प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश 4
माननीय कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही का संदेश 5
माननीय कार्यपालक निदेशक श्री एम. वी. मुरली कृष्णा का संदेश 6
माननीय कार्यपालक निदेशक श्री महेंद्र दोहरे का संदेश 7
संपादकीय 8
लेखा परीक्षा 9
भारत की उन्नति में बैंकिग सेक्टर का योगदान 14
लेखा परीक्षा 15
खुशियों का खजाना 18
भारत हमको जान से प्यारा है 19
लेखा परीक्षा एवं राजभाषा 21
सर सोराबजी पोचखानावाला - देश निर्माण में समर्पित एक जुझारू व्यक्तित्व 22
उम्र के साथ की एक तस्वीर 23
लेखा परीक्षा 24
माँ 26
राजभाषा 27
बैंकिग व्यवसाय का भविष्य 29
देश के सांस्कृतिक विस्तार में हिंदी की भूमिका 31
हिंदी हमारी शान है 32
लेखा परीक्षा में राजभाषा 33
संस्मरण - बैंकिंग व्यवसाय का आधार - हमारा सुमधुर व्यवहार 35
भारतीय संस्कृति 36
हिंदी है इस देश की भाषा 37
भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृतियाँ एवं राजभाषा 38
राजभाषा हिन्दी 42
Audit Functions in Bank 44
लेखा परीक्षा 49
ख़त 52
हिंदी और भाषायी विविधता 53
माननीय संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण की कुछ झलकियां 55
सेवानिवृत्ति 58

संपादक
पॉपी शर्मा

संपादक मंडल
वास्ती वेंकटेश
एस. के. गुप्ता
एस. एच. अय्यूबी
राजीव वार्ष्णेय

संपादकीय सहायक
संजय भट्ट
अनिता धुर्वे

Editor
Poppy Sharma

Editorial Board
Vasti Venktesh
S. K. Gupta
S. H. Ayubi
Rajiv Varshney

Editorial Assistant
Sanjay Bhatt
Anita Dhurve

ई-मेल / E-mail
centralite1982@gmail.com

इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं से बैंक का सहमत होना आवश्यक नहीं है.

Articles Published in this magazine does not necessarily contain views the Bank.

डिज़ाइन, संपादन तथा प्रकाशन : सुश्री पॉपी शर्मा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 001 के लिए तथा उनके द्वारा उचीथ ग्राफिक प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड. आइडियल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मथुरादास मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.
Designed, Edited and Published by Ms. Poppy Sharma for Central Bank of India, Chandermukhi, Narimanpoint, Mumbai - 400 001
Designed and Printed by him at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd. 65, Ideal Industrial Estate, Mathuradas Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.

माननीय प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियों,

सर्वप्रथम हमारे बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में अर्जित अब तक के सर्वाधिक लाभ के लिए आप सभी को बधाई देना चाहता हूं. इस तिमाही में हमारे बैंक ने ₹ 6 लाख करोड़ व्यवसाय स्तर पार कर लिया है जो एक मील का पत्थर है. यह आप सभी के निष्ठापूर्ण प्रयासों का ही परिणाम है.

बैंकिंग में मेकर और चेकर प्रणाली होती है, जहां एक व्यक्ति द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है एवं दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी जांच की जाती है ताकि गलतियों को समाप्त किया जा सके. इसके बावजूद भी बहुत भी बहुत सी गलतियाँ रह ही जाती हैं. सिस्टम में गलतियों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा करना आवश्यक है. हमें यह समझना चाहिए कि ऑडिट बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह है जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और कभी-कभी उसकी भलाई के लिए कड़वी दवाएं देता है. व्यक्ति को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी दवाओं को खाना पड़ता है अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है.

साथ ही आपको यह समझना चाहिए कि लेखापरीक्षा बैंकिंग प्रणाली का एक अभिन्न अंग होता है. लेखापरीक्षकों को आपके कार्य की जांच करनी होती है तथा हमारी गलतियों और नीतियों से विचलन का पता लगाना होता है.

जैसे ही आप लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, आपको इसे ध्यान से पढ़ना होता है और लेखापरीक्षकों द्वारा बताई कमियों में सुधार करना होता है ताकि आपकी शाखा या आपका कार्यालय एक बेहतर कार्यस्थल बन सके. लेखापरीक्षकों से डरें अथवा घबराएं नहीं, इसे अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच के रूप में लें. जिस प्रकार डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है उसी प्रकार स्वच्छ बैंकिंग प्रणाली के लिए लेखा परीक्षण भी आवश्यक है.

बैंकिंग में अब बिजी सीजन प्रारम्भ हो रहा है. बैंकर के रूप में हमें बाजार में संभावनाओं को तलाशना होगा. व्यवसाय का अधिकतम अंश पाने के लिए आपको अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने होंगे. हमें न केवल जमा और अग्रिम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी बल्कि एनपीए स्तर को भी कम करना होगा. आप सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान कीजिये, साथ ही आप हमारे उन ग्राहकों को वापस लाइये जो हमारा बैंक छोड़ कर चले गए थे. चाहे जो भी कारण हो, यथाशीघ्र अपने बैंक के पुराने गौरव को वापस पाना होगा. समर्पण के साथ कार्य करने से हमें श्रेष्ठ परिणाम अवश्य मिलेंगे और आने वाले दिनों में हम अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं.

आगामी पर्वों हेतु हार्दिक शुभकामनाओं सहित.

(एम.वी.राव)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

माननीय कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

सर्वप्रथम हमारे माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी.राव जी के कुशल नेतृत्व में सितंबर 2023 की तिमाही में आए बैंक के शानदार परिणामों के लिए मैं आप सभी सेंट्रलाइट को बधाई देता हूँ.

मैं भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए हमारे बैंक को प्रदान किए गए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए भी आप सबको बधाई देता हूँ.

किसी भी कार्य की तरह बैंकिंग के कार्य में भी गलतियाँ हो जाती है. ऐसी गलतियों को देखने का कार्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है. लेखा परीक्षा रिपोर्ट आपको अपनी गलती सुधारने का अच्छा अवसर प्रदान करती है. ऑडिट रिपोर्ट को बंद करवाना अनिवार्य होता है. जबकि रिपोर्ट को बंद करवाने के लिए सभी चूकों, कमियों को सुधारना आवश्यक होता है. इसलिए ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान पूर्वक संज्ञान में लाना चाहिए. ऑडिट रिपोर्ट में दर्शायी गयी सभी कमियों को शीघ्र दूर कर लेना बेहतर होता है.

ऑडिट व्यक्ति को नियमानुसार कार्य करने की शिक्षा देता है. जरा सा नियम भंग होना संबंधित कर्मचारी और अधिकारी को संकट में डाल सकता है. इससे बचने का उपाय है कार्य करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए. ऑडिट भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन की ओर ध्यान आकर्षित करवाता है.

इसके साथ-साथ आप आने वाले दिनों में अपने सभी लक्ष्यों को बड़े मार्जिन के साथ प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास कीजिए. बेहतर ग्राहक सेवा दीजिए, अपनी ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार करते रहिये. अपने हर ग्राहक को संतुष्ट कीजिए. किसी भी ग्राहक को शिकायत का अवसर मत दीजिए. नए ग्राहक बनाइऐ, पुराने ग्राहकों को वापस अपने बैंक से जोड़िए. एक टीम के रूप में कार्य करते हुए बैंक को आगे ले जाने का हर संभव प्रयास कीजिये.

आगामी पर्वों हेतु हार्दिक शुभकामनाओं सहित.

(विवेक वाही)
कार्यपालक निदेशक

माननीय कार्यपालक निदेशक श्री एम. वी. मुरली कृष्णा का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

आगामी पर्वों हेतु हार्दिक शुभकामनाओं सहित.

सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दूरदर्शी नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में बैंक द्वारा अब तक के सर्वाधिक लाभ एवं ₹ 6 लाख करोड़ के व्यवसाय स्तर प्राप्त करने के लिए सभी सेन्ट्रलाइट्स को बधाई देता हूं.

साथ ही हमारे बैंक द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करने के लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं.

उच्च लक्ष्य प्राप्त करना हमेशा सुखद होता है एवं उससे नए लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रेरणा मिलती है. बैंकिंग व्यवसाय में आजकल हर तरफ कड़ी प्रतिस्पर्धा है एवं बैंक को अन्य चुनौतियों के साथ- साथ वर्तमान स्थिति में ही व्यवसाय को भी आगे बढ़ाना होता है. इनमें एक प्रमुख चुनौती हमारे द्वारा किए गए कार्यों की ऑडिटिंग है. बैंकिंग जगत में अपने संस्थान को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्वयं अपने कार्य की समीक्षा व ऑडिट करते रहना चाहिए.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑडिट हमारे कामकाज की समीक्षा करता है एवं ऑडिटर्स बैंक की बेहतरी के लिए प्रणाली और प्रक्रिया के पालन का मार्ग दिखाते हैं. दैनिक बैंकिंग में बैंक कर्मचारी द्वारा कई गलतियां की जाती हैं. कई बार संबंधित अधिकारी भी इन गलतियों को सही करने में चूक जाते हैं, लेकिन ऑडिटर्स इस प्रकार की गलतियों का पता लगाते हैं. इसलिए किसी को भी ऑडिटर्स से चिंतित नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए जो निकट भविष्य में बड़ी गलती हो सकती है. याद रहे कि ऑडिट हमारी बैंकिंग प्रणाली का आंतरिक भाग है. आप सभी को जल्द से जल्द ऑ डिट क्लोज़र रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और सदैव बैंक द्वारा बताई गई प्रणाली व प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित.

(एम वी मुरली कृष्णा)
कार्यपालक निदेशक

धैर्यवान और बुद्धिमान मनुष्य के लिए शोक, विलाप और रुदन सभी अवस्थाएं त्याग देने योग्य हैं - वाल्मिकि

माननीय कार्यपालक निदेशक श्री महेंद्र दोहरे का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

बैंक की गृह पत्रिका सेंट्रलाइट के माध्यम से प्रथम बार आपसे संवाद करते हुए मैं अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं.

मेरे द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने के अवसर पर आप सभी सेन्ट्रलाइटों द्वारा किए गए उत्साहपूर्ण स्वागत से मैं अत्यंत अभिभूत हूँ और इसके लिए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ.

मैं बैंक द्वारा सितंबर 2023 के तिमाही के परिणामों में रिकॉर्ड लाभ अर्जित करने एवं ₹6 लाख करोड़ के व्यवसाय स्तर को पार करने पर अपने माननीय एमडी एवं सीईओ श्री एम.वी.राव जी के दक्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ.

मैं हमारे बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिलने पर भी आप सभी को बधाई देता हूं.

आज की बैंकिंग में आवश्यकता है कि सभी कार्मिक निर्धारित नीति निर्देशों, पद्धति प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से पालन करें. किन्हीं भी परिस्थितियों में नियमों से विचलन न हो. इसी प्रकार समय-समय पर होने वाली लेखा परीक्षा की रिपोर्टों में दर्शायी गयी कमियों को शीघ्रतापूर्वक दूर किया जाना चाहिए.

व्यवसायिक बैंक में कार्यरत होने के कारण बैंक का व्यवसाय बढ़ाना हमारा कर्तव्य है. इसके लिए आप सभी को अपनी ग्राहक सेवा को निरंतर बेहतर बनाते रहना आवश्यक है. आप अपने ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखिए. अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए और इस महान बैंक को सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने में अपना हर संभव योगदान दीजिए.

हार्दिक शुभकामनाओ सहित

(महेंद्र दोहरे)
कार्यपालक निदेशक

संपादकीय

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियों,

मैं हमारे सम्माननीय एमडी एवं सीईओ के कुशल नेतृत्व में बैंक द्वारा इस तिमाही (सितंबर 2023) में अब तक का सर्वाधिक लाभ कमाने और साथ ही ₹6 लाख करोड़ का बिज़नेस लेबल प्राप्त करने के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूं.

इसके अतिरिक्त मैं हमारे बैंक को प्राप्त भारत सरकार के प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए भी आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूं.

अभी हमारे बैंक ने सभी संवर्गों के सभी वेतनमानों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की है. इसमें सामान्य एवं विशेषज्ञ वर्ग दोनों ही सम्मिलित हैं. मैं इस पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतिभागियों को सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं.

आज की प्रतिस्पर्धी बैंकिंग में हमारे बैंक के जमा एवं ऋण दोनों ही तथा उत्पाद ब्याज दरें अत्यंत प्रतिस्पर्धी है. इसके साथ-साथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारी ग्राहक सेवा है. आप जानते ही हैं कि ग्राहकों के प्रति सद्भावनापूर्ण एवं पारिवारिक वातावरण में उन्हें अपनेपन के साथ सेवा प्रदान करना अधिक लाभप्रद होता है. सभी कार्मिकों को अपने संबंधित कार्यों में दक्षता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए. प्रत्येक कार्मिक को अपने उत्पादों की संपूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए जिससे शाखा परिसर में आने वाले ग्राहकों एवं अन्य व्यक्तियों को अपेक्षित जानकारी दी जा सके.

इसके साथ-साथ अपने परिसर एवं आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखिए. स्वयं को स्वस्थ रखिए, नियमित रुप से योग कीजिये.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित.

(पॉपी शर्मा)
महाप्रबंधक - राजभाषा

लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा किसी कंपनी या किसी संगठन की वित्तीय विवरणों जिसमें उस संगठन के बैलेंस शीट, आय-व्यय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और अन्य लेखांकन डेटा, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की वस्तुनिष्ठ परीक्षा और मूल्यांकन की संरचित पद्धति को कहते हैं, जो आमतौर पर उस संगठन के आतंरिक लेखा परीक्षक या किसी स्वतंत्र किसी बाहरी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में प्रस्तुत की गई जानकारी की जांच और सत्यापन कर वित्तीय विवरण को विश्वसनीयता प्रदान करना है कि प्रस्तुत की गई जानकारी, संदर्भित तिथि पर संगठन की सही निष्पक्ष वित्तीय स्थिति को दर्शाती है इस प्रक्रिया में यह जांचा जाता है कि व्यवसाय लाभप्रद रूप से चल रहा है या नहीं, और वित्तीय विवरण निर्धारित प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं या नहीं।

इतिहास में लेखा परीक्षा के अस्तित्व के प्रारंभिक साक्ष्य, हालांकि अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं हैं, लेकिन चीन, मिस्र और ग्रीस की प्राचीन सभ्यता में प्राचीन जाँच गतिविधियों के रूप में पाए गए हैं प्राचीन ग्रीस में पाई जाने वाली जाँच गतिविधियां वर्तमान लेखा परीक्षा के सबसे करीब प्रतीत होती हैं। पहले दर्ज लेखा परीक्षक प्राचीन फारस (522 से 486 ईसा पूर्व) के राजा डेरियस के जासूस थे जो प्रांतीय क्षत्रपों (प्राचीन फारस में एक प्रांतीय गवर्नर) के व्यवहार की जाँच करते थे।

'ऑडिट' लैटिन शब्द 'ऑडायर' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'सुनना', क्योंकि प्राचीन समय में ऑडिटर मालिकों या जिम्मेदार अधिकारियों की मौखिक रिपोर्ट सुनते थे, और रिपोर्ट की सटीकता की पुष्टि करते थे, कालांतर में लिखित अभिलेखों को सत्यापित करने की प्रक्रिया विकसित हुई। लेखांकन पर पहली पुस्तक लुका पैसिओली ने 1494 में वेनिस, इटली में व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि बहीखाता प्रणाली पर प्रकाशित की थी।

आधुनिक लेखा परीक्षा का प्रारम्भ 1844 में ब्रिटिश संसद ने संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम पारित किये जाने से हुआ जब पहली बार अधिनियम के अनुसार निदेशकों को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट के माध्यम से शेयरधारकों को रिपोर्ट करने का निर्देश आया और 1900 में नया कंपनी अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आवश्यकता हुई पहला सार्वजनिक लेखाकार संगठन एडिनबर्ग में सोसायटी ऑफ अकाउंटेंट्स था, जिसका गठन 1854 में हुआ था। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स का गठन 1887 में हुआ था, जो बाद में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एआईसीपीए) बन गया। प्रारम्भिक दौर में लेखा परीक्षा वर्ष 1930 तक लेन-देन उन्मुख थी अर्थात्, यह उन प्रक्रियाओं पर केंद्रित थी जिनका पालन लेनदेन को संसाधित करने के लिए किया जाता था और ये प्रक्रियाएँ काफी हद तक आंतरिक साक्ष्य पर निर्भर थीं।

अमेरिका में 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश जिसका कारण व्यापक भ्रामक वित्तीय रिपोर्टिंग था, के बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से संपत्ति और देनदारियों या जिसे अक्सर बैलेंस शीट ऑडिट के रूप में जाना जाता है, के बारे में साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया की अमेरिकी प्रथा विकसित हुई। 1933 और 1934 के अमेरिकी प्रतिभूति अधिनियमों ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) का निर्माण किया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों को विनियमित किया। इन कानूनों ने दुनिया भर में लेखा परीक्षा को बहुत प्रभावित किया, जिसमें वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति की निष्पक्षता पर जोर दिया गया, और लेखा परीक्षकों का कर्तव्य यह सुनिश्चित और सत्यापित करना था कि वित्तीय विवरण निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए हैं.

1970 के दशक की अवधि में लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर बहुत अधिक निर्भरता रखी थी। 1980 की शुरुआत में लेखा परीक्षकों के दृष्टिकोण में पुन: समायोजन हुआ, जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन की जगह विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का अधिक उपयोग शुरू हुआ, जिसका एक उदाहरण जोखिम-आधारित ऑडिटिंग का विकास था, जिसमें एक परीक्षक उन क्षेत्रों जिनमें त्रुटियां होने की अधिक संभावना है पर ध्यान केंद्रित करता था।

2000 के दशक की शुरुआत में वर्ल्डकॉम, एनरॉन, टायको आदि जैसे विभिन्न लेखांकन घोटाले हुए, तब, सर्बनेस-ऑक्सले अधिनियम 2002 पारित किया गया, जो प्रबंधन और लेखा परीक्षकों दोनों के लिए विभिन्न जवाबदेही प्रावधान लाया गया और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षक के कर्तव्यों को बढ़ाया। इन लेखांकन घोटालों के कारण एनरॉन घोटाले में अपनी भूमिका के कारण उस

समय की 5 बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक आर्थर एंडरसन का पतन भी हुआ। यद्यपि वर्तमान अवधि में समग्र ऑडिट उद्देश्य समान हैं, यानी वित्तीय विवरण को विश्वसनीयता प्रदान करना, विभिन्न देशों में व्यापक सुधार के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

लेखापरीक्षा के विभिन्न प्रकार

लेखापरीक्षा कंपनी और संगठनों में वित्तीय और परिचालन-रणनीतिक लक्ष्यों और अभ्यासों को निर्धारित करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संगठन नियमों और विनियमों का अनुपालन करता है या नहीं। कंपनी अधिनियम के तहत प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत सभी संस्थाओं के लिए अपने खातों का सालाना लेखापरीक्षा कराना अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षा का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं. लेखापरीक्षा के तीन मुख्य प्रकार हैं:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा : आंतरिक मामलों का यह लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि संगठन के आंतरिक संचालन नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं या नहीं। संगठन के कर्मचारियों सहित कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा कर सकता है।

   इस प्रकार के लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षक यह जांच करते हैं कि संगठन सभी आंतरिक नियामक मानकों का पालन करता है या नहीं और उचित मानदंडों और नियमों का पालन करता है या नहीं।आंतरिक लेखापरीक्षा किसी कंपनी या संगठन के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ये रिपोर्ट कंपनी के बाहर वितरित नहीं किए जाते हैं। इसके बजाय, वे प्रबंधन और अन्य आंतरिक हितधारकों के उपयोग के लिए तैयार हैं।आंतरिक ऑडिट का उपयोग प्रबंधकों को आंतरिक नियंत्रण में सुधार के लिए कार्रवाई योग्य आइटम प्रदान करके कंपनी के भीतर निर्णय लेने में सुधार करने के लिए किया जाता है। वे कानूनों और विनियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित करते हैं और समय पर, निष्पक्ष और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग बनाए रखते हैं। बाहरी ऑडिटरों को वित्तीय विवरणों की समीक्षा करने की अनुमति देने से पहले प्रबंधन टीमें कंपनी के भीतर खामियों या अक्षमताओं की पहचान करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा का भी उपयोग कर सकती हैं।

2. बाहरी लेखापरीक्षा : शेयरधारकों के नियमों और आवश्यकताओं के आधार पर, कुछ संगठनों के लिए बाहरी लेखापरीक्षा अनिवार्य हो सकती है। वार्षिक आम और निदेशक मंडल की बैठकों के दौरान सभी शेयरधारकों को बाहरी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। कुछ सूचीबद्ध स्वतंत्र पेशेवर बाहरी लेखापरीक्षा करते हैं। यदि संगठन को लगता है कि किसी चीज़ को वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अधिक दृश्यमान बनाने की आवश्यकता है, तो किसी संगठन की ओर से बाहरी लेखापरीक्षा करने के लिए एक तीसरे पक्ष को भी नियुक्त किया जा सकता है।बाहरी संगठनों और तीसरे पक्षों द्वारा निष्पादित, बाहरी लेखापरीक्षा एक निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं जो आंतरिक परीक्षक देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण गलत विवरण या त्रुटियों को निर्धारित करने के लिए बाहरी वित्तीय लेखापरीक्षा का उपयोग किया जाता है। जब कोई परीक्षक एक साफ राय प्रदान करता है, तो यह दर्शाता है कि परीक्षक यह सत्यापित करता है कि वित्तीय विवरण सटीकता और पूर्णता के साथ दर्शाए गए हैं। विभिन्न हितधारकों को ऑडिट की जा रही कंपनी के बारे में आत्मविश्वास से निर्णय ले पाने के लिए बाहरी लेखापरीक्षा महत्वपूर्ण हैं। बाहरी लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के बीच मुख्य अंतर यह है कि बाहरी लेखा परीक्षक स्वतंत्र होता है। इसका मतलब यह है कि वे आंतरिक लेखा परीक्षक के बजाय अधिक निष्पक्ष राय प्रदान करने में सक्षम हैं, जिनकी स्वतंत्रता से नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के कारण समझौता किया जा सकता है। कई अच्छी तरह से स्थापित लेखा फर्म हैं जो आम तौर पर विभिन्न निगमों के लिए बाहरी लेखा परीक्ष करती हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बिग फोर हैं - डेलॉइट, केपीएमजी, अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई), और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी)।

3. सरकारी लेखा परीक्षा : सरकारी लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि वित्तीय विवरण सटीक रूप से तैयार किए गए हैं ताकि किसी कंपनी की कर योग्य आय की राशि को गलत तरीके से प्रस्तुत न किया जा सके। कर योग्य आय को गलत तरीके से बताना, चाहे जानबूझकर किया गया हो या नहीं, कर धोखाधड़ी माना जाता है।

4. सांविधिक लेखापरीक्षा : संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए यह वैधानिक लेखापरीक्षा आयोजित करता है कि यह सभी सरकारी नियमों का अनुपालन करता है। बाहरी लेखापरीक्षा करते समय इसे बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाता है और यह कुछ वित्तीय रिपोर्टों को भी प्रदर्शित करता है। जैसे कि बैंक के विवरण, ग्राहकों की संख्या, निवेश पर कमाई इत्यादि. लेखापरीक्षा आयोजित करके, संगठन अपने हितधारकों और आम जनता के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाता है। एक फर्म को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो प्रकार के

वैधानिक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है:

टैक्स लेखापरीक्षा: भारतीय कर अधिनियम 1967 की धारा 44 AM के अनुसार, 1 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व वाले प्रत्येक व्यवसाय और 50 लाख से अधिक कमाने वाले प्रत्येक पेशेवर को टैक्स लेखापरीक्षा से गुजरना होगा। टैक्स लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्दिष्ट प्रारूप में पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 सितंबर तक जमा की जानी चाहिए। यदि आवश्यक व्यक्ति या व्यवसाय उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो टर्नओवर के 0.5 प्रतिशत के बराबर जुर्माना देना होगा।

कंपनी लेखापरीक्षा: 2013 का कंपनी अधिनियम कंपनी लेखापरीक्षा की आवश्यकताओं और विशिष्टताओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यवसाय के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा एक लाइसेंस प्राप्त विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए, भले ही उसका वार्षिक कारोबार या व्यवसाय का प्रकार कुछ भी हो।

5. वित्तीय लेखापरीक्षा : संगठन के लिए वित्तीय लेखापरीक्षा करना आवश्यक है क्योंकि शेयरधारक अपना पैसा कंपनी में निवेश करते हैं और उन्हें यह निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनके पैसे का उचित उपयोग किया जा रहा है या नहीं। लाभ कमाना कंपनी का एक उद्देश्य है, और यह संगठन के लिए एक आय है। वित्तीय लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या संगठन अपने खातों की पुस्तकों को सही ढंग से प्रस्तुत कर रहा है या कई तथ्यों को छिपा रहा है।

6. निष्पादन लेखापरीक्षा : कई कारणों से निष्पादन लेखापरीक्षा का अनुरोध किया जा सकता है। एक फर्म निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी एक का मूल्यांकन करने के लिए प्रदर्शन लेखापरीक्षा का अनुरोध कर सकती है यथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता और परिणाम, आंतरिक नियंत्रण, कुछ आवश्यकताओं का अनुपालन, संभावित विश्लेषण, परिचालन लेखापरीक्षा इत्यादि एक लेखापरीक्षक परिचालन ऑडिटिंग में किसी संगठन की प्रक्रियाओं, और प्रणालियों का विश्लेषण करता है और उनकी प्रभावशीलता, दक्षता और उत्पादकता को मापता है।

7. सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा : सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (आईटी लेखापरीक्षा) किसी संगठन के आईटी बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का आकलन करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। यह हितधारकों को सूचित करने के लिए किया जाता है कि संगठन की आईटी संरचना वर्तमान है और लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा कर सकती है।

8. कर्मचारी लाभ योजना लेखापरीक्षा : कर्मचारी लाभ योजना लेखापरीक्षा का उद्देश्य कर्मचारी लाभ योजना के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना है।

9. अनुपालन लेखापरीक्षा : अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कोई कंपनी सरकार के मानकों, नियमों और आवश्यकताओं का अनुपालन करती है या नहीं। सरकार आवश्यकताएँ निर्धारित करती है और कंपनी के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए एक लेखा परीक्षक को नियुक्त करती है।

10. पेरोल लेखापरीक्षा : पेरोल ऑडिटिंग का उद्देश्य त्रुटियों की पहचान करना, अनुपालन में सुधार करना और कंपनी को धोखाधड़ी से बचाना है। यह लेखापरीक्षा किसी आंतरिक लेखापरीक्षा या तीसरे पक्ष के लेखापरीक्षा द्वारा किया जा सकता है।

11. फोरेंसिक लेखापरीक्षा : फोरेंसिक लेखापरीक्षा के दौरान, एक फोरेंसिक अकाउंटेंट अवैध वित्तीय गतिविधियों की पहचान करने के लिए कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करता है। यदि व्यक्तियों को खाते की शेष राशि में धोखाधड़ी, चोरी, या अशुद्धियों (सकारात्मक और नकारात्मक दोनों) का संदेह हो तो किसी संगठन को फोरेंसिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

लेखापरीक्षा को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं जो लेखापरीक्षा की पद्धति को संचालित करते हैं और ऑडिट करते समय परीक्षक की भूमिकाओं और दायित्वों और स्वीकृत नियमों के निर्देशित करते हैं।

1. अखंडता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता: : लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान परीक्षक को स्पष्टवादी होना चाहिए; उसका झुकाव संगठन की ओर नहीं हो, पूरे प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए और उसकी विश्वसनीयता में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण नियम स्वायत्तता या स्वतंत्रता है, और परीक्षक को उस संगठन में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती जिसका वह निरीक्षण कर रहा है, जो उसे लगातार स्वायत्त और निष्पक्ष दिमाग रखने की अनुमति देता है।

2. गोपनीयता: परीक्षक को संगठन के संवेदनशील मौद्रिक डेटा का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। यह महत्वपूर्ण है कि वह कोई भी संवेदनशील जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को तब तक उजागर नहीं कर सकता जब तक कि यह कानूनन आवश्यक न हो। इसके अलावा, उसे अभिलेखों, प्रमाणीकरणों आदि जिसे संगठन उसके साथ साझा करता है की गोपनीयता बनी

रहनी चाहिए।

3. कौशल और योग्यता: परीक्षक को लेखा परीक्षा की रणनीतियों में कुशल, सक्षम और योग्य होना चाहिए। इसके अलावा, एक विशेषज्ञ के रूप में, उसे नवीनतम परिवर्तनों, घोषणाओं, नियमों, नई लेखांकन और लेखा परीक्षा पद्धति आदि के बारे में जागरूक और अद्यतित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जीएसटी प्रस्तुत होने के बाद, लेखा परीक्षकों को अपनी अंतर्दृष्टि को ताज़ा करने की आवश्यकता पड़ी थी।

4. दूसरों द्वारा किए गये कार्य: कभी-कभी लेखा परीक्षा का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए एक लेखापरीक्षक अपने प्रतिनिधियों, प्रतिनिधियों के अधीन काम करने वाले अन्य लोगों का उपयोग कर सकता है। चूँकि परीक्षक उसके लिए काम करने वाले इन व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी रहेगा, इसलिए लेखापरीक्षक को ऐसे काम की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु सावधानीपूर्वक ऐसे काम की निगरानी करना चाहिए.

5. लेखा परीक्षा योजना: एक लेखा परीक्षा योजना परीक्षक को अपने काम को व्यवस्थित करने की अनुमति देती है और उसे अधिक कुशल और आदर्श बनने का अधिकार देती है। प्रत्येक योजना विशिष्ट होती है क्योंकि इसे संगठन के प्रकार, उनके द्वारा संचालित व्यवसाय के प्रकार, समीक्षा की सीमा, आंतरिक नियंत्रणों की उत्पादकता आदि के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

6. दस्तावेज़ीकरण: परीक्षक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण करता है और लेखा परीक्षा योजना, समीक्षा नोटपैड, या ऑडिट फ़ाइल और एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है और महत्वपूर्ण रिपोर्टों को ट्रैक करता है, क्योंकि यह परीक्षक द्वारा पूरे किए गए कार्य का प्रमाण है।

7. लेखा परीक्षा साक्ष्य: परीक्षक को अपने अंतिम मूल्यांकन में मदद के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करना चाहिए। ऐसे प्रमाणों का यह वर्गीकरण वास्तविक और सुसंगति प्रणालियों द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रमाण के दो मूल हैं - आंतरिक और बाहरी। सबूत के बाहरी संसाधन अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं।

8. लेखा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण: परीक्षक को यह गारंटी देने की आवश्यकता है कि संगठन के रिकॉर्ड सटीक हैं और संगठन की मौद्रिक स्थिति की एक वैध और उचित छवि को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह, परीक्षक को यह गारंटी देनी चाहिए कि सभी भौतिक डेटा लेखांकन रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। आंतरिक नियंत्रण ढांचे का परीक्षण करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत कुछ तय करता है।

9. लेखा परीक्षा निष्कर्ष और रिपोर्टिंग: परीक्षक द्वारा सभी प्रमाण एकत्र करने के बाद, उसे प्रचलित मानकों के आधार पर अपना दृष्टिकोण और रिपोर्ट तैयार करना चाहिए

लेखा परीक्षा के लाभ और सीमाएँ : लेखा परीक्षा खातों की पुस्तकों की सटीकता और विश्वसनीयता को प्रमाणित करने के लिए उनका निरीक्षण करने की प्रक्रिया है और यह कंपनी, सरकार, निवेशकों, लेनदारों, शेयरधारक आदि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वे सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लेखापरीक्षित खातों पर भरोसा करते हैं। लेखा परीक्षा के फायदे और सीमाएं निम्नांकित हैं।

लेखा परीक्षा के लाभ

1. मालिकों/निवेशकों को आश्वासन : लेखा परीक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मालिकों, निवेशकों, शेयरधारकों आदि को आश्वासन प्रदान करता है। व्यवसाय के मालिकों को उनके खातों की पुस्तकों की सटीकता और विश्वसनीयता का सत्यापन हो जाता है और वे अपने विभिन्न विभागों के कामकाज और अपने व्यवसाय संचालन की समग्र दक्षता और लाभप्रदता से संतुष्ट होते हैं निवेशकों को भी लेखा परीक्षा के बाद खातों की किताबों में विश्वसनीयता मिलती है.

2. त्रुटियाँ और धोखाधड़ी की पहचान : त्रुटि वह है जो कंपनी को धोखा देने के इरादे के बिना की जाती है, यह एक निर्दोष गलती है। दूसरी ओर, धोखाधड़ी जानबूझकर की जाती है। लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान त्रुटियां और धोखाधड़ी दोनों का पता चलता है। लेखा परीक्षा से ऐसी त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलती है, और खातों में त्रुटियों और धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है।

3. स्वतंत्र दृष्टिकोण : यदि लेखा परीक्षक एक बाहरी लेखा परीक्षक है, तो व्यवसाय अपने वित्तीय विवरणों और अपनी वित्तीय स्थिति पर बाह्य निष्पक्ष राय भी प्राप्त कर सकता है। एक बाहरी लेखा परीक्षक पुस्तकों का बारीकी से निरीक्षण करेगा और उसकी राय पूरी तरह से सत्य और निष्पक्ष होगी क्योंकि उसका कोई निहित स्वार्थ नहीं है, यदि वह कहता है कि खाते सच्चे और निष्पक्ष हैं, तो कंपनी और निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

4. नैतिक जाँच : लेखा परीक्षा का एक अन्य लाभ यह है कि कंपनी

के कर्मचारी कंपनी को चोरी करने या धोखा देने की कोशिश नहीं करते हैं। वे लगातार जांच के दायरे में हैं क्योंकि उन्हें पता है कि खातों का ऑडिट किया जाएगा। ऐसे ऑडिट के दौरान किसी भी अनियमितता की पहचान की जा सकती है, और अंतत: उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को हर समय ईमानदार और जिम्मेदार बने रहने में मदद मिलती है।

5. हितधारकों का विश्वास : लेखा परीक्षा के बाद लेनदार, निवेशक, बैंक, डिबेंचर धारक आदि जैसे हितधारक अधिक आत्मविश्वास के साथ खातों की पुस्तकों पर भरोसा कर सकते हैं। और इसलिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षा के बाद, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता अधिक होती है।

6. लेखा परीक्षा जवाबदेही स्थापित करने में मदद : जैसे-जैसे व्यवसाय बढ़ता है, जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। कंपनी के वित्तीय प्रबंधकों को जब भी सत्यापित करने की आवश्यकता हो, परीक्षित वित्तीय रिपोर्टों की सहायता से ऐसी नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सकता है. इन्हें शेयरधारकों के साथ-साथ शीर्ष प्रबंधन द्वारा भी संरचित किया जा सकता है।

7. लेखा परीक्षा से वित्तीय जानकारी की पूरी समझ : लेखा परीक्षा रिपोर्ट छोटे और बड़े व्यवसायों को इसके वित्तीय जानकारी की पूरी समझ और संपूर्ण विवरण प्रदान करती है। भविष्य में यदि व्यवसाय में कोई बदलाव होता है, तो लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अपडेट करने से वित्तीय जानकारी की पूरी समझ प्राप्त हो जायेगी।

8. लेखा परीक्षा से वैल्यू और क्रेडिट रेटिंग को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है : वित्तीय विवरणों की नियमित और लगातार लेखा परीक्षा करना निवेशकों, लेनदारों और ऋणदाताओं के लिए किसी भी व्यवसाय का एक फायदेमंद हिस्सा है। यह किसी व्यवसाय की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर और बेहतर बनाने में मदद करता है।

9. लेखा परीक्षा विश्वसनीयता प्रदान करने में सहायक : स्वतंत्र लेखा परीक्षा के साथ व्यवसायों को कर अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और कंपनी निवेशकों के लिए विश्वसनीयता प्रदान करने में सहायक हो सकता है, उदाहरणार्थ, कर अधिकारी कर गणना के लिए प्रदान की गई वित्तीय जानकारी की सटीकता पर निर्भर हो सकते हैं।

लेखा परीक्षा की सीमाएँ

1. लागत कारक : बहुत गहन और विस्तृत ऑडिट एक महंगा मामला होगा। यह लागत प्रभावी नहीं है. इसलिए लेखा परीक्षक को अपने ऑडिट का दायरा सीमित और सैंपलिंग और टेस्ट चेकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना पड़ता हैं

2. समय कारक : लेखा परीक्षक आम तौर पर एक बहुत ही विशिष्ट समयसीमा पर काम करते हैं। कभी-कभी यह वैधानिक आवश्यकताओं के कारण होता है, इसका मतलब है कि उसे पूरे साल के खातों का ऑडिट कुछ ही हफ्तों में करना होगा, इसलिए अपर्याप्त समय लेखा परीक्षा की मुख्य सीमाओं में से एक है।

3. त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता नहीं चलना : लेखा परीक्षा में इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि त्रुटि पर ध्यान न जा सके और बहुत चतुराई से छिपाये गए धोखाधड़ी का पता भी नहीं चल सके। इसलिए लेखा परीक्षा से हमें अपने खातों में त्रुटियों और धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है लेकिन जोखिम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है।

4. अनिर्णायक साक्ष्य : आम तौर पर, लेखा परीक्षक जो ऑडिट साक्ष्य एकत्र करता है, वह प्रेरक प्रकृति का होता है, निर्णायक प्रकृति का नहीं। लेखांकन में अनुमानों का भी बहुत उपयोग होता है। लेखा परीक्षक इन अनुमानों की सटीकता को माप या टिप्पणी नहीं कर सकता है। इसलिए लेखा परीक्षा के दौरान ज्यादातर मामलों में कभी भी शत-प्रतिशत निर्णायक सबूत नहीं होते हैं। यह लेखा परीक्षा की प्रमुख सीमाओं में से एक है।

निष्कर्ष : लेखा परीक्षा किसी कंपनी या संगठन, वित्तीय निवेशकों, सार्वजनिक प्राधिकरण, निवेशकों, लेनदारों आदि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और वे महत्वपूर्ण व्यवसायिक निर्णयों पर निर्णय लेने के लिए विशेष रूप से लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर रहते हैं। एक अच्छी तरह से की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया से किसी भी व्यवसाय के लिए वित्तीय स्थिरता का निश्चित रूप से वास्तविक और सटीकआश्वासन प्राप्त किया जा सकता है और वित्तीय विवरणों के किसी भी गलत अनुमान/गलत विवरण से बचा जा सकता है, इसलिए आज के समय में किसी भी व्यवसाय में लेखांकन और ऑडिटिंग व्यवसाय के वित्तीय पहलुओं को व्यवस्थित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कुणाल प्रशांत
वरिष्ठ प्रबंधक (विधि)
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (दक्षिण)

भारत की उन्नति में बैंकिंग सेक्टर का योगदान

भारत अपनी स्वाधीनता के 77 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, पिछले 76 वर्षों की इस विकास यात्रा में देश के बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है . स्वाधीनता के पश्चात देश में बैकों के विस्तार को भी गति मिली,आज़ादी के समय जहाँ बैंकों की लगभग 5000 शाखाएं थीं वहीं आज सरकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, स्माल फाइनेंस बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और विदेशी बैंकों की कुल मिलाकर लगभग 1 लाख 42 हजार से भी अधिक शाखाएं कार्यरत हैं. आज देश के अति सूदूर क्षेत्रों में भी बैकिंग सेवाओं की आमजन तक उपलब्धता देखी जा सकती है तथा हर नागरिक को बैकिंग सुविधाओं का लाभ मिल रहा है. देश के बैकिंग सेक्टर ने कृषि, उद्योग, सड़क, बिजली, दूर-संचार, शिक्षा एवं रियल एस्टेट आदि क्षेत्रों के विकास में भरपूर योगदान दिया है,जिसके कारण देश का चहु:मुखी विकास संभव हो सका है. 2008-09 के बीच वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी भारतीय बैंकिग़ प्रणाली की सुदृढ संरचना के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का नगण्य प्रभाव देखा गया.

हमारे देश की बैकिग प्रणाली ने निम्नलिखित प्रमुख कार्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण को गतिशीलता प्रदान की है -

- कृषि, लघु उद्योग, व्यापारिक उद्यम, रियल एस्टेट आदि जैसे विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को धन उपलब्ध कराकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है.
- बैंकिंग क्षेत्र ने विदेशों में शाखाएँ स्थापित करके उन देशो के साथ मजबूत संबंध विकसित करके व्यवसाय विकास में बहुत मदद की है, साथ ही विभिन्न स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक घरानों को भुगतान सुविधाएँ प्रदान करके व्यापार और वाणिज्य को भी सुविधाजनक बनायाहै
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रदान करके लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. यह लोगों को अपना पैसा बचाने और इसे विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने में मदद करती है.
- नकदी प्रबंधन के माध्यम से त्वरित नकदी और धन हस्तांतरण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है.
- बैंकों ने वितीय समावेशन के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में बैंकिग की सुविधा को सुलभ बनाया है जनधन योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 42 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गये हैं,. इसी प्रकार सरकार की विभिन योजनाओं जैसे- अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना आदि को भी जन जन तक पहुँचाने में बैंकिग क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है.
- आम जनता के लिये बैंकों ने कार, घर एवं निजी ऋण की सुविधा प्रदान की है जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखा गया है साथ ही देश को आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने में भी मदद मिल रही है, देश में अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार भी बैंकिंग प्रणाली के कारण ही संभव हो रहा है.

बैंकों ने अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर बैंकिग सुविधाओं को त्वरित एवं सुरक्षित बनाया है. ग्राहक, इंटरनेट / ऑनलाइन बैंकिंग आदि का प्रयोग कर बैंकिग सुविधाओ का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. ऑनलाइन बैंकिंग, ग्राहकों को उनके नेट बैंकिंग खाते से वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करती है. इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है कि कोई भी व्यक्ति घर या कार्यालय या कहीं से भी से बैंक सुविधा का लाभ उठा सकने मे सक्षम है. इंटरनेट बैंकिंग एक और जहाँ बैंकिग को आसान बनाती है वहीं इसमें जोखिम की भी काफी संभावनायें हैं. ग्राहकों के हितों एवं उनके धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये, बैंक एक सुरक्षित नेटवर्क के जरिये लोगो को सुविधा प्रदान कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को संभावित जोखिम से बचाया जा सके. आज लोग इंटरनेट/आंनलाइन बैंकिंग को अपना रहे हैं एवं भारत में इंटरनेट बैंकिग सेवा का इस्तेमाल करने वाले की कुल संख्या दुनिया के कई देशों से काफी आगे है.

भारतीय बैंकिंग प्रणाली भारत की अर्थव्यवस्था एवं साथ ही देश के के विकास में एक बड़ी भूमिका निभा रही है. आज़ादी के बाद जहां बैंकिग प्रणाली ने छोटे किसानों एवं मजदूर वर्ग के लोगों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करने में योगदान दिया वहीं किसानों एवं उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराके देश को खाद्यान्न उत्पादन एवं औद्योगिक क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने में भी मदद की. आर्थिक आज़ादी की दिशा में हमारे देश की बैंकिग प्रणाली का योगदान उल्लेखनीय है एवं आशा है हमारी बैंकिग प्रणाली देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने भी मद्दगार साबित होगी.

अरविन्द कुमार त्रिपाठी
वरिष्ठ प्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर

बड़े बढ़ाई न करे, बड़े न बोले बोल.

लेखा परीक्षा

भारत में लेखा परीक्षा एवं व्यवसाय का इतिहास व विकास: हैरी इवान्स का मत है कि अंकेक्षण के संगठित रूप में विकास का सूत्रपात कम्पनी के प्रादुर्भाव के साथ हुआ है लेकिन जिस रूप में आज देखने को मिलता है पहले वह रूप नहीं था। अंकेक्षण का इतिहास एवं भारत में लेखा व्यवसाय का विकास निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है :

प्राचीन काल- अंकेक्षण शब्द, ऑडिट से बना है। यह शब्द लेटिन भाषा के 'अडायर' शब्द से लिया गया है जिसका सही अर्थ है सुनना। शुरू में अंकेक्षण सिर्फ सुनने से ही सम्बन्धित था। उन दिनों व्यक्ति अपने लेखे किसी न्यायाधीश को सुनाते थे जो कि सुनकर अपनी राय देता था कि लेखे सही हैं या नहीं। यह प्रथा यूनान, रोम इत्यादि के साम्राज्यों में प्रयोग की जाती थी जिसका प्रयोग सार्वजनिक संस्थाओं एवं राजकीय बही खातों की जाँच हेतु किया जाता था।

भारतीय कम्पनी विधान 1913 - भारत में भी सार्वजनिक कम्पनियों के लेखों का अंकेक्षण, भारतीय कम्पनी विधान, 1913 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। इससे पूर्व कम्पनियाँ अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधान अपने अन्तर्नियमों में कर लिया करती थीं। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी- प्रान्तीय सरकारों में सर्वप्रथम मुंबई सरकार ने सन् 1918 में लेखाशास्त्र तथा अंकेक्षण के क्षेत्र में डिप्लोमा देने की व्यवस्था की। इसके अन्तर्गत लेखा व्यवसाय में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक योग्यता परीक्षा पास करना जरूरी था तथा किसी मान्यता प्राप्त लेखापालक के अधीन तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था।

भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना, 1949- श्री सी. सी. साई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर अप्रेल 1949 में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट एक्ट पास हुआ, जो 1 जुलाई 1949 में लागू किया गया तथा जिसके माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान का सदस्य ही एक योग्यता प्राप्त अंकेक्षक कहलाता है जिसे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट कहते हैं। इससे पूर्व प्रान्तीय सरकारों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर अभी भी अंकेक्षक हैं, उन्हें सर्टिफाइड ऑडिटर्स कहते हैं।

लेखा परीक्षा का परिचय - लेखा परीक्षा का मोटे तौर पर यह उद्देश्य है करदाता के वित्तीय हितों की सुरक्षा करना और नियम तथा आदेश उचित रूप मे लागू करना हैं। अंकेक्षण से आशय लेखो की सत्यता की जांच करना होता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे सही रूप से संबंधित सौदे के लिए किए गए है कि लेखा परीक्षा का सबसे व्यापक अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, तन्त्र, प्रक्रिया, परियोजना या उत्पाद का मूल्यांकन करना है। लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की जाती है कि दी गयी सूचना वैध एवं विश्वसनीय है। इससे उस तन्त्र के आन्तरिक नियन्त्रण का भी मूल्यांकन प्राप्त होता है। लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि लेखा परीक्षा के बाद व्यक्ति/संस्था/तन्त्र/प्रक्रिया के बारे में एक राय या विचार व्यक्त किया जाये। वित्तीय लेखा परीक्षा की स्थिति में वित्त सम्बन्धी कथनों को सत्य एवं त्रुटिरहित घोषित किया जाता है यदि उनमें गलत कथन न हों। लेखा परीक्षा मुख्यत: किसी कंपनी या वाणिज्यिक संस्था के वित्तीय रिकार्डों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये की जाती थी। किन्तु आजकल ऑडिट के अन्तर्गत अन्य सूचना सम्मिलित की जाने लगी हैं। प्राचीन काल में व्यापार बहुधा बहुत छोटे पैमाने पर होता था। लेखा व्यवसाय की उन्नति वास्तव में व्यापार के विकास के साथ-साथ हुई जब कम्पनी के रूप में व्यापार करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। इसी के साथ ब्रिटिश कम्पनी अधिनियम में 1844 में अंकेक्षण को भी वैधानिक मान्यता मिली। प्रारम्भ में कम्पनी अपने सदस्यों में से किसी को भी अंकेक्षक नियुक्त कर सकती थी, बाद में योग्य व स्वतंत्र अंकेक्षक नियुक्त करने हेतु 11 मई 1880 को ब्रिटेन में चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान की स्थापना हुई।

अंतर्राष्ट्रीय लेखा आन्दोलन, 1973- एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना की गयी। इस समिति की पहली बैठक डसेलडर्फ में 26 तथा 27 अप्रैल 1973 को हुई। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैण्ड, भारत, मेक्सिको, यूके, फिलीपि, जर्मनी और यूएसए के लेखांकन पेशे के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समिति ने उस समय जापान को भी अपना सदस्य बनाना तय किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय समिति के अधीन लेखामानक समिति भी है जो कि संसार में लेखांकन के सम्बन्ध में मानकों का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की सरकारों से मानक लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

लेखापरीक्षा का अर्थ व परिभाषा -

विभिन्न लेखकों के अनुसार अंकेक्षण की परिभाषाएँ इस प्रकार है :

1. एफ आर एम डी पौला- अंकेक्षण का अर्थ चिट्ठा तथा लाभ-हानि खाते और उनसे सम्बन्धित पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणों की जाँच करने से है ताकि अंकेक्षक अपने आपको सन्तुष्ट कर सके और ईमानदारी से यह रिपोर्ट दे सके कि चिट्ठा नियमानुसार बनाया गया है और व्यापार की सही तथा ठीक स्थिति को प्रकट करता है जैसा कि सूचनाओं, स्पष्टीकरणों एवं पुस्तकों के आधार पर देखा गया है जो उसे मिली हैं।

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कह सकते है कि अंकेक्षण किसी व्यापारिक संस्था की हिसाब-किताब की पुस्तकों की विशिष्ट एवं विवेचनात्मक जाँच है, जो एक योग्य तथा निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा संस्था से प्राप्त प्रमाणों, प्रपत्रों सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों की सहायता से की जाती है, जिससे कि अंकेक्षक एक निश्चित समय के लिए बनाये हुए हिसाब-किताब के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट दे सके।

'भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG-कैग) संभवत: भारत के संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए।'

- डॉ. भीम राव आम्बेडकर

भारत के वर्तमान नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू है।

महालेखाकार की पृष्ठभूमि -

महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखापरीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत महालेखापरीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय ढाँचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिये प्रावधान करके महालेखापरीक्षक के पद को और शक्ति दी। इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था और भारत के महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी। वर्ष 1936 के लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया। यह व्यवस्था वर्ष 1947 तक अपरिवर्तित रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखापरीक्षक नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया।

लेखा परीक्षा की विशेषताएँ -

संस्था- अंकेक्षण किसी भी संस्था (सरकारी, गैर-सरकारी, व्यापारिक तथा गैर-व्यापारिक) के हिसाब-किताब का किया जा सकता है।

स्वतन्त्र व्यक्ति- अंकेक्षण कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसका व्यापार अथवा संस्था से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न हो। तभी निष्पक्ष जाँच संभव है। अत: वर्तमान में चार्टर्ड लेखापाल की नियुक्ति की गई है।

जाँच का स्वरूप- अंकेक्षण द्वारा की गयी जाँच सिर्फ गणित से सम्बन्धित शुद्धता को ही प्रकट नहीं करती बल्कि यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण निष्पक्ष जाँच है जो हिसाब की पूर्ण शुद्धता दर्शाती है।

लेखा पुस्तकें- अंकेक्षण में लेखा-पुस्तकों की जाँच होती है। अंकेक्षक को अपना कार्यक्षेत्र सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित नहीं करना होता है बल्कि अन्य वैधानिक पुस्तकें तथा विभिन्न तथ्यों की जानकारी भी रखनी होती हैं।

सूचना एवं स्पष्टीकरण- जाँच का आधार प्रमाणक ही होता हैं फिर भी अंकेक्षक यादें प्रमाणक से सन्तुष्ट नहीं है तो लेन-देनों का सत्यापन करने के लिए सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण माँग सकता है।

जाँच का उद्देश्य- लेखा-पुस्तकों की जाँच का उद्देश्य एक निश्चित अवधि में बनाये गये लाभ-हानि खाते के परिणामों को एवं एक निश्चित तिथि को चिट्ठे में दर्शाये गये सम्पत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन करना है तथा सन्तुष्टि पर प्रमाण-पत्र देना होता है। वास्तव

में अंकेक्षक को अन्तिम खातों की जाँच पर अपनी राय प्रकट करनी होती है।

अवधि- अंकेक्षण साधारणत: एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा वर्ष के लेखों का किया जाता है। यदि एक से अधिक वर्ष के लेखों का अंकेक्षण किया जाता है तो यह जाँच अनुसन्धान कहलाती है।

परिणाम- लेखों की जाँच के बाद इसकी सत्यता व औचित्य के विषय में रिपोर्ट देनी होती है। यदि अंकेक्षक किसी बात से असन्तुष्ट है तो इसका वर्णन स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में करता है।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 148 CAG (कैग) की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार (CAG की सलाह पर) रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। अनुच्छेद 279- 'शुद्ध आय' की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाणपत्र अंतिम माना जाता है। तीसरी अनुसूची- भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा IV भारत के CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है।

एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने/इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता। CAG भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़ी है। अन्य कड़ियों में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग शामिल हैं। कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न (कम) नहीं की जा सकतीं। उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं। CAG के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।

कैग (CAG) के कार्य और शक्तियाँ -

CAG को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे-

- संविधान का अनुच्छेद 148 से 151
- नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971
- महत्त्वपूर्ण निर्णय
- भारत सरकार के निर्देश
- लेखा और लेखा-परीक्षा विनियम, 2017

CAG भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ- हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्तपोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय-व्यय का परीक्षण करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किये जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे- कोई स्थानीय निकाय।

चुनौतियाँ तथा अवसर -

- वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना आसान नहीं है।
- CAG की नियुक्ति के लिये कोई मानदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है।
- इसके अलावा ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण

दस्तावेज़ों की आपूर्ति ऑडिट प्रक्रिया के अंत में की जाती है।

- RTI अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों के एक महीने के भीतर जानकारी प्राप्त करने के अधिकार की तरह ऑडिटरों को भी सात दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर रिकॉर्ड उपलब्ध किये जाने चाहिये। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित विभागों के प्रमुखों को इसकी वज़हों को स्पष्ट करना चाहिये।
- वर्ष 2015 में संसद और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने लोक लेखा समिति के अखिल भारतीय सम्मेलन में CAG की पूर्ण स्वायत्तता और लोक लेखा समिति का सदस्य बनाए जाने पर चर्चा की, जैसा कि UK और ऑस्ट्रेलिया में होता है।
- IT एक्ट की तर्ज पर IA & AD को सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता देने और शक्तियाँ प्रदान करने से ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा IA & AD के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्यों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

तौर-तरीकों में बदलाव की ज़रूरत -

हाल ही में, कुछ ऑडिट के दौरान नुकसान के बढ़े हुए अनुमानों या बाहरी आँकड़ों के कारण CAG की आलोचना हुई है। इस तरह के आरोपों से बचने के लिये CAG को कठोर मानकों का पालन करना चाहिये ताकि ऑडिट की अखंडता बाहरी विचारों से प्रभावित न हो। सरकारी धन और सार्वजनिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकने के लिये CAG को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करने चाहिये। CAG को सतत विकास लक्ष्यों का ऑडिट करने और GST के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जाँच के लिये तैयार किया जाना चाहिये। बिग डेटा क्रांति के मद्देनज़र CAG ने वर्ष 2016 में बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ काम किया तथा दिल्ली में डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के लिये एक केंद्र भी स्थापित किया। CAG ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया, जिसमें विविध जटिल कार्य शामिल थे। यह भारत के CAG की विश्वसनीयता को दर्शाता है।

उपसंहार - लेखांकन का उद्देश्य तभी सफल होता हैं जबकि वे विश्वसनीय हों। लेखांकन विवरणों की विश्वसनीयता को अंकेक्षण सुनिश्चित करता हैं। आज के आर्थिक परिवेश में, सूचना व जवाबदेही की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। परिणामस्वरूप एक संस्था के वित्तीय विवरणों का निष्पक्ष अंकेक्षण, निवेशकों, लेनदारों व अन्य सहभागियों की एक महत्वपूर्ण सेवा है।

श्री नीरव सिंह
वरिष्ठ प्रबन्धक, लेखा परीक्षा विभाग
आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़

खुशियों का खजाना

ढूंढता है कहां देख अपने अंदर
छुपा है कहां खुशियों का खजाना

वह बचपन की निश्चल हंसी
बढ़ते कदमों के साथ कहां छुपी
ढूंढता रहा तू पर वह जादू
यही थी तेरे में छुपी

जवानी की उच्चारणता को
बचपन की अटकेलियों को
कहां ढूंढता है देख अपने
भीतर कहां है छुपा रखा

हे प्रबल दृढ़ता है कहां
खुशियों का खजाना और
प्रभु को दोनों है छुपे देख
तेरे ही भीतर खोल जरा

खुशियां बांट जहां में छुपा रखी
जो अपने अंदर बांटने से बढ़ती है
सदा यह खुशियों का खजाना ढूंढता है
भौतिक वस्तुओं में छपी है यह सदा
तेरे अंदर आओ हो स्वच्छंद छोड़
उन्हें आज आसमान में गुब्बारों की तरह

श्री विजय सक्सेना
सहायक महाप्रबंधक
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय

भारत हमको जान से प्यारा है ....

भारत की प्रतिज्ञा और उसकी महानता - बचपन में हमने किताबों के प्रथम पृष्ठ पर एक प्रतिज्ञा जिसमें 'भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे भाई-बहन हैं......' को देखते, कहते, सुनते और पढ़ते आए हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में लिए हुये हम बड़े हुये, जिससे हमारें नस-नस में मेरा देश, मेरा भारत समाया हुआ है क्योंकि मेरा भारत देश एक महान देश है। इसके बहुत से नाम हैं। इसे हम हिन्द, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से भी पुकारते हैं। भारत देश एक बड़ा देश होने के नाते सभी देशों से महान इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहते हैं। हमारे देश पर आने वाली किसी भी आपदा का सभी लोग मिलकर सामना करते हैं। किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई आपदा आती है तो सभी लोग उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत देश के कण-कण में प्रेम बसा हुआ है। हम ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी भारत देश की एकता की मिसाल देते हैं। इस सुंदर देश की सुबह कोयल की कूक से होती है, चिड़ियों की चहचहाट हमारा मन मोह लेती है। नाचता हुआ मोर सुनहरा लगता है और इन सबके साथ ही एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है। हमें प्रकृति बहुत ही आकर्षित करती है। हमारे देश में चारों तरफ हरियाली का वातावरण है। हमारा भारत देश सच में महान है क्योंकि कई सदियों से बहुत से देशों और विदेशियों ने अपनी ताकत से हमें गुलाम बनाया है। गुलाम होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगो में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी हमारे देश की मिट्टी की खुशबू उतनी ही सुगंधित है। किसान आज भी खेतों में मेहनत करते हुये दिखाई देते हैं। हर साल हमारे भारत देश में त्यौहार बड़े धूमधाम से एक साथ मिल-जुल कर मनाए जाते है। भारत में खुशियाँ एक साथ बांटते है और एक-दूसरे से प्रेम-भाव रखते हैं।

मेरा भारत देश महान क्यो है? : मेरे भारत देश में सालों से अनगिनत परम्पराएँ चली आ रही हैं। मेरा भारत देश वीरता, संस्कृति और हर सभी परिस्थितियों में आगे हैं। भारत देश में बहुत से प्रतापी योद्धाओं ने जन्म लिया है। देश भले ही संकट के समय परेशान रहा हो परंतु योद्धाओं ने हर तरीके से अपना योगदान दिया हैं। मेरा भारत देश कृषि प्रधान देश है, मेरे भारत की संस्कृति अनोखी है, मेरे भारत देश ने कानून, न्याय, विज्ञान के और पौधों के क्षेत्र में बहुत तरक्की की हैं। मेरा भारत देश कम्प्यूटर युक्त देश है, मेरा भारत यहाँ की नदियों और राज्यों के लिए महान हैं।

कृषि प्रधान देश - मेरे भारत को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हर साल बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। हर साल आने वाली ऋतु के बदलाव में अलग-अलग फसलों को देखने का मौका मिलता है। भारत देश में हर तरह के अनाज मिल जाते हैं जैसे गेहूं, मकई, बाजरा, जो, दाल आदि। मेरे भारत में होने वाली खेती का मूल सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से चला आ रहा है। यहाँ पर लगभग 51% भाग में खेती की जाती है। कुल 52% लोग खेती पर अपनी आजीविका चला रहे हैं। भारत देश को हरित क्रांति के

बाद अधिक अनाज पैदा करने के लिए जाना जाता है। भारत में उगने वाला अनाज केवल भारत देश के लिए ही नहीं बल्कि यह अन्य देश-विदेशों के लिए भी अनाज उगाता है ताकि सभी देशों में अनाज भेजा जा सकें।

देश की संस्कृति - भारत की संस्कृति में एकता बहुत सी जगहों पर दिखाई देती है। यहाँ की संस्कृति बहुत अनोखी है। भारत देश की संस्कृति देश में सभी जगहों पर लागू होती हैं। लोग आज भी हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हमारी संस्कृति ने बहुत से देशों को आकर्षित किया है। भारत देश की संस्कृति देखने के लिए दूर-दूर के देशों से लोग भारत में आते है। भारत ने विश्व के नक्शे में बहुत ही रंगीन और अनोखी संस्कृति की छाप छोड़ी हैं। मेरा भारत देश मुग़ल काल एवं ब्रिटिश साम्राज्य जैसे वंश तक भारत के परंपरा और अतिथि सत्कार के लिए प्रशंसक है। जिन्होने मेरे भारत देश पर कई साल तक राज किया है। कूटनीति की वजह से ही मेरे भारत में अनेकता में भी एकता दिखाई देती है और इसीसे देश मजबूती से बंधा हुआ है। भारत बहुत सी संस्कृति और कला-शिल्प संगीत के लिए जाना जाता है। हमारे देश दूसरे देश के लोगों को मिलने वाले सत्कार के लिए भी जाना जाता है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति अन्य देशों की संस्कृति से बहुत अलग है।

भारत देश का कानून - हर देश में अपने-अपने कानून होते है। कहीं पर कठोर होते हैं तो कहीं पर राहत देने वाले। कहीं पर बिना सोचे समझे जल्दबाज़ी में कानून फैसला सुना देता है। परंतु भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का आचरण साधारण हैं। सभी लोगों के लिए कुछ नियम बनाये गए हैं जिसका पालन देश का हर एक नागरिक करता है। हमारे देश का कानून सख्त भले ही हो परंतु बहुत ही न्याय-पूर्ण हैं। देश में कानून का पालन नहीं करने वाले लोगों को दंड दिया जाता है। भारत देश एक लोकतान्त्रिक देश है। देश में सभी के लिए कानून एक समान हैं जो व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है, उन अपराधों के लिए उसको सजा दी जाती है। यह सजा सभी के लिए एक समान होती है। हमारे देश के कानून का पालन करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है और देश के नागरिक इसे अपनी निष्ठा से पूरा करते हैं।

विज्ञान क्षेत्र में भारत देश - भारत देश ने लगभग सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। भारत शिक्षा, कला, संस्कृति के क्षेत्रों में दो कदम आगे ही रहा है। इसके साथ भारत देश के महान होने का कारण विज्ञान क्षेत्र में तरक्की करना भी है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत विकास किया है। लगभग सभी देशों में विज्ञान ने बहुत से वस्तुओं की खोज की हैं, जिसमें हमारे देश का नाम गर्व से लिया जाता है। हमारे देश का वैज्ञानिक जिसने हमारे देश को महान बनाने में सहायता की है। जैसे - सी वी रमन, जगदीश चन्द्र बसु, श्रीनिवास रामानुजन आदि और भी बहुत से वैज्ञानिक हैं, जिन्होने भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान इन सभी क्षेत्रों में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हैं।

मेरा भारत और हिमालय - भारत देश में सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है। हमारे देश में हिमालय ने बहुत सी नदियों को जन्म दिया हैं। यह नदियां शुद्ध और पवित्र जल से भरी हुई कई नदियां हैं। इन नदियों को पूजनीय माना जाता हैं। यहाँ पर भांति-भांति के लोग रहते हैं जो हर राज्य में निकलने वाली नदियों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज नदियों के कारण हमारे देश ने बहुत से देशों को अपने साथ जोड़ा है। भारत देश से निकलने वाली नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, सतलज आदि हैं। कुछ नदियों ने देश को खनिज पदार्थ देने में अपना योगदान दिया हैं। इन नदियों ने खनिज को अपनी गोद में समेटे हुये रखा है। कश्मीर, नैनीताल, शिमला, कुल्लू-मनाली आदि राज्यों ने हमारे देश को चार चाँद लगाए हैं। इनकी प्राकृतिक सुंदरता किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं।

भारत के शूर-वीर - भारत देश की महानता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत से शूरवीरों ने जन्म लिया हैं। भारत में पैदा हुये कुछ ऐसे भी शूरवीर हैं जिन्होंने भारत की रक्षा की हैं। बहुत से शूरवीरों ने भारत की रक्षा करते हुये अपनी जान तक न्यौछावर कर दी हैं। ऐसे शूरवीरों को हमारे देश में आज भी याद किया जाता हैं। इनमें से महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चन्द्रशेखर आज़ाद जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया और इसी देश की मिट्टी में अपने प्राण त्याग दिये।

निष्कर्ष - मेरा भारत देश इसलिए भी महान है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता ने जन्म लिया था। हमारे स्वतंत्रता-सेनानियों ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। मेरे भारत ने करोड़ों संतानों को अपने दिल से लगाया हैं। मेरे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है, राष्ट्र-गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय चिन्ह तुला जो राष्ट्रीय न्याय का प्रतीक है। मेरे भारत देश के लिए जितना लिखा जाये, उतना कम है, जितना कहा जाए उतना कम ही है। यह पहले भी सोने की चिड़िया कहलाता था परंतु अंग्रेजों ने इसे लूट कर बर्बाद कर दिया फिर भी भारत देश अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से आज भी हमारी शान बना हुआ है।

सुश्री सोनिया आनंद
सहायक प्रबन्धक,
ऋण विभाग, आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़

लेखा परीक्षा एवं राजभाषा

लेखा परीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सरकारी और निजी क्षेत्र में लेखा और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है। इस परीक्षा का एक विशेष आकर्षण है - राजभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका।

राजभाषा का मतलब होता है उस भाषा का उपयोग करना जो किसी राज्य या क्षेत्र में अधिक उपयोग में होती है, और यह भाषा वहाँ की सांस्कृतिक और भाषिक भूमिका को प्रकट करती है। लेखा परीक्षा में राजभाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि सरकारी दस्तावेजों को राजभाषा में तैयार करने और समझने की आवश्यकता होती है।

लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार सरकारी विभागों में लेखा अधिकारी या कर्मचारी के पदों के लिए चुने जा सकें, और इस प्रक्रिया में राजभाषा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए होती है जो सरकारी विभागों में अपने लेखा और वित्तीय कौशल का प्रदर्शन करने के इच्छुक होते हैं।

इसके अलावा, राजभाषा का ज्ञान लेखा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे सरकारी दस्तावेजों को उनकी मातृभाषा में समझ सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। यह राजभाषा के अधिक से अधिक प्रयोग की भी बढ़ोतरी करता है, जिससे सरकारी विभागों में अधिक भाषाई समर्पण होता है।

लेखा परीक्षा में राजभाषा का ज्ञान उम्मीदवारों के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह उन्हें सरकारी विभागों में राजभाषा के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनके करियर के अवसर बढ़ते हैं। राजभाषा का ज्ञान लेखा परीक्षा में सफलता पाने में भी मदद करता है क्योंकि यह उम्मीदवारों को समझदारी से सरकारी विभागों के आवश्यक नियमों और प्रक्रियाओं को आवश्यक रूप से पालन करने में मदद करता है।

राजभाषा के माध्यम से लेखा परीक्षा में यथासंभव उम्मीदवारों को लाभ पहुंचता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी दस्तावेजों का अनुभाग वे स्पष्टता से समझ सकते हैं। इसके साथ ही, यह उनके करियर को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि वे सरकारी नियोक्ताओं के लिए अधिक प्राधिकृत होते हैं।

लेखा परीक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह राजभाषा को प्रोत्साहित करता है और विकसित करता है। एक राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के लिए उसकी भाषा का महत्व अत्यधिक होता है, और लेखा परीक्षा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देती है। इस प्रकार, यह सभी के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंत में, हम कह सकते हैं कि लेखा परीक्षा और राजभाषा दोनों ही सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया और दिशा हैं। राजभाषा का ज्ञान उम्मीदवारों के लिए उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से हम सरकारी क्षेत्र में अधिक भाषाई समर्पण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

इसलिए, लेखा परीक्षा और राजभाषा दोनों ही हमारे देश के सरकारी सेवा में योगदान करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सरकारी विभागों में शिक्षित और प्रतिष्ठित लोग काम करते हैं, जो अपने कार्य में सर्वोत्तम भाषा कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं।

निखिल जैन
सहायक प्रबंधक-आई टी
क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया

सर सोराबजी पोचखानावाला - देश निर्माण में समर्पित एक जुझारू व्यक्तित्व

आद. सर सोराबजी पोचखानावाला, जिनका जन्म सन 1881 मे हुआ और मात्र 55 साल की आयु मे साल 1937 मे उन्होने अंतिम सांस ली, उनके प्रति हम आज नतमस्तक हो उन्हे अहोभाव से याद करते है. मात्र सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक सदस्य, केवल इस नाते ही नहीं बल्कि जो भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति, सेनानियों के प्रति श्रद्धा भाव रखते है, वे इस बात को बिना किसी विवाद के मानेंगे की 1911 मे भारतीयों का भारतीयों द्वारा भारत की जनता के लिए और भारत की ही पूंजी के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण का कार्य किसी भी महान स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं.

'1881-1937' इस समय को आप जरा गौर करे. 1885 मे काँग्रेस का गठन हुआ था. क्रांतिकारियोंका आक्रोश चरम सीमा पर था और जन मानस मे ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष गहराया था.

स्वदेश की, स्वावलंबी एवं स्वतंत्र भारत की आकांक्षाओं की जड़े जोर पकड़ने लगी थी.

सोराबजी पोचखानावाला 1897 मे मैट्रिक पास कर चार्टर्ड बैंक मे क्लर्क की नौकरी मे शामिल हुए. उनके वर्तमान परिस्थिति की वह मांग थी क्योंकि महज 6 साल के आयु मे उन्होने पिता का छत्र खोया था और उनके बड़े भाई अपनी 2 बहने और सोराबजी की परवरिश का बोझ किसी तरह ढो रहे थे.

अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट, वे बैंकिंग की परीक्षाये कड़ी मेहनत से पास करने लगे. लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का सीएआईबी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे. ये परीक्षाये पास करने वाले व्यक्ति को स्पेशल बोनस के तौर पर 5 पाउंड्स और 10 पाउंड्स देने का तब प्रचलन था लेकिन चूंकि वे गुलाम भारतीय थे इस कारण उन्हे बोनस नहीं दिया गया.

अंग्रेज अपने औद्योगिक तथा शासकीय प्रबंधन मे उच्च स्थानों पर अंग्रेज, व्हाइट मेन को ही केवल चुनते थे.

यूरोपियन अधिकारी खुद को विशेष मानते थे और उनमे अहंभाव चरम सीमा पर था. जैसे कि बैंक ऑफ बॉम्बे मे सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन गोरा व्यक्ति 2000/. प्रति माह वेतन पाता था और भारतीय मनुष्य, जो की स्वप्न केवल हैड क्लर्क के पद का देख सकता था, वह 125/. प्रति माह वेतन पाता था. एक अप्रेंटिस क्लर्क अगर भारतीय हो तो उसे बगैर किसी वेतन पर गुजारा करना होता था, लेकिन युरोपियन व्यक्ति की शुरुआती सैलरी थी 40/. रुपये प्रति माह. यह दृश्य रोजाना देख रहे सोराबाजी विचलित होते थे और मन ही मन भारतीय बैंक के निर्माण के प्रति सोचा करते थे. बैंक चलाना या प्रौद्योगिक संस्थान चलाना केवल व्हाइट मैन, गोरे लोग ही कर सकते हैं इस धारणा को तोड़ना जरूरी था ताकि भारतीय लोगों का मनोबल बढ़े. यही से भारत के अपने स्वदेशी बैंक के कहानी का जन्म हुआ.

उस दौरान वे एक उद्यमी जिनका नाम कल्याणजी जेत से था, उनसे इस विषय पर गहन वार्तालाप किया करते थे. और इस दिशा मे कई उद्यमियों से मिलकर चर्चा करते थे. उनके इस प्रयास की भनक चार्टर्ड बैंक के मैनेजर मिस्टर फ्रीन्जफ़ेलो के कान मे पड़ी. उन्होने इस विषय पर सोरबाजी को हतोत्साहित करने का पूरा प्रयास किया और बताया की यह केवल काल्पनिक स्वप्न है, भारतीय कभी भी बैंक चला नहीं सकते, यह केवल अंग्रेज़ लोगों का काम है.

ना मानने पर सोरबाजी को अंतिम चेतावनी दी गयी कि वह या तो यह प्रयास छोड़ दे या फिर नोकरी. सोराबजी ने तुरंत नौकरी छोड़ दी. और अपने स्वप्न पर उन्होनें स्वयं को झोक दिया. कल्याणजी जेतसे के साथ मिलकर उन्होने उस वक्त स्थापित उद्यमियों को अपने प्रयास में शामिल किया. और रु 50 लाख के पूंजी पर तारीख 11.12.1917 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ. जिस दिन बैंक का निर्माण हुआ, उसी दिन से बैंक मे उन्नति दिखने लगी और केवल एक सप्ताह मे ही 70 चालू खाते जिसका मूल्य डेढ़ लाख था, शुरू हुए. यह एक मिसाल थी जो दर्शाती है कि संकटों कों कैसे सफलता की सीढ़िया बनाया जाए.

वे सेंट्रल बैंक को एक महान संघटन के तौर पर स्थापित करने मे जुड़े रहे. व्यवसाय या केवल संघटन के रूप मे वे इसे नहीं देख रहे थे बल्कि उससे आगे जा कर एक अन्वेषक की तरह बैंक को आगे लाया जिसमे देशप्रेम और स्वावलंबन का जज्बा प्रधान रूप से नजर आने लगा. भारत के प्रगति एवं आधुनिकता का उदाहरण वह बन गया.

इस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि व्यक्तिगत जीवन मे वे बड़ा सादगीपूर्ण जीवन जीते थे. ऐसे कम ही मौके थे जब वह बड़े आयोजनो मे शामिल हुए हों. उनके प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए उनकी पत्नी साकरबाइ का यह कहना की "उनके जीवन मे उनका परिवार, मित्र, संबंधी, समाज और देश इन सबका स्थान था और जिन्हे जो जरूरत है वह वे देते रहे", सर सोराबजी का चरित्र यथायोग्य दर्शाता है.

तारीख 05 जुलाई 1937 के दुनिया के प्रमुख वर्तमान पत्रोंमे सर सोरबाजी के निधन का समाचार इस तरह हैड्लाइन्स के साथ प्रकाशित किया गया -

"Indian's Greatest Banker passed away,
"A genius who worked for a modern marvel bank
"clerk who became mighty chief.

अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ वे आए, उन्होनें देखा, वर्तमान बैंकिंग स्थिति को जाना और अपने कौशल से उन्होनें जीत हासिल की.

प्रशांत डोले
मुख्य प्रबंधक (विधि)
एमएमजेडो

उम्र के साथ की एक तस्वीर

किसी तस्वीर पर किसी ने लिखा, बुढ़ापा आ गया है सर! इरादा शायद ट्रोल करने का रहा होगा... मगर पढ़ते हुए मैं मुस्कुरा उठा। हाँ, बयालीस बरस का होना एक लंबी उम्र गुज़ार देना है ही।

पर मायने रखता है कि उम्र जो गुज़ारी गई वह कैसे बीती? क्या यूँ ही नौकरी करते हुए काट दी गई या फिर धूप में सफ़ेद कर लिए गये बाल?

एक सुकून है। सुकून कि इन दोनों सवालों के जवाब 'न' में हैं।

किश्तों में बीती इस ज़िंदगी ने रोज़ पहाड़ चढ़ना सिखाया है। नये तरीक़े से। पत्थरों को घिसना और उन्हें घिसते हुए ख़ुद को तराशने के फ़लसफ़े बताये हैं।

उम्र के इस दौर में, ख़ुद से मुहब्बत थोड़ी और हो गई है। अच्छा लगता है अपना होना थोड़ा और।

बालों में उग आये दो-चार चाँदी के तार से भी कोई कुढ़न नहीं होती। अड़तीस में आख़िरी तेरह बरस के संघर्षों ने उम्र की हिफ़ाज़त करना और सिखाया है।

और लोगों का सम्मान भी। अजनबियों के लिए भैया, अंकल वाले संबोधनों से बाहर आ चुका हूँ। उन्हें सर कहना अधिक भाता है। नाम मालूम हो तो नाम के साथ 'जी' लगाना।

कोई बच्चा अंकल कहे तो भला ही लगता है। युवतर लोगों के लिए न चाहते हुए भी कई बार बच्चा निकल आता है और फिर ख़ुद को, अपनी इस जबरन वाली अम्मागिरी को कोसता हूँ। पेट्रनाइजिंग हो या मेट्रनाइज़िंग, गड़बड़ तो दोनों ही हैं न!

ख़ैर, बात उम्र के बढ़ने की हो रही थी। उम्र के साथ बहने की।

किसी दिन दोस्त ने पूछा, उम्र की कौन सी दरमियानी सबसे अधिक पसंद रही?

मैं तो ख़ुद से हमेशा सरापा मुहब्बत में रह। , कैसे किसी एक समय के हाथ थमा दूँ पसंदगी का ताज़?

जो आज है, वही उम्दा है। जो साठ बरस की उम्र में होगा, वह भी उम्दा होगा!

बात बस एक होगी कि हर उम्र में क़वायद तंदुरुस्त बने रहने की हो। अब भी, तब भी, आख़िरी दिनों में भी।

अमित कुमार दहलान
वरिष्ठ प्रबंधक
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,मुंबई

लेखा परीक्षा

वाणिज्य व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए प्राचीन काल से ही लेखांकन की आवश्यकता अनुभव की गई थी. मनुष्य से गलती होना एक स्वाभाविक बात है इसीलिए व्यवसाय जगत में यह कहावत प्रचलित रही है कि "पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले." हम देखते है कि दुकानदार द्वारा दिए गए बिल पर नीचे लिखा रहता है 'भूल चूक लेनी देनी' या E & O. E. अर्थात उस बिल में कोई गलती हो गई हो तो उसे बाद में भी सुधारा जा सकता है. तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सौदे का लेखांकन अनिवार्य रूप से करना चाहिए. दूसरी बात सावधानी पूर्वक लिखापढ़ी करने का सिस्टम बना लेने के बाद भी कभी कभी किसी बेईमान कर्मचारी द्वारा खाता बहियों में हेराफेरी करने की संभावना या धोखाधड़ी होने को नकारा नहीं जा सकता है. इस प्रकार भूल चूक,लापरवाही और कपट या धोखाधडी पर नियंत्रण रखने के एवं पहले ही हो चुकी ऐसी किसी घटना को उजागर करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता महसूस की गई.

वर्त्तमान काल में व्यवस्थित लेखा परीक्षा और संवैधानिक लेखा परीक्षा का जैसा स्वरुप हम देखते हैं वह प्राचीन काल में नही होता था. वर्ष 1494 में दोहरी लेखा प्रणाली का जन्म हुआ और यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तब समुचित और व्यवस्थित रूप से लेखांकन की आवश्यकता होने लगी और तदनुसार उनकी शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच हेतु लेखा परीक्षा कार्य का प्रारम्भ हुआ.

सामान्य भाषा में किसी भी संस्थान के आर्थिक लेनदेन की शुद्धता की जांच करने एंव उनके नियमानुसार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वीकृत होने की जांच करने को लेखा परीक्षा या अंकेक्षण और इस कार्य को निष्पादित करने वाले को अंकेक्षक या लेखा परीक्षक कहते हैं.

लेखा परीक्षा अर्थात ऑडिट का मुख्य उद्देश्य खातों को सत्यापित करना और यह रिपोर्ट करना है कि कंपनी अधिनियम या व्यवसाय मालिक के निर्देशानुसार बैलेंस शीट और लाभ - हानि खाता ठीक से तैयार किया गया है और वाणिज्यिक ईकाई के सभी मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण प्रदर्शित करते हैं.

अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षा किए जाने की व्यवस्था होने की जानकारी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को होती है. इसका परिणाम यह होता है कि वे दिए गए कार्य को बिना लापरवाही के सावधानी पूर्वक निष्पादित करते हैं और आडिट में उजागर होने के डर से गलत कामों से दूर ही रहते है. अपवाद स्वरुप कोई अधिकारी/कर्मचारी यदि बेईमानी या लापरवाही से कोई गलत कार्य कर भी देता है तो वह सावधानी पूर्वक की गई लेखा परीक्षा से उजागर हो जाती है.

विद्वानों द्वारा अंकेक्षण की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं जिनके अनुसार सारांश में हम कह सकते है कि लेखा परीक्षा से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संस्था के हिसाब किताब के लेखों की एक ऐसी विशिष्ट जांच है जिसे इस उद्देश्य के लिए अधिकृत योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणकों, प्रपत्रों, सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर नियमानुसार किया जाता है. इसके अंतर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान की बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते उनकी वास्तविक स्थिति दर्शाते है और सभी खाते संस्थान के नियमानुसार एवं सही तरीके से बनाए गए है या नहीं. यदि कंही पर नियमों का पालन नही किया गया है या अनाधिकृत व्यवहारों, कपटपूर्ण लेनदेनों और अनुचित या अनैतिक गतिविधियों का पता चलता है तो ऐसे सभी व्यवहारों को विस्तार से संस्थान द्वारा नामित पदाधिकारी को अपनी रिपोर्ट में अंकेक्षक द्वारा अपनी मूल रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाता है. कभी कभी गंभीर प्रकृति की अनियमितताओं के बारे में तुरंत कार्यवाही या प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से मूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व से ही लेखा परीक्षको द्वारा एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है ताकि संस्थान के द्वारा गंभीर प्रकार की अनियामियाताओं को तुरंत नियंत्रित किया जा सके .

लेखा परीक्षक द्वारा की गई जांच मात्र गणितीय शुद्धता तक ही सीमित नही होती वरन अन्य वैधानिक अनिवार्यताओं का एवं संस्था के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसका भी उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करना होता है.यदि लेखा परीक्षक किसी बात से असंतुष्ट रहता है तो इसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करता है और यदि कोई अत्यंत ही आपत्तिजनक बात या कपट आदि की घटना सामने आती है तो उसकी जानकारी लेखा परीक्षक द्वारा संस्था के उच्चाधिकारियों को तुरंत ही दी जाती है. इस प्रकार यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण निष्पक्ष जांच होती है जो हिसाब किताब की शुद्धता को दर्शाती है.

खातों का सत्यापन यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वे सही, पूर्ण और नियम के अनुरूप हैं. इसके लिए ऑडिटर को

त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना होता है. लेखापरीक्षा के प्रमुख बिन्दु हैं:

(i) त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना, और

(ii) उन त्रुटियों और धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति की रोकथाम.

यदि किसी फर्म के खाते त्रुटियों और धोखाधड़ी से भरे हुए हैं और लेखा परीक्षक ऐसी त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाने की स्थिति में है, तो वह उन्हें सही के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकता है. अगर वह ऐसा करते हैं तो यह उनकी बड़ी भूल होती है जिसके लिए वे उत्तरदायी ठहराए जा सकते है.

खातों का ऐसा सत्यापन और प्रबंधन को रिपोर्ट करना खातों के रखरखाव में दक्षता और सटीकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं ताकि कम्पनी संचालकों या व्यवसाय के मालिकों को अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में सटीक जानकारी मिल सके.

हमारे देश में वर्ष 1913 में भारतीय कम्पनी विधान के अनुसार सार्वजिनक कंपनियों का लेखा परीक्षण अनिवार्य किया गया. 1949 में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की स्थापना की गई जिसके सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेट या सी ए कहलाते है. भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा कंपनियों द्वारा तैयार किए जाने वाले बैलेंस शीट एवं लाभ हानि खाते के लिए कुछ विशिष्ट नियम एवं प्रारूप नियत किए गए है. बैंकों पर भारतीय कम्पनी अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम दोनों लागू होते है तथा बैंकों को उनकी नियामक संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का भी अनिवार्य रूप से पालन करना होता है अत: लेखा परीक्षकों का बैंकों के लेखा परीक्षण करते समय इनके सभी निर्देशों के अनुपालन हुआ है या नहीं इसे सत्यापित करने हेतु विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है. कुछ मामलों में लेखा परीक्षकों पर लापरवाही बरतने का आरोप भी कभी कभी लगते रहते है.

बैंकों में लेखा परीक्षा मुख्य रूप से दो तरह से की जाती है. पहला आतंरिक लेखा परीक्षण जो बैंक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है और दूसरा सांविधिक (Statutory Audit) जिसे अनिवार्य रूप से सी ए, जो एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक होता है, के द्वारा संपन्न किया जाता है.

सांविधिक लेखा परीक्षा कई प्रकार के होते है जैसे वित्तीय लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षा, सचिवीय लेखा परीक्षा, बिलिंग और मीटरिंग ऑडिट, टैक्स ऑडिट, समवर्ती लेखापरीक्षा, GST ऑडिट, शाखा लेखा परीक्षा, स्टॉक लेखा परीक्षा एवं समवर्ती लेखा परीक्षा आदि. अलग अलग इकाइयों हेतु संवैधानिक अनुदेशों के अनुसार लेखा परीक्षा की जाती है.

बैंकों में सांविधिक लेखा परीक्षा वार्षिक लेखाबंदी के पश्चात चार्टर्ड एकाउन्टटेंट द्वारा की जाती है जिसमें वे अपनी रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं को प्रमाणित करता है और उन पर आवश्यकतानुसार अपनी टिप्पणी भी देते हैं :- लाभहानि की शुद्धता, ऋणों का सही सही वर्गीकरण और एनपीए पर नियमानुसार प्रावधान किया गया है तथा बेलेंसशीट को नियमानुसार बना कर उसमें बैंक की आस्तियों और देयताओं की सही सही स्थिति दर्शाई गई है. भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने सिस्टम के अनुसार समय समय पर अपने ऑडिटर भेजता है यद्यपि उनके ऑडिट का दायरा सीमित ही होता है.

आतंरिक लेखा परीक्षक संस्था का सुप्रशिक्षित स्टाफ होता है जिसके द्वारा लेखों व अन्य गतिविधियों का समग्र रूप से परीक्षण किया जाता है जिसमें स्टाफ की समय पर उपस्थिति, व्यवहार और चाल चलन से लेकर शाखा द्वारा दिए गए ऋणों की गहराई से सूक्ष्म जांच तक की जाती है. इस प्रकार आतंरिक लेखा परीक्षक संस्था के एक प्रहरी की तरह कार्य करते हैं .

आंतरिक ऑडिट वार्षिक के अतिरिक्त दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक आधार पर भी कराया जा सकता है जिसे कॉन्करेंट ऑडिट कहते हैं. कुछ विभागों का ऑडिट दूसरों की तुलना में अधिक बार किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक विनिर्माण प्रक्रिया का दैनिक आधार पर ऑडिट किया जा सकता है, जबकि मानव संसाधन विभाग का ऑडिट वर्ष में केवल एक बार किया जा सकता है.

सी ए द्वारा किया जाने वाले लेखा परीक्षण में मुख्य रूप से देखा जाता है कि बैंक अपने कामकाज कंपनी विधि और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों व रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कर रहे हैं या नहीं. सी ए द्वारा किए जाने वाले आडिट में उनका प्रमुख केंद्र बिंदु बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण खाते होते है. जैसे ऋण प्रदान करने में बैंक की ऋण पॉलिसी का पालन किया गया है, सिक्युरिटी ऋण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार ली गई है और समुचित रूप से ऋण प्रदाता संस्था के पक्ष में बंधक या प्रभारित की गई है तथा बैलेंस शीट में खातों का वर्गीकरण व प्रावधान रिजर्व के निर्देशानुसार किया गया है.

भारत में शासकीय विभागों और निगम आदि का लेखा परीक्षण

का कार्य भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक सीएजी CAG (Comptroller and Auditor General) द्वारा किया जाता है जो एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते है. प्रत्येक राज्य में सीएजी के अधीन एक एकाउंटेंट जनरल होता है जो राज्य सरकार से सम्बंधित कार्यालयों निगमों का लेखा परीक्षण करते है. सीएजी की रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है.

कभी कभी आतंरिक जांच और आतंरिक लेखा परीक्षा को एक ही मान लिया जाता है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है. आंतरिक जांच और आंतरिक ऑडिट दोनों आंतरिक नियंत्रण के एक तंत्र हैं जिनका उपयोग व्यवसायों / कम्पनी द्वारा उनकी वित्तीय और परिचालन सम्बन्धी जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है.

एक संगठन के भीतर वित्तीय और परिचालन सम्बन्धी किसी विशिष्ट घटना या परिस्थिति की जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, आंतरिक जांचों को जांच और संतुलन की प्रणाली के रूप में डिजाइन किया जाता है. दूसरी ओर, आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र, वस्तुपरक आश्वासन और परामर्श गतिविधियाँ हैं जिन्हें किसी संगठन के संचालन में सुधार करने और उसमें मूल्य वर्धन के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें संगठन के आंतरिक नियंत्रण, वित्तीय और परिचालन प्रक्रियाओं और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की प्रभावशीलता की सूचना देना और समीक्षा और मूल्यांकन करना शामिल है. अनिवार्य रूप से, एक आंतरिक जाँच संगठन के भीतर किसी घटना की गूढ़ जांच एक प्रणाली है, और आंतरिक लेखापरीक्षा, संगठन में होने वाले प्रत्येक लेनदेन और गतिविधियों का एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली है.

लेखा परीक्षक का पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला होता है. लेखा परीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि जिस संस्था के ऑडिट करने की उसे जिम्मेदारी दी गई है उसे वह पूर्ण इमानदारी और समर्पण भाव से निर्वहन करेगा. यदि किसी फर्म के खाते त्रुटियों और धोखाधड़ी से भरे हुए हैं और लेखा परीक्षक ऐसी त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाने की स्थिति में है, तो वह उन्हें उसी रूप में व्यक्त करे .

इस प्रकार हम पाते हैं कि देश की प्रत्येक संस्था के प्रत्येक विभाग के वित्तीय कार्यकलाप एवं उनका नियंत्रण विधि अनुसार हुआ है अथवा नहीं तथा यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसे सामने लाकर सुधार करवाना ही लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सभी गम्भीरता से कार्य करें तो देश को किसी भी फ्रॉड इत्यादि से होने वाले नुकसानों से बचाया जा सकता है.

वर्षा जोशी
वरिष्ठ प्रबंधक - विधि
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय कार्यालय

माँ

माँ शब्द है, माँ है अर्थ
माँ के बिना जीवन व्यर्थ
माँ आत्मा माँ परमात्मा
माँ में बसे पूरे जीवात्मा
माँ जननी माँ जगदम्बा
माँ के बिना ये जीवन अचम्भा
माँ परोपकार का ऐसा वृक्ष है
जीवन जोत अमृत वृक्ष है।
क्या लिखूं तेरे बारे में
कोई शब्द नहीं तेरे दायरे में

इस नन्हें से पांव को तूने
सीने से लगाया था
माँ इस मतलबी जहाँ में तूने
जीने की राह बताया था।

अंजली वर्मा
सहायक प्रबंधक
शाखा- जीरकपुर, चंडीगढ़

राजभाषा

मानव जाति अपने सृजन से ही स्वयं को अभिव्यक्त करने के तरह-तरह के माध्यम खोजती रही है. आपसी संकेतों के सहारे एक-दूसरे को समझने की ये कोशिशें अभिव्यक्ति के सर्वोच्च शिखर पर तब पहुँच गई जब भाषा का विकास हुआ. भाषा लोगों को आपस मे जोड़ने का सबसे सरल और जरूरी माध्यम है.

14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है : दरअसल इसी दिन संविधान सभा ने वर्ष 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था. आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संबंध में तमाम बहस-मुहाबिसें हुईं. अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्षधर नहीं थे. इनमें भी दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल प्रमुख थे. उनका तर्क था कि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है और यदि इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा तो ये उनके साथ अन्याय सरीखा होगा. अहिंदी भाषी राज्यों के विरोध को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने मध्यमार्ग अपनाते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया, इसके साथ ही अंग्रेजी को भी राज्यभाषा का दर्जा दिया गया. वर्ष 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव दिया तब से ये दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा.

हिंदी भाषा की विकास यात्रा : एक भाषा के रूप में अगर हिंदी भाषा की विकास यात्रा की बात करें तो यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है. एक भाषा के विकास में उस समाज और संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है जहाँ पर ये बोली जाती है. हिंदी भाषा के विकास में भी समाज और संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है; खासकर उत्तर भारतीय राज्यों की भूमिका. भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है और इसी भाषा के विभिन्न काल खंडों में अलग-अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से हिंदी का विकास हुआ है.

संस्कृत भाषा से पालि, पालि से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है जिसे आज हम बोलते है. हालांकि इसे लेकर मतभेद है कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है या पुरानी हिंदी से. मगर वर्तमान भाषाविज्ञानी इसे अपभ्रंश से ही विकसित हुआ मानते है.

अगर हिंदी भाषा के विकास के कालखंड की बात करें तो यह तीन कालों में विकसित हुई- पहला कालखंड 1100 ईस्वी - 1350 ईस्वी का माना जाता है, इसे प्राचीन हिंदी का काल कहा जाता है. दूसरा कालखंड मध्य काल (1350 ईस्वी - 1850 ईस्वी) कहा जाता है. इस काल में हिंदी भाषा की बोलियों अवधी और ब्रज में विपुल साहित्य रचा गया. तीसरा कालखंड 1850 ईस्वी से अब तक माना जाता है और इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है. इस काल में हिंदी भाषा का स्वरूप बेहद तेजी से बदला है.

दरअसल इस काल में हिंदी जन-जन की भाषा बन गई. ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और इस दौरान हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रचलन खूब बढ़ा. ये हिंदी भाषा का ही असर था कि उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत से भी आने वाले आजादी के नायकों ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप मे स्वीकार किये जाने की पुरजोर वकालत की. हालांकि हिंदी भाषा को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है.

क्यों नहीं है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा? : यदि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर की बात की जाए तो इनमें दो प्रमुख अंतर हैं. एक अंतर इन्हें बोलने वालों की संख्या से है और दूसरा अंतर इनके प्रयोग का है. राष्ट्रभाषा जहाँ जनसाधारण की भाषा होती है और लोग इससे भावात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं तो वही राजभाषा का सीमित प्रयोग होता है. राजभाषा का प्रयोग अक्सर सरकारी कार्यालयों और सरकारी कार्मिकों द्वारा किया जाता है. कुछ देश जैसे ब्रिटेन की इंग्लिश, जर्मनी की जर्मन और पाकिस्तान की उर्दू; की राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है. मगर बहुभाषी देशों के साथ यह समस्या है. यहाँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग-अलग होती है.

राष्ट्रभाषा किसी देश को एक करने के लिहाज से बेहद महत्त्वपूर्ण होती है. यही कारण है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में गुजरात के भरूच में हुए गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की थी-

भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है; यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सम्पर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है.

हालांकि आजादी के बाद इसे लेकर तमाम तरह के विवाद हुए और अंततः अंग्रेजी के साथ इसे राजभाषा के रूप में ही स्वीकार किया गया. शुरूआत में तो यह प्रावधान 15 वर्षों के लिए ही था और साथ ही संसद को भी ये शक्ति दी गई थी कि वो अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ा सकता है. वर्ष 1965 में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाए जाने के समय के पूर्व ही अहिंदी भाषी राज्यों का विरोध

इस कदर तीव्र हो गया कि अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को अहिंदी भाषी राज्यों को ये आश्वासन देना पड़ा कि आपकी सहमति के बिना हिंदी को एकमात्र राजभाषा नहीं बनाया जाएगा.

इसीलिए वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया. वर्ष 1967 में इसे संशोधित किया गया. इसमें किये गए प्रावधानों से अहिंदी भाषी राज्यों की तो चिंता खत्म हो गई मगर हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रमुख तत्व मानने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई. सरकार ने इन चिंताओं को संबोधित करते हुए त्रिभाषा फार्मूला दिया. इसके अंतर्गत पहली भाषा मातृभाषा होगी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी. दूसरी भाषा गैर हिन्दी भाषियों के लिए हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए आठवीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा होगी. तीसरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी होगी ताकि शिक्षित भारतीय विश्व से भी आसानी से जुड़ सकें.

हालांकि विभिन्न राज्यों की सहमति के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सका. इसी क्रम वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई. यह विभाग ही हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न समारोहों जैसे हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह का आयोजन करता है. इसी के तत्त्वाधान में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है.

अगर हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति की बात की जाए तो यह राजभाषा के रूप में संविधान के भाग 5, भाग 6, भाग 17 में समाविष्ट है. भाग 17 में राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत 4 अध्याय है. इसमें संघ शासन, प्रादेशिक शासन, उच्चतम और उच्च न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं.

भाग 5 के अनुच्छेद 120 में बताया गया है कि संसदीय कामकाज की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी. यदि किन्हीं सदस्यो को इन्हें बोलने में दिक्कतें हैं तो वो अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपनी भाषा में बात कह सकते हैं. भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल के लिए भी ऐसे प्रावधान हैं.

अगर हिंदी भाषा की वैश्विक स्थिति की बात की जाए तो यह विश्व के 150 से अधिक देशों में फैले 2 करोड़ भारतीयों द्वारा बोली जाती है. इसके अलावा 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढाई जाती है. एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है तो दूसरा स्थान हिंदी भाषा का है. इसके अलावा भारत और फिजी की यह राजभाषा है. ब्रिटिश भारत काल के दौरान बहुत से श्रमिको को भारत से बाहर ले जाया गया था. इनमें से अधिकांश देशों में हिंदी भाषा आज एक क्षेत्रीय भाषा है; ये देश है- मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिनाद, गुयाना आदि. मॉरीशस में तो विश्व हिंदी सचिवालय की भी स्थापना की गई है. हालांकि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा अभी भी हिंदी को नहीं मिल सका है.

चुनौतियाँ : अगर हिंदी भाषा की एक भाषा के तौर पर सामयिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं. सबसे बड़ी चुनौती तो इसे 'राष्ट्रभाषा की स्वीकार्यता' का न मिलना है. इसके अलावा एक उच्च शिक्षित अभिजात्य वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी बोलने में शर्म और हिचकिचाहट महसूस करता है. हिंदी भारत की सार्वभौमिक संवाद भाषा भी नहीं है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 41 फीसदी आबादी की ही मातृभाषा हिंदी है. इसके अलावा लगभग 75 फीसदी भारतीयों की दूसरी भाषा हिंदी है जो इसे बोल और समझ सकते हैं.

हिंदी भाषा के सामने एक प्रमुख चुनौती यह है कि यह अब तक रोजगार की भाषा नहीं बन पाई है. आज तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के दैनिक कामकाज से लेकर कार्य संचालन की भाषा अंग्रेजी है. इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी अपने निहित स्वार्थो के लिए हिंदी का विरोध करते हैं. अभी भी भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का माध्यम ज्यादातर अंग्रेजी ही रहता है. हिंदी भाषा की हालत आज ऐसी है कि इसके संबंध में जागरूकता सृजन के लिए विभिन्न सेमिनारों, समारोहों और कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ता है.

आगे की राह : हालांकि इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हिंदी भाषा के भविष्य के संबंध में भी नई राहें दिखाई है. गूगल के अनुसार भारत में अंग्रेजी भाषा में जहाँ विषयवस्तु निर्माण की रफ्तार 19 फीसदी है तो हिंदी के लिए ये आंकड़ा 94 फीसदी है. इसलिए हिंदी को नई सूचना-प्रौद्योगिकी की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाए तो ये इस भाषा के विकास में बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है. इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर तो प्रयास किए ही जाने चाहिए, निजी स्तर पर भी लोगों को इसे खूब प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त हिंदी भाषियों को भी गैर हिंदी भाषियों को खुले दिल से स्वीकार करना होगा. उनकी भाषा-संस्कृति को समझना होगा तभी वो हिंदी को खुले मन से स्वीकार करने को तैयार होंगे.

रितु
सहा. प्रबंधक (IT)
क्षे. का. जबलपुर

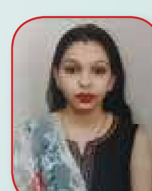

बैंकिंग व्यवसाय का भविष्य

आधुनिक तकनीकी विकास के साथ ही बैंक व्यवसाय भी दिन प्रति दिन विभिन्न चुनौतियो का सामना कर रहा है जिसके साथ इसके पारम्परिक स्वरूप में भी बदलाव आ रहे हैं.

ग्राहकों के लिए विशिष्ट बैंकिंग अनुभव, जोखिमों और नियमों दोनों का बेहतर प्रबंधन, अत्याधुनिक तकनीक की मदद से गैर-बैंकिंग असंगठित संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करना, आज यही बैंकों का भविष्य है और तभी बैंक जीवित रह सकेंगें.

हमारे बच्चे शायद किसी अलग तरह की बैंकिंग का अनुभव लेंगे. एक बात तो पक्की है कि बैंक शाखाओं का महत्व निकट भविष्य तक ही सीमित रहेगा. उसके बाद उनका महत्व बहुत हद तक कम हो जाएगा. भविष्य में बैंक शाखाएं बहुत अलग तरह की भूमिका अदा करेंगी, जैसे किसी पेचीदा मामले में सलाह देना या किसी कठिन समस्या का हल निकालने में मदद करना. शाखाएं एक तरह के सलाह केंद्र की तरह काम करेंगी. दो दशक पहले आधुनिक प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग को जड़ से हिला दिया था. कोर बैंकिंग प्रणाली (CBS) से बैंकिंग में क्रांति आ गई. CBS(कोर बैंकिंग सिस्टम), पहले बही-खाता आधारित था, फिर वह उत्पाद आधारित हुआ और अब पूरी तरह से ग्राहक आधारित है. सीबीएस (CBS) में इन दो दशकों में कई बदलाव आये.जबकि आज बैंकिंग प्रौद्योगिकी के लिए फिनटेक (Fintec) एक प्रमुख औज़ार बन चुका है. ग्राहकों की और आतंरिक, दोनों ही दृष्टि से इस प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहे हैं. अगर बीते दशकों में जो हमने देखा वह क्रांति थी, तो आने वाले सालों में जो होगा उसे भूकंप ही कहना पड़ेगा.

बैंकिंग उद्योग नई-नई तकनीकों जैसे आर्टिफीशल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, बैंकिंग ऑफ़ थिंग्स, ब्लॉक चेन को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं उत्सुक भी है. 2019 के बाद, किसी को भी अगर चार्टर्ड फाइनेंसियल एनालिस्ट बनना हो, तो उसकी परीक्षा में सफल होने के लिए उसे आर्टिफीशल इंटेलिजेंस में कुशल होना आवश्यक होगा. ये सारी नई तकनीकें विस्फोटक होंगी.

भविष्य के बैंकिंग के बारे में मत-मतांतरों की कोई कमी नहीं है. भविष्य का बैंकिंग या बैंकिंग के भविष्य के बारे में बैंकिंग उद्योग से जुड़े लोगों में कई तरह के प्रश्न हैं जैसे कि-

* नई तकनीकें, पारंपरिक बैंकिंग पद्धतियों का स्थान कैसे ले पाएंगी?

* क्या पारंपरिक बैंकिंग कंपनियां इसी तरह रहेंगी या इनका स्थान कोई नई फिनटेक कंपनियां ले लेंगी?

* क्या पारंपरिक बैंकिंग कंपनियां, फिनटेक कंपनियां की साझेदार होंगी या प्रतिद्वंद्वी?

इन प्रश्नों के उत्तर तो तय नहीं है, लेकिन इन बदलावों के चलते क्या बैंक जीवित रह सकेंगे? जैसा कि कहा जाता है, हमें बैंकों की नहीं बल्कि बैंकिंग की आवश्यकता है. इसी वजह से, दुनिया भर में जो भी सस्ता, आधुनिक तकनीक पर आधारित बैंकिंग दे सकता है और ग्राहक को सब से अच्छा अनुभव दे सकता है, वही बैंकिंग बिज़नेस में जीवित रह सकेगा . इसके लिए सभी बैंकों को फिलहाल निम्न पांच बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा:-

1. डिजिटल ब्रैंड तैयार करना

भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक बेहतर व्यापार कर सकें क्योंकि उनकी शाखाओं की पहुंच बहुत व्यापक थी और उन्हें सरकार का संबल प्राप्त था. इसी प्रकार, सहकारी बैंक अपनी स्थानीय पकड़ और अधिक ब्याज दर के कारण जीवित रहे. किन्तु, कुछ सहकारी बैंकों को छोड़, इनका दायरा छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहा. सूचना प्रौद्योगिकी के आने के बाद बैंकों में एक डिजिटल क्रांति आ गई. जैसे-जैसे उद्योगों में डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, ग्राहकों की भी बैंकिंग की जरुरतें बदल गयी है, अब उन्हे उनकी आवश्यकतानुसार विशिष्ट बैंकिंग चाहिए. बैंकिंग उद्योग में भी ब्रैंड शक्ति इस बात पर निर्भर करती है की उनकी साझेदारियां किन कंपनियों के साथ है. डिजिटलीकरण के कारण कई बैंकिंग पद्धतियां आसान और बेहतर होंगी. लेकिन ग्राहक की मांगें और अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और आधुनिक तकनीक के साथ नए प्रतिस्पर्धा भी बढ रही हैं. डिजिटल ब्रैंड शक्ति बनाने के लिए बिलकुल स्पष्ट और तेज अंतर्विभागीय समन्वय होना चाहिए. बैंक बोर्ड या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि इस नए युग में वह अपने बैंक की साख बेहतर बनाए.

2. बैंकिंग के विविध मार्ग

भारत में सदा से ही बैंकों में लॉबी कल्चर (यानि ग्राहक बैंक शाखाओं में आना पसंद करते थे. इसे सामजिक बैंकिंग भी कहा जाता है) रहा है. अधिक से अधिक शाखाएं होना, बैंकों के लिए गर्व का विषय होता था. परंतु यह स्थिति लगभग 25 वर्ष पहले थी. उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कार्य-पद्धति में क्रांति आ गई. इसकी शुरुआत हुई एटीएम से और अब इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देना बैंकों के लिए मूलभूत कार्य है. इसलिए ऐसा सम्भव है की आने वाले समय में बैंकों को ज्यादा शाखाओं की आवश्यकता नहीं रह

जाएगी.

नई पीढ़ी के अधिकतर ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं. लेकिन इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दे देना भर काफी नहीं होगा. उन्हें ग्राहक के संपूर्ण बैंकिंग अनुभव को, बैंकिंग उद्योग के सब से बेहतरीन स्तर के अनुसार ढालना होगा.

3. नई प्रतिस्पर्धा

रिजर्व बैंक ने हाल में नए बैंकिंग लाइसेंस जारी किए हैं. नए-नए बैंक, नई टेक्नोलॉजी और प्रभावी पद्धतियों के साथ बाजार में उतर रहे हैं. नए युग में, अब विशेषज्ञ बैंकों का चलन बढ़ता जा रहा है, जैसे कि छोटी बचत का बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, पेमेंट बैंक आदि. बड़े बैंकों को अपने स्तर की बैंकों के साथ-साथ इन विशेषज्ञ बैंकों से भी प्रतिस्पर्धा करनी है. प्रतिस्पर्धा का परिणाम यही है कि बेहतर, प्रभावी व्यवस्थाएं, बेहतर ग्राहक अनुभव, अब सामान्य बात है. इसीलिए, आने वाले दिनों में बैंकों के भुगतान उद्योग में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है.

4. नई टेक्नोलॉजी

अगले दस सालों में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में होने वाले नए-नए आविष्कार रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों ही प्रकार की बैंकिंग में क्रांति लायेंगे. एक अनुमान के अनुसार 2025 तक भुगतान की मात्रा नाटकीय रूप से बढ़ने वाली है. इसमें महत्वपूर्ण होंगे डिजिटल भुगतान और सीधे कॉर्पोरेट भुगतान. भुगतान पद्धतियों में परिवर्तन और विकास से मात्रा तो बढ़ेगी ही, साथ ही खर्चों में भी कमी आएगी. मध्यस्थों की घटती ज़रूरत से भी खर्च कम होंगे . ब्लॉक चेन जैसी नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है.

एक और नई टेक्नोलॉजी जो जल्द ही उत्पादन और सेवा क्षेत्र में आने वाली है, वह है आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग. मशीनों द्वारा सटीक निर्णय लेना और उसके द्वारा उद्यगों को बढ़ाना, यह आने वाले वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा. ये नई तकनीकें बैंकिंग की पद्धतियों को पूरी तरह से बदल देंगी. यदि बैंक इन परिवर्तनों को अपनाने में असफल रहते हैं तो उनका सारा अस्तित्त्व ही संकट में पड़ जाएगा.

5. मार्केट प्लेस लेंडिंग

टेक्नोलॉजी में परिवर्तन से बैंकिंग क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा पर बहुत गहरा असर जो होगा वह है- ऋण! क्राउड सोर्सिंग और पी टू पी बैंकिंग, ये दो ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं की भविष्य में ऋण किस प्रकार का होगा. ये सारे नए मध्यम पारंपरिक बैंकिंग के बोझ से पूरी तरह मुक्त हैं. उन पर नियामक संस्था भी बहुत अधिक नियंत्रण नहीं कर सकती. इसी प्रकार के रुझान अब भारत में भी देखने को मिल रहे हैं. भारत में भी अब कई स्टार्ट-अप बिजनेस आ रहे हैं. इन आशंकाओं के बावजूद, कि मार्केट लेंडिंग बैंकों के व्यापार को हानि पहुंचाएगा, पारंपरिक बैंक और मार्केट लेंडिंग कंपनियां आपस में साझेदारी अवश्य करेंगी. उदाहरण के तौर पर, सिटी द्वारा लेंडिंग क्लब के साथ साझेदारी करना. इस प्रकार की साझेदारियां, बैंकिंग उद्योग और ग्राहक दोनों के लिए फायदेमंद हैं. बैंक अपने ग्राहक के साथ संबंध को इन नए टेक्नोलॉजी उत्पादों के माध्यम से भुना सकते हैं. किन्तु, गिरती हुई ब्याज दर को देखते हुए ऋण उद्योग पहले जितना फायदेमंद होगा, इसमें संदेह है. हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर यह उद्योग किया जाए, तो फायदेमंद हो.

बैंकों का भविष्य

ऊपर उल्लिखित बिंदुओं को देखते हुए, यह समझना तो आवश्यक है कि बैंकों को अपनी रणनीतियां बदलनी होंगी और वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहना होगा. इसके लिए निम्न बिंदु आवश्यक है:-

* ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग अनुभव देने के लिए, अपनी उद्योग पद्धतियों को आसान बनाना.

* नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और उसके अनुसार अपनी क्षमताएं बढ़ाना.

* सक्रियता से जोखिम और पूंजी का प्रबंधन करना.

* अपनी फीस को अलग – अलग भागों में विभाजित कर, ग्राहक की सुविधानुसार उसे सेवा देना. ऋण को बेहतर तरीके से वापस लेना ताकि बैंक न केवल जीवित रह सके बल्कि ऊपर भी जा सके.

ग्राहकों के लिए विशिष्ट बैंकिंग अनुभव, जोखिमों और नियमों दोनों का बेहतर प्रबंधन, अत्याधुनिक तकनीक की मदद से गैर-बैंकिंग असंगठित संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करना, यही बैंकों का भविष्य है और तभी बैंक जीवित रह सकेंगे.

जागृति यादव
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय आगरा

वह मूर्खों में बड़ा मूर्ख है जो यह मानता है कि इस संसार में भारी सुख ही सुख है - समर्थ रामदास

देश के सांस्कृतिक विस्तार में हिंदी की भूमिका

भारत में प्राचीन काल से ही तीर्थाटन की परंपरा रही है. उत्तर भारत के बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम, तिरुपति, श्रीरंगम, श्रीरंगनाथ, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरै तक लोगों का आना जाना रहा है. उत्तर भारत के कुम्भ मेला, दक्षिण भारत मे कुम्भकोणम में महामख और गोदावरी के तट पर पुष्कर मेले में अन्य प्रदेशों के निवासी एकत्रित होते है जिनकी आपसी वार्तालाप का माध्यम हिंदी भाषा रहती है. भक्तिकाल में देशभर के भक्तों के बीच कबीर, तुलसी, मीरा आदि कवियों के पद प्रचलित थे. महाराष्ट्र के हरिकथा प्रवचन करने संतों द्वारा इन पदों का प्रचार सम्पूर्ण भारत में हिंदी भाषा में हुआ. 18वीं शताव्दी में शिवाजी के वंशज शरभोजी का राज्य तंजौर में स्थापित हुआ तब से उत्तर के विद्वानों, कलाकारों तथा भक्ति प्रचारकों का भी संचरण बढ़ गया. इन कारणों से हिंदी भाषा तथा भक्ति साहित्य का परिचय सम्पूर्ण भारत को मिलता रहा.

तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा सम्पूर्ण भारत में हिंदी भाषा में ही गाई जाती है. तमिलनाडु एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान तमिल और हिंदी भाषी मिलकर गीत गाते है:-

रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम.
ईश्वर अल्ला तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान..

भारत में सांस्कृतिक समारोहों में जो शास्त्रीय गीत गाये जाते हैं उनके मूल में मीराबाई, कबीरदास, सूरदास तथा तुलसीदास के भजन ही गाये जाते हैं. यथा-

रे मन मूरख जन्म गंवायो
यह संसार सुआ सेमर ज्यों,सुंदर देख लुभायो.

- सूरदास

काहे री नलिनी तू कुम्हलानी
तेरे नाल सरोवर पानी

- कबीरदास

मेरे तो गिरधर गोपाल दुसरो न कोय
सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना होय.

- मीराबाई

वर दे वीणा वादिनी वर दे
प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र रब भारत में भर दे.

- निराला

जिस प्रकार फोल्लोर के श्रद्धाराम फिलोरी की हिंदी की आरती सम्पूर्ण भारत के देव मंदिर में गायी जाती है उसी प्रकार महाप्राण सूर्यकांत निराला की कविता वीणा वादिनी वर दे भारत के विद्यामन्दिरों में गायी जाया करेंगी. जय जगदीश हरे से देव मंदिर की दीवारें गूँजती हैं, वीणा वादिनी वर दे से हर विद्या मंदिर की दीवारें गूंजा करेंगी. दक्षिण में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का आदर्श वाक्य ये है-

'एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो
एक हृदय हो भारत जननी'

जो प्रत्येक भारतीय से सम्पूर्ण राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषा हिन्दी को स्वीकार करने का आह्वान करता है. डॉ एस सुब्रमण्यम विष्णुप्रिया ने हिंदी प्रचार सभा गीत लिखा जो भारत की सांस्कृतिक सभ्यता के विकास में योगदान देता है-

राष्ट्रप्रेम की मधुर वाहिनी बनी है हिंदी न्यारी
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशा में प्यारी.
मातृ भूमि की मिट्टी की यह बनी है गन्ध सुहानी
बापू के सपनो की है यह कालजयी निशानी
दक्षिण भारत में हिंदी की धड़कन बनी सभा है
दक्षिण में हिंदी प्रचार का दर्पण बनी सभा है..

यह अनुभव किया गया है कि दक्षिण भारत में सांस्कृतिक विकास में दक्षिण के गायक कलाकारों के गाए हुए हिंदी गीतों का अप्रतिम योगदान रहा है. डॉ पी बी श्रीनिवास लिखते हैं-

बोल रे पपीहरा पपीहरा
नित मन तरसे नित मन प्यासा
वाणी जयराम
गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा
मैं तो गया मारा आ के यहां रे
येशुदास

मेरा चन्दा है तू मेरा सूरज हैं तू
मेरी आँखों का तारा है तू

दक्षिण की शास्त्रीय संगीत की गायिका श्रीमती एम एस सुब्बुलक्ष्मी हिंदी भजन गायन के कारण लोकप्रियता के शिखर पर पहुँच गई.

हिंदी गीत संगीत की ही भांति हिंदी नाट्य रंगमंच ने भी भारत के सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया है. उपेंद्र नाथ अश्क,उदयशंकर भट्ट, जगदीश चन्द्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंद दास, डॉ राम कुमार वर्मा, पंडित रामनरेश त्रिपाठी,मोहन राकेश और डॉ लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों और एकांकियों ने सांस्कृतिक विरासत को भारतीय जन मानस में ढाला है.

हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम जनमानस पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ते हैं. धरती के समस्त जीवों की अपनी एक भाषा होती है. यही भाषा उनकी भावनुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती हैं. भाषा सम्वेदनाओं को जोड़ने का आधार है. समय और परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने वाला व्यक्ति और भाषा की स्थिति समान होती है. भाषा एक राष्ट्र की पूरी संस्कृति की वाहिका होती है. हिन्द देश की सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषा हिंदी को भले ही अनेक नामों से पुकारा जाता रहा हो किंतु वह सदैव अपनी विरासत साथ लेकर चली.

डॉ इंद्रकुमार शर्मा
मुख्य प्रबंधक (सेवानिवृत्त)

हिंदी हमारी शान है

हिन्दी हमारी शान है, हिन्द की पहचान है।
भाषा की संवेदना का जिसमें भरा अभिज्ञान है।

तुलसी की अवधी की मिठास,
सुर की ब्रजी का मधुमास,
कबीरा की वाणी का प्रकाश,
हिंदी में मुखरित अनायास।

क्रांति की भाषा बनी,
आज़ादी की आशा बनी,
जन जन से मुखरित हो के यह,
जन जन की भाषा बनी।

हिंदी के उन्नयकों से इसने निज स्वरूप पाया है,
विशुद्ध नागरी इसे द्विवेदी जी ने बनाया है,
भारतेंदु जी के प्रयास से साहित्य की इंदु बनी।

मुंशी जी से इसने कहानी का मर्म पाया है,
आत्मबोध आत्मसंघर्ष निराला जी ने सिखाया है।
राष्ट्र शिशु की मातृ है जो, सभ्यता की धारित्री है जो
देकर अपने संस्कार का पय, करती पोषण है करित्री वो।
परंपरा की संरक्षिका, नवीनता की वाहिका,

विश्व पटल पर है गुंजित, जिसकी भाषा की भास्वरता।
शासन में जिसका स्थान है (राजभाषा के रूप में),
सहजीव्यता (विभिन्न विदेशी भाषा के शब्दों का हिंदी में समागम)
जिसकी पहचान है,
नमन मातृ हिंदी तुझको, तू मेरे हिन्द का स्वाभिमान है।

श्री गौरव चौबे
लिपिक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
शाखा लंका, वाराणसी

लेखा परीक्षा में राजभाषा

प्रस्तावना:-

ऐसा देखा गया है कि जब किसी विभाग के कामकाज में हिन्दी की प्रगति आशा के अनुकूल नहीं होती तो कहा जाता है कि विभाग का काम तकनीकी किस्म का है और उसमें होने वाले कामकाज के लिए उपयुक्त साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. अगर यह बात मान ली जाये तो हिन्दी का सरकारी कामकाज में प्रयोग होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि प्राय: प्रत्येक विभाग का काम अपने ढंग का तकनीकी काम है.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग ऐसी बात नहीं मानता हालांकि यदि इसके संगठन और इसकी कार्यप्रणाली को देखा जाये तो आश्चर्य होगा कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद उसमें हिन्दी की प्रगति कैसे हुई और कैसे हो रही है. इसके पहले कि इस बारे में और कुछ कहा जाये यह अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह बता दिया जाए कि राजभाषा आयोग ने इस विभाग के बारे में क्या कहा है.

"नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संगठन का मामला विशेष प्रकार का है और विशेष रूप से विचारणीय है." पहली बात विचार करने की यह है कि जब प्रत्येक राज्य एक या उससे अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को अपने राज्य की भाषा/भाषाएं मान लेता है तो क्या महालेखाकारों को राज्यों में किया गया लेखा कार्य एक समान भाषा में प्राप्त कराया जा सकता है. अगर ऐसी व्यवस्था हो जाये तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संगठन में न्यूनतम अव्यवस्था होगी. हम समझते है कि ऐसी व्यवस्था में कुछ कठिनाइयां हैं.

लेखा प्रशासन कार्य के बाई-प्रॉडक्ट हैं, राज्यों के प्रशासन कार्य में तो संभवत: केवल क्षेत्रीय भाषाएं ही अंग्रेजी का स्थान लेंगी. यद्यपि संविधान, विधान मंडलों को राज्यों के कार्य के लिये हिन्दी अपनाने का अधिकार देता है, तथापि यह कहना मुश्किल है और सच तो यह है कि यह संभावना नहीं है कि राज्यों के आपसी पत्राचार में और केन्द्र और राज्यों में पत्राचार में सांविधिक रूप से अपेक्षित पत्राचार को छोड़कर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षेत्र में हिन्दी अपनायी जाये. इसलिए राज्य को इस अपेक्षा को पूरा करना कठिन होगा कि हर स्तर पर जिससे महालेखाकार संबंधित है, लेखें हिन्दी में लिखे और रखे जाएं क्योंकि संबद्ध प्रशासनिक कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं होगा.

क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान:-

लेखा परीक्षा के लिए महालेखाकार को राज्य के अधिकारियों से काफी पत्राचार करना पड़ता है, और संबद्ध फाइलों को देखना पड़ता है जिसमें सचिवालय तथा अन्य कार्यालयों की फाइलों में टिप्पणियां भी क्षेत्रीय भाषा में होंगी. "इसलिए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जब कोई राज्य एक क्षेत्रीय भाषा को सरकारी भाषा मान ले तो भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के उन कर्मचारियों को जो उस राज्य के लेखा कार्य से संबद्ध हैं, उस क्षेत्रीय भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वे अपने कर्तव्य भली भांति निभा सकें."

विभिन्न राज्यों में इस विभाग के एक सौ (100) से अधिक कार्यालय तथा उप कार्यालय है. कार्यालयों का नियंत्रण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देश से उनके मुख्यालय द्वारा होता है परन्तु अधिकांश रूप से राज्यों के महालेखाकार विभागाध्यक्ष की हैसियत से अपने कार्यालयों का संचालन करते हैं. लेखापरीक्षक कार्य के सिलसिले में महा लेखाकार का संबंध मुख्यत: राज्य सरकार से होता है. तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों में वे नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय से संबद्ध हैं ही. कुछ मामलों में महा लेखाकार सीधे केन्द्र सरकार से सम्पर्क करते हैं. "क" क्षेत्र की भाषा हिन्दी है परन्तु "ख" और "ग" क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाएं हैं. अनेक राज्य सरकारों ने राज्य की क्षेत्रीय भाषा को उस राज्य की सरकारी भाषा माना है और सरकारी कामकाज उसी भाषा में करना आरम्भ कर दिया है. अतएव लेखापरीक्षा कार्य के लिए लेखापरीक्षकों को स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है. लेखापरीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का स्थानांतरण किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, अतएव लेखापरीक्षकों के कार्य पर उच्च स्तरीय

तकनीकी मार्गदर्शन एक अत्यन्त कठिन काम है, फिर भी उच्च अधिकारियों के परिश्रम से यह काम सुचारू रूप से चल रहा है.

सिविल महालेखाकारों के कार्यालयों के अलावा रेलवे लेखापरीक्षा विभाग, डाक-तार का लेखापरीक्षा विभाग तथा रक्षा सेवाओं के लेखापरीक्षा विभाग भी हैं. रेलवे लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं. डाक-तार और रक्षा सेवाओं के लेखापरीक्षा विभागों के मुख्यालय तो दिल्ली में है परन्तु उप कार्यालय सारे भारतवर्ष में है. इनकी भाषा समस्या कुछ अधिक जटिल है क्योंकि इनके निचले स्तर के अधिकारियों की सेवाएं भी स्थानान्तरणीय है. साथ ही साथ उनकी भाषा नीति भी संबंधित डाक-तार, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे की स्थानीय भाषा नीति पर अवलम्बित है. यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये तीनों विभाग केन्द्रीय सरकार के हैं. भिन्न-भिन्न स्तरों पर इनके भिन्न-भिन्न भाषा भाषी कार्यालयों का होना स्वाभाविक है. ऐसी परिस्थिति में लेखापरीक्षा विभाग का उनके साथ पत्र व्यवहार तथा मुख्यालयों का उप कार्यालयों तथा उप कार्यालयों का आपस में पत्र व्यवहार, केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के आदेशों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी खासी चुनौती है.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग इस ओर प्रयत्नशील है कि "क" क्षेत्र के कार्यालय में जहाँ जनभाषा और राज्य भाषा हिन्दी है, हिन्दी में काम काज करने की प्रवृत्ति अधिक से अधिक हो तथा "ख" और "ग" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजभाषा नियमों का पालन हो. विभाग इस बारे में भी प्रयत्नशील है कि नियमों के पालन में जो कुछ कमी रह गई है, वह भी दूर हो जाये, तथा सभी सामान्य आदेश आदि द्विभाषी रूप में जारी हों और हिन्दी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में जाए.

अनुवाद कार्य:-

मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यकतानुसार हिन्दी अनुभाग बनाये गये हैं. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अनुवाद का कार्य मुख्यत: ऑडिट रिपोर्टों का तथा सामान्य आदेशों का होता है. कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह साधारण पत्रों के प्रारूप मूलरूप से हिन्दी में ही बनायें.

सरकारी कामकाज में सरल भाषा का प्रयोग:

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इस बात पर बराबर जोर दिया जाता है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल होनी चाहिए और रोज की बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए. अगर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग आवश्यक हो और उससे अर्थ अधिक स्पष्ट हो तो उन्हें भी देवनागरी लिपि में लिखने में हिचकना नहीं चाहिए.

विदेश स्थित कार्यालय:

विभाग के विदेश स्थित कार्यालयों को भी उचित निर्देश भेज दिये गये हैं कि वे राजभाषा नियमों का पालन करें. आशा है जैसे-जैसे भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा, लेखा तथा लेखापरीक्षा के काम में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा.

भविष्य में प्रगति:-

उपरोक्त बातों से यह पता चलता है कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में हिन्दी के प्रयोग में सराहनीय वृद्धि हुई है. तथापि हिन्दी के प्रयोग के बारे में हमारे प्रयत्न निरन्तर जारी रहेंगे. जैसा कि सर्वविदित है, लेखापरीक्षा का काम मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों/संस्थानों और उपक्रमों के काम से सम्बद्ध होता है और इस विभाग में हिन्दी का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि ये मन्त्रालय, संस्थान आदि हिन्दी का कितना प्रयोग करते हैं. मेरा अपना विचार है कि सरकारी संस्थानों और उपक्रमों में हिन्दी का प्रयोग अत्यन्त सीमित है जबकि उन्हें हिन्दी के प्रयोग में सबसे तीव्र कदम उठाने चाहिए. ऐसा करने से एक बड़े व्यापक क्षेत्र में हिन्दी का विस्तार होगा. यही बात वित्त मंत्रालय पर भी लागू है. लगभग सभी जरूरी फाइलें वित्त मंत्रालय को किसी न किसी समय भेजी जाती हैं. अगर इन पर टिप्पणी या अशासकीय नोट हिन्दी में होने लगे तो सभी विभागों की हिन्दी में काम करने की झिझक दूर हो जाये तथा एक और क्षेत्र हिन्दी के काम के लिए खुल जाये जिसमें लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग भी शामिल है.

श्री हेमंत बागला
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

कर्म ही भाग्य का द्वार होते हैं.

संस्मरण - बैंकिंग व्यवसाय का आधार - हमारा सुमधुर व्यवहार

जून 2011 माह में सुबह के करीब 11 बजे होंगे, दोपहर की चिलचिलाती धूप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था कि एक युवती ने हमारे बैंक की गांधी ग्राम शाखा,कानपुर में प्रवेश किया और इधर-उधर झांकने लगी और उसे लगा कि शायद वह भूल से बैंक परिसर में आ गई है. शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए मेरा ध्यान उसकी ओर गया और इशारे से अपने केबिन में बुलाया तो उसने कहा कि वह गलती से बैंक परिसर में आ गई है. मुझे अपने पालतू कुत्ते के लिए बिस्कुट खरीदना था. चूंकि, गर्मी का मौसम था, मैंने प्यून से युवती के लिए एक गिलास पानी लाने को कहा और पास की दुकान से उसके कुत्ते के लिए बिस्कुट लाने के लिए प्यून को भेज दिया. युवती , बैंक मैनेजर के इस तरह के व्यवहार से विशेष प्रभावित हुई और बोली कि क्या बैंक मैनेजर भी इतने सामाजिक होते हैं. युवती की पोशाक और बातचीत मुझे ऐसा आभास हुआ कि वह किसी सम्भ्रांत घराने से है. इसी बीच प्यून उसके कुत्ते के लिए बिस्कुट पास की दुकान से ले आया. वह धन्यवाद देकर जाने लगी, लेकिन मैंने चलते-चलते उस युवती से निवेदन किया कि बैंकर्स भी एक सामाजिक और व्यवहार कुशल होते हैं, अगर आपको हमारे बैंक से किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा की आवश्यकता हो या हमारे बैंक में खाता खोलना चाहें, तो हमें प्रसन्नता होगी.

इस छोटी से घटना के 2 माह बाद अपने भाई को साथ लेकर बैंक-शाखा आई और उसके भाई ने रु.1.50 करोड़ की धनराशि से बचत खाता खुलवाया. इस घटना के बाद मेरी धारणा को बल मिला कि एक बैंकर्स होने के नाते हमें ग्राहकों के साथ सदैव सुमधुर व्यवहार करना चाहिए, कार्य की अधिकता का तनाव ग्राहक व्यवहार में आड़े नहीं आना चाहिए. इस प्रकार 25 वर्षों तक एक शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए अनेकों बार ग्राहकों के साथ स्पष्ट और सुमधुर व्यवहार के कारण बैंक जमा प्राप्त करने में हमेशा सफलता मिली और अच्छे ऋण आवेदकों को खोजने में सहायता मिली. हमें चीन में प्रचलित कहावत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जिसके चेहरे में मुस्कान न हो, उसे दुकान नहीं खोलना चाहिए एक बैंकर होने के नाते बैंक के रूप में एक खुली हुई दुकान पहले से मिल गई है, अब हमें अपने व्यवहार में असली न सही, नकली हंसी या मधुरता दिखानी चाहिए, क्यों कि एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है झुठमुठ करे तो सच्ची होए, सच्ची करे विरला कोय. सच्चा व्यवहार विरले व्यक्ति ही करते हैं. झूंठा व्यवहार करते-करते हमारे व्यवहार में सच्चाई आ जाती है. एक सर्वे के अनुसार ग्राहकों को आकर्षित करने में हमारा निश्छल व्यवहार सर्वाधिक प्रभावी होता है. हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए और यह सरलता हमारी बातचीत और कार्यप्रणाली में दिखनी भी चाहिए. सरलता, दिमाग की गुणवत्ता नहीं है बल्कि यह दिल की विशेषता है. हमें बैंक के नियमों के साथ-साथ ग्राहक के बारे में सदैव फायदे की बात करनी चाहिए. महाकवि गोस्वामी तुलसी दास जी ने रामचरित मानस में लिखा है -

"परहित बस जिन्ह के मन माहीं
तिन्ह कंहु जग कछु दुर्लभ नाहीं"

विनोद कुमार तिवारी
मुख्य प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर

भारतीय संस्कृति

संस्कृति - एक सभ्यता की पहचान. कैसे एक सभ्यता की संस्कृति का विकास होता है? कैसे एक समुदाय के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति का पालन करते है और उसे अपने वंशजो को सौपते है. यह सब बाते मन में एक प्रश्न को जन्म देती है कि क्या मानव जीवन में संस्कृति का इतना महत्व है? क्या जीवन की परिकल्पना संस्कृति के बिना अधूरी है?

परंतु संस्कृति का पूर्ण स्वरुप है क्या? कौन से कारक इसे बनाते है? कैसे मानव जीवन संस्कृति से जुडा हुआ है?

संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा की धातु 'कृ' (करना) से बना है. संस्कृति अर्थात् (परिष्कृत स्थिति) जब कोई भी वस्तु का स्वरुप परिष्कृत हो जाता है तो वो संस्कृत हो जाता है. अर्थात् उत्तम, बेहतर या सुधरी हुई स्थिति. किसी भी देश की संस्कृति का जन्म और विकास एक दिन में नहीं होता है : अलग-अलग कारक जो इसे प्रभावित करते है जब वो अपनी रूपरेखा में बदलाव करते है तो कहीं ना कहीं संस्कृति का स्वरुप भी बदलने लगता है. किसी भी क्षेत्र के रहन-सहन, वहाँ रहने वालो की भाषा, वेश-भूषा, उनके द्वारा मनाये जाने वाले त्यौहार, कला, साहित्य, वास्तु ये प्रत्येक अंग संस्कृति का स्वरुप तैयार करते है. एक और मुख्य तत्व जो किसी भी संस्कृति के स्वरूप को निहित करता है - भौगोलिक परिस्थितियां

भारत देश से बेहतर इस चीज का कोई उदहारण हो ही नहीं सकता : कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से मणिपुर तक हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को अचरज में डाल सकती है. पहाड़ों से लेकर समुद्र और तपते रेगिस्तान से लेकर घनी वर्षा क्षेत्र तक यहाँ सब मौजूद है. सबसे पहले शुरुआत करते है हमारे देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र से जो नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार जैसे देशों से घिरा हुआ है - इस क्षेत्र को सात राज्यों में बांटा गया है, इसलिए इन्हें "साथ बहनों" की उपाधि भी प्रदान की गई है. यह संस्कृति सम्पूर्ण भारतवर्ष से थोड़ी सी अलग दिखाई पडती है, बौद्ध धर्म की बहुलता, कठिन जीवन, बांस की खेती, आदिवासी जनजातियों की बहुलता इनकी एक अलग छवि को दर्शाती है. इस क्षेत्र में आज भी मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपना अद्भुत रिश्ता बना कर रखा है. यहाँ की जनजातियाँ (गारो, खासी, जयंतिया, नागा, कोम, मारा, कुकी, ज़ोमी, मिज़ो इत्यादि) अपने पौराणिक रीती-रिवाज़ों से जुड़े हुए है. शिकार और मार्शल आर्ट यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप है, कुछ फेस्टिवल जो यहाँ मनाये जाते है 1. हॉर्नबिल फ़ेस्टिवल (इसका नाम वहां के एक मुख्य पक्षी के नाम पर रखा गया है, इस फ़ेस्टिवल का मुख्य आकर्षण शिकार और मार्शल आर्ट रहते है. 2. बिहू (ये मुख्यत: असम में मनाया जाता है, इसके तीन प्रकार होते हैं - बोहाग बिहू -काति बिहू - माघ बिहू ये कृषि से संबंधित है. 3. म्योको फेस्टिवल (ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है) 4.वंगाला फेस्टिवल उत्तर-पूर्व में बहने वाली दो मुख्य नदियाँ : बराक और ब्रह्मपुत्र.

अब हम देखते है इसी के पूर्ण रूप से विपरीत हमारे देश का पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का क्षेत्र आता है, यहाँ की परिस्थितियां एक दूसरे से मिलती-जुलती होते हुए भी एक दूसरे से काफी भिन्न है. जहाँ एक ओर समुन्द्र गुजरात की सीमाओं को चिन्हित करता है वहीं दूसरी ओर राजस्थान की शान मरुस्थल और इसकी सीमाएं पाकिस्तान से सटी हुई है. सफ़ेद रण और वहाँ पर होने वाला रण महोत्सव, नर्मदा नदी पर मौजूद हमारे लौह पुरुष की सबसे बड़ी प्रतिमा पूरे विश्व में गुजरात की छवि को निखारता है वहीं दूसरी ओर राजस्थान के महान किले (चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, जंतर-मंतर इत्यादि), यहाँ का संगीत और नृत्य (कालबेलिया, घूमर, भवाई, चारी, कठपुतली नृत्य) पूरे विश्व से पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करते है. गुजरात के प्रमुख नृत्य गरबा, डांडिया आदि है. एक ओर गुजरात में गुजराती सबके मन की चहेती है वहीं राजस्थान में मारवाड़ी/धुनदारी/मालवी/मेवाती जैसी भाषाओं का आधिपत्य है. राजस्थान और गुजरात की वेशभूषा और खान-पान में भी कुछ हद तक समानता झलकती है. इसी कारण कहा जाता है कि एक जगह की संस्कृति कहीं ना कहीं उस जगह की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है. परंतु इनसे भी भिन्न कुछ कारक होते है, जो एक लंबे समय तक विद्यमान रहने के कारण उस जगह की सांस्कृतिक संपदा

में समा जाते है, महाराष्ट्र से कुछ ही दूर स्थित है हमारा तटीय राज्य "गोवा" लेकिन जब हम वहां की संस्कृति पर नज़र डालते है तो पाते है कि वो अपने निकतम प्रदेश से बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि गोवा पर एक लम्बे समय तक पुर्तगालियों का शासन रहा, और भारतीय इतिहास में भी गोवा विदेशी शासन से मुक्त होने वाला अंतिम राज्य रहा, इसी कारण आज भी वहां विदेशी सभ्यता की छाप दिखाई देती है - जीवन यापन के लिए मछली पकड़ने से लेकर शराब सेवन तक, और पुराने इतिहास का वर्तमान में अहसास कराती - वहां की इमारतें, जिनकी पश्चिमी निर्माण शैली उस समय की गाथाएँ सुना रही है.

भारत को जब भी हम परिभाषित करते हैं तो कहते है - कश्मीर से कन्याकुमारी तक (हमारी भौगोलिक विशेषता और विषमता के साथ अखंडता का समावेश) हमारे दक्षिणी राज्य : वनों, समुद्र, वनस्पति, पठार, पहाड़ों से वशीभूत है. ये पूरा क्षेत्र सांस्कृतिक संपदा में बहुत ही समृद्ध है. भारत के इस हिस्से में आने वाले राज्य तमिलनाडु. केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, (हमारे पश्चिमी और पूर्वी घाट) इत्यादि हमारी समुंद्री सीमाओं को चिन्हित करते है. अधिक वर्षा होने और पहाड़ी होने के कारण यहाँ पर अधिकतर मसालों की खेती रोज़गार का एक मुख्य जरिया है यहाँ दक्षिण को सांस्कृतिक पहचान यहाँ के मंदिरों और कलाकृतियों से मिलती है. तंजावुर, जगन्नाथ, वृदधेश्वर, पैगोडा यही से जुड़ें है और हर स्थल की अपनी अलग विशिष्टताएं है. हमारी सबसे पुरानी भाषा - संस्कृत का जन्म भी यहीं से माना जाता है, संस्कृत के अलावा तमिल भी उतनी ही पुरानी भाषा है और वर्तमान में भी अपना अस्तित्व बना कर रखे हुए है. यहाँ के मुख्य त्यौहार जैसे ओणम, जल्लीकट्टु, पोंगल, इत्यादि हैं. हमारे देश में सबसे पहले नौसेना भी यहाँ के राजाओं ने ही शुरु की थी. अरब महासागर और हिंद महासागर यहाँ की सीमाओं की रक्षा करते है. लक्ष्यद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यही स्थित है. यहाँ पर पाई जाने जनजातियों को सरकार आरक्षण प्रदान करती है. शैवाल से बने ये द्वीप अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है.

भारत के हर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषता एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न है, परंतु "अनेकता में एकता" विश्व पटल पर यही हमारी पहचान है.

भाषाएँ, रंग-रूप और संस्कृतियाँ है अनेक

पर रहते जहाँ मिल-जुलकर वो है मेरा भारत देश

ओम प्रकाश तेली
उप -क्षेत्रीय प्रमुख लुधियाना

हिंदी है इस देश की भाषा

हिंदी है इस देश की भाषा, इंग्लिश भी कुछ न्यारी है,
सब भाषाओं में हिंदी, ही लगती सबको प्यारी है.
कवियों ने अपनी कविता में हिंदी भाषा अपनाई है,
तुलसी, सूर कवीर जायसी हिंदी का विगुल बजाया है.
गांधी तिलक सुभाष नेहरु आशा ने रुप संवारी है,
हिन्दी दिवस के अवसर पर सकंल्प एक दुहराना है.
हिंदी भाषा मे कार्य करे यह सवको आज बताना है ,
दिवाकर के भाव स्वीकार करें.
यह छोटी अर्ज हमारी है,
सब भाषाओ मे हिंदी ही लगती सबको प्यारी है.
तुलसी के मानस ने जग मे
अपना इतिहास बनाया है मैथिली ,
प्रसाद कि ज्ञान ज्योति एक महाकाव्य कहलाया है
इसको देना है मूर्त रुप
जो सब जन के हितकारी है
सब भाषाओं में हिंदी, ही लगती सबको प्यारी है.

श्रीमती प्रीति भारती
सहायक प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा

भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृतियाँ एवं राजभाषा

कई अन्य देशों की तरह भारत में बैंकिंग क्षेत्र आर्थिक स्थिरता और विकास के स्तम्भ के रूप में खड़ा है. अपनी विशाल और विविध आबादी के साथ, भारत की बैंकिंग परिदृश्य अपने नागरिकों की लगातार बदलती जरूरतों और तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुई है. इसके साथ ही, भाषा की भूमिका, विशेषकर देश की आधिकारिक भाषा, बैंकिंग परिचालन और सेवाओं की गतिशीलता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है. यह निबंध भारतीय बैंकिंग में आधुनिक रुझानों और इस संदर्भ में आधिकारिक भाषा के महत्व के बीच जटिल संबंधों की पड़ताल करता है. यह भारत में बैंकिंग के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डालता है, पारंपरिक धन उधार प्रथाओं से आज के डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत परिदृश्य में इस क्षेत्र के परिवर्तन पर प्रकाश डालता है. ऐसा करने में, इसका उद्देश्य इस बात की व्यापक समझ प्रदान करना है कि बैंकिंग कैसे विकसित हुई है और अपने विविध ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित हुई है. इस अन्वेषण के केंद्र में भाषा का केंद्रीय विषय निहित है - भारत की आधिकारिक भाषा और देश भर में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं की बहुलता. भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिक बैंकिंग सेवाओं तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें और उनका उपयोग कर सकें. बैंकिंग क्षेत्र में संचार के लिए भाषा का चुनाव ग्राहक जुड़ाव, वित्तीय साक्षरता और समग्र ग्राहक संतुष्टि पर गहरा प्रभाव डालता है. इसलिए, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में भाषा की भूमिका, इसके प्रचार-प्रसार और इसकी चुनौतियों की जांच करना सर्वोपरि हो जाता है. भारतीय बैंकिंग का ऐतिहासिक संदर्भ इस क्षेत्र के विकास को समझने के लिए मंच तैयार करता है. भारत के वित्तीय इतिहास का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है जब धन उधार देने और व्यापार की स्वदेशी प्रणालियाँ विकसित हुईं. जैसे-जैसे देश आधुनिकीकरण की ओर बढ़ा, ये अनौपचारिक प्रणालियाँ धीरे-धीरे बैंकिंग के अधिक संरचित रूपों में विकसित हुईं. 1935 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को शीर्ष नियामक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे वित्तीय प्रणाली में कुछ हद तक केंद्रीकरण और विनियमन लाया गया. हालाँकि, 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत में भारतीय बैंकिंग वास्तव में बदल गई. प्रौद्योगिकी के आगमन और डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग के एक नए युग की शुरुआत की. इस युग में डिजिटल बैंकिंग का उदय हुआ, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सहित कई सेवाओं की शुरुआत हुई. ग्राहक अब अपने खातों तक पहुंच सकते हैं, लेनदेन कर सकते हैं और अपने घर से या कहीं भी यात्रा करते समय बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. स्मार्टफोन की सर्वव्यापकता और इंटरनेट कनेक्टिविटी ने डिजिटल बैंकिंग को अपनाने में और तेजी ला दी है.

भारतीय बैंकिंग का ऐतिहासिक संदर्भ

भारतीय बैंकिंग का एक समृद्ध ऐतिहासिक संदर्भ है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है. भारत में बैंकिंग काफी हद तक विकसित हो चुकी है, धन उधार देने और व्यापार करने की स्वदेशी प्रणालियों से लेकर आधुनिक बैंकिंग प्रथाओं तक जो हम आज देखते हैं. 1935 में स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारत में शीर्ष बैंकिंग संस्थान है, जो देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है.

भारतीय बैंकिंग में आधुनिक रुझान

भारत में बैंकिंग क्षेत्र ने हाल के वर्षों में कई आधुनिक रुझानों और परिवर्तनों का अनुभव किया है. इन रुझानों ने बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी, पहुंच और प्रबंधन के तरीके को नया आकार दिया है. ये आधुनिक रुझान निम्न प्रकार है :

- डिजिटल बैंकिंग: डिजिटल बैंकिंग ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है. इसमें ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और विभिन्न बैंकिंग कार्यों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है. ग्राहक अब अपने खाते की शेष राशि की जांच कर सकते हैं, वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई): यूपीआई एक अनूठी भुगतान प्रणाली है जिसने भारत में काफी लोकप्रियता हासिल की है. यह उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल ऐप का उपयोग करके तत्काल धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच वित्तीय लेनदेन में आसानी सुनिश्चित होती है.

- डिजिटल लेंडिंग: डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म भारतीय बैंकिंग में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में उभरे हैं. बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक ऋण प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है.

- डिजिटल भुगतान: भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से प्रचलित हो गया है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट और यूपीआई का उपयोग करके कैशलेस लेनदेन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की खरीदारी के लिए आदर्श बन गया है.

- माइक्रोफाइनेंस और वित्तीय समावेशन: माइक्रोफाइनेंस संस्थानों ने आबादी के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वित्तीय समावेशन पहल का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में भी सभी नागरिकों को बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है.

- फिनटेक स्टार्टअप: भारत में फिनटेक क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जिसमें स्टार्टअप नवीन और प्रौद्योगिकी-संचालित वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं. इन स्टार्टअप्स ने अनुकूलित और उपयोगकर्ता के अनुकूल वित्तीय समाधान प्रदान करके पारंपरिक बैंकिंग को बाधित कर दिया है.

- परिसंपत्ति प्रबंधन और म्यूचुअल फंड: भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग तेजी से विस्तारित हुआ है, जो व्यक्तियों को निवेश के कई विकल्प प्रदान करता है. परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने सुविधाजनक और कागज रहित निवेश के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किए हैं.

- रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए): बैंक अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करने और मैन्युअल प्रक्रियाओं को कम करने के लिए आरपीए को तेजी से अपना रहे हैं. आरपीए विभिन्न बैंकिंग कार्यों में दक्षता, सटीकता और लागत-प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करता है.

- वित्तीय साक्षरता: वित्तीय साक्षरता को प्रमुखता मिली है क्योंकि व्यक्ति अपनी वित्तीय भलाई को बेहतर ढंग से समझना और प्रबंधित करना चाहते हैं. आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

- साइबर सुरक्षा: डिजिटल बैंकिंग के विकास के साथ, साइबर सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है. ग्राहक डेटा की सुरक्षा और साइबर हमलों को रोकने के लिए बैंक उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश कर रहे हैं.

जबकि भारतीय बैंकिंग में आधुनिक रुझानों और आधिकारिक भाषा की भूमिका पर चर्चा के लिए एक पाठ्य निबंध प्रारूप अधिक उपयुक्त है, मैं आपको एक सरलीकृत तालिका प्रदान कर सकता हूं जो भारतीय बैंकिंग में कुछ प्रमुख आधुनिक रुझानों का सारांश प्रस्तुत करती है. कृपया ध्यान दें कि यह तालिका एक संक्षिप्त अवलोकन है, और वास्तविक बैंकिंग परिदृश्य कई अतिरिक्त रुझानों और उप-प्रवृत्तियों के साथ अधिक जटिल है.

भारतीय बैंकिंग में राजभाषा की भूमिका

भारत की राजभाषा बैंकिंग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के नियमों और शर्तों को समझें, बैंकिंग में प्रभावी संचार आवश्यक है. भारतीय बैंकिंग के निम्नलिखित पहलुओं में आधिकारिक भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:

- ग्राहक सेवा: भारत में बैंक विविध भाषाई आबादी को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं सहित कई भाषाओं में ग्राहक सेवा प्रदान करने का प्रयास करते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक बैंकिंग सेवाओं तक उस भाषा में पहुंच सकें जिसमें वे सहज हों, जिससे उनका समग्र बैंकिंग अनुभव बेहतर हो.

- कानूनी दस्तावेज़ और समझौते: ऋण समझौतों, खाते के नियम और शर्तों और प्रकटीकरण सहित सभी कानूनी दस्तावेज़ आम तौर पर कई भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक अपने वित्तीय लेनदेन से जुड़े नियमों

और दायित्वों को पूरी तरह से समझते हैं.

- बैंकिंग फॉर्म और आवेदन: बैंकिंग फॉर्म और आवेदन विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों के लिए खाता खोलने, ऋण आवेदन और अन्य बैंकिंग लेनदेन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भरना आसान हो जाता है.

- वित्तीय शिक्षा: ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों, निवेश विकल्पों और बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए बैंक अक्सर स्थानीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं. यह व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार देता है.

- सरकारी पहल: भारत सरकार बैंकिंग क्षेत्र सहित आधिकारिक संचार में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देती है. समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग सेवाओं से संबंधित सरकारी योजनाएं और पहल अक्सर कई भाषाओं में उपलब्ध होती हैं.

- प्रशिक्षण और विकास: बैंक कर्मचारियों को उन ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए कई भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाता है जो आधिकारिक भाषा, जो आमतौर पर अंग्रेजी या हिंदी है, में कुशल नहीं हो सकते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को उनकी पसंद की भाषा में सहायता और जानकारी प्राप्त हो.

बैंकिंग में राजभाषा के लिए सरकारी सहायता

भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र और आधिकारिक संचार में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं. इस संबंध में कुछ प्रमुख पहल और नीतियां निम्नलिखित हैं:

- राजभाषा अधिनियम, 1963: राजभाषा अधिनियम, 1963, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को अनिवार्य बनाता है. हालाँकि, यह आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की भी अनुमति देता है.

- बैंकिंग परिचालन की भाषा: विभिन्न राज्यों में कार्यरत बैंकों को बैंकिंग परिचालन, संचार और रिकॉर्ड रखने के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक है. यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक अपनी पसंदीदा भाषा में बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकें.

- भाषा कार्यान्वयन समितियाँ: बैंकों को आधिकारिक भाषा नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भाषा कार्यान्वयन समितियाँ (LIC) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. एलआईसी आधिकारिक भाषा के उपयोग की निगरानी करती है और सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है.

- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: ग्राहकों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को अपने कर्मचारियों को भाषा प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है. क्षेत्रीय भाषाओं में कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

- भाषा प्रचार अभियान: सरकार बैंकिंग और आधिकारिक संचार में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भाषा प्रचार अभियान चलाती है. ये अभियान भाषाई विविधता के महत्व पर जोर देते हैं.

- प्रोत्साहन और पुरस्कार: राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले बैंकों को सरकार द्वारा मान्यता और पुरस्कार दिया जाता है. यह बैंकों को अपने परिचालन में क्षेत्रीय भाषाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है.

चुनौतियाँ और विचार

जबकि बैंकिंग क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना समावेशिता और प्रभावी संचार के लिए महत्वपूर्ण है, यह कुछ चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है:

- भाषा विविधता: भारत अनेक भाषाओं और बोलियों वाला एक भाषाई विविधता वाला देश है. सभी क्षेत्रीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

- मानकीकरण: भ्रम और गलत व्याख्या से बचने के लिए विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग में मानकीकरण बनाए रखना आवश्यक है.

- तकनीकी एकीकरण: क्षेत्रीय भाषाओं को डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों और एटीएम में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी निवेश और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है.

- स्टाफिंग और प्रशिक्षण: बैंकों को अपने कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण में निवेश करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ग्राहकों के साथ विभिन्न भाषाओं में प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें.

- नियामक अनुपालन: बैंकों को क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग से संबंधित जटिल नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं.

- ग्राहक जागरूकता: यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक अपनी पसंदीदा भाषा में बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के प्रति जागरूक और सहज हों, भाषा संवर्धन पहल की सफलता के लिए आवश्यक है.

ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं और तकनीकी प्रगति के जवाब में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है. बैंकिंग में आधुनिक रुझान, जैसे डिजिटलीकरण, फिनटेक नवाचार और वित्तीय समावेशन प्रयासों ने उद्योग को नया आकार दिया है. साथ ही, भारत की आधिकारिक भाषा बैंकों और ग्राहकों के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बैंकिंग क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों से पहुंच और समावेशिता बढ़ी है. ग्राहक अब अपनी पसंदीदा भाषा में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैंकों से जुड़ सकते हैं. सरकारी संचार में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने में सरकार का समर्थन और नीतियां महत्वपूर्ण रही हैं. जैसे-जैसे भारत आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन की दिशा में अपनी यात्रा जारी रख रहा है, यह जरूरी है कि बैंकिंग क्षेत्र ग्राहकों को उनकी पसंद की भाषा में सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध रहे. यह न केवल भाषाई विविधता के सिद्धांतों के अनुरूप है बल्कि अधिक समावेशी और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग वातावरण में भी योगदान देता है.

श्रीमती कोमल कटारिया
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3)3 के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागज़ात		
1	सामान्य आदेश	General Orders
2	संकल्प	Resolution
3	परिपत्र	Circulars
4	नियम	Rules
5	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/Communiques
7	संविदाएं	Contracts
8	करार	Agreements
9	अनुज्ञप्तियां	Licences
10	निविदा प्रारुप	Tender Forms
11	अनुज्ञा पत्र	Permits
12	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13	अधिसूचनाएं	Notifications
14	संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

राजभाषा हिन्दी

हिन्दी को राजभाषा का दर्जा:

भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है और इसे राजभाषा का दर्जा 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा दिया गया था. अत: प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है.

वैसे तो भारत देश में बहुत भाषायें बोली जाती हैं परन्तु हिन्दी भाषा का अपना ही एक महत्व है जिसके कारण यह लोगों के हृदय में एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए है, क्योंकि पूर्व में काफी लम्बे समय से हिन्दी भाषा का उपयोग होता आ रहा है. भक्तिकाल में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक चारों दिशाओं में अनेक सन्तों द्वारा हिन्दी भाषा में ही रचनाएं की गयी हैं.

स्वतंत्रता के समय के राजनेताओं जैसे राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाषा चन्द्र बोस, सुब्रमण्यम् भारतीय आदि द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का सपना देखा गया था. अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने के कारण हिन्दी को महात्मा गांधी ने 1917 में गुजरात के सम्मेलन में राजभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए ज़ोर दिया था.

राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा:

समाज में जिस भाषा का प्रयोग करके एक बहुतसंख्यक लोग अपने विचार प्रकट करते हैं और उस भाषा का प्रभाव क्षेत्र और अधिक विस्तृत होकर पूरे राष्ट्र में फ़ैल जाता है तब वह भाषा “राष्ट्रभाषा” कहलाती है, अर्थात राष्ट्रीय भाषा का अर्थ उस भाषा से है जिस भाषा का उपयोग करके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है. जिस भाषा का इस्तेमाल राजकीय कार्यों में किया जाता है उसी भाषा को राजभाषा कहा जाता है.

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी द्वारा परिभाषित “राजभाषा” की परिभाषा इस प्रकार है- “जिस भाषा का प्रयोग केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकार द्वारा पत्र-व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा-पढ़ी में किया जाये उसे राजभाषा कहा जाता है.”

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी:

हिन्दी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है यह करीब 11वीं शताब्दी से ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है. उस समय भले ही राजकीय कार्य संस्कृत, फरासी, अंग्रेजी में होते रहे हों परन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र में आपसी सम्पर्क, संवाद-संचार, विचार-विमर्श, जीवन-व्यवहार का माध्यम हिन्दी ही रही है. चाहे वो पत्रकारिता का, स्वाधीनता संग्राम का क्षेत्र क्यों न हो हर जगह हिन्दी ही जनता के विचार-विनिमय का साधन बनी है.

अतीत के महापुरुषों जैसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी जैसों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से ही सम्पूर्ण राष्ट्र से सम्पर्क किया और सफलता हासिल की इसी के कारण आजादी के पश्चात संविधान सभा द्वारा बहुमत से “हिन्दी” को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय किया था.

जैसे-जैसे भाषा का विस्तार क्षेत्र बढ़ता जाता है वो भाषा उतने ही अलग-अलग रूप में विकसित होना शुरू हो जाती है, यही हाल हिन्दी भाषा के साथ हुआ क्योंकि यह भाषा पहले केवल बोलचाल की भाषा में ही सीमित थी. उसके बाद वह साहित्यिक भाषा के क्षेत्र में इसका विकास हुआ फिर समाचार-पत्रों में “पत्रकारिता हिन्दी” का विकास हुआ “खेलकूद की हिन्दी”, “बाजार की हिन्दी” भी सामने आई.

अत: अपने लगातार विकास के कारण स्वतंत्रता के बाद हिन्दी, भारत की राजभाषा घोषित की गई तथा उसका प्रयोग कार्यालयों में होने लगा और एक राजभाषा का रूप विकसित हो गया. “राजभाषा” भाषा के उस रूप को कहा जाता है जो राजकाज में प्रयुक्त की जाती है.

स्वतंत्रता के बाद राजभाषा आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाया जाए. इस निर्णय के बाद ही संविधान ने इसे राजभाषा घोषित किया था. प्रादेशिक प्रशासन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखन्ड राजभाषा हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही दिल्ली में भी इसका प्रयोग हो रहा है और केन्द्रीय सरकार भी अपने अनेक कार्यों में इनके प्रयोग को बढ़ावा दे रही है.

राजभाषा हिन्दी की विशेषताए:

- अन्य भाषाओं के शब्द हिन्दी भाषा में भी समाहित है.
- इस भाषा को समझना और सीखना आसान है.
- इस भाषा को अल्प काल में ही लिखना-पढ़ना सीखा जा सकता है.

- इस भाषा को जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है यही इसकी मुख्य विशेषता है.
- इस भाषा को संस्कृत भाषा की बेटी कहा जाता है.
- इसके साहित्य का क्षेत्र भी विशाल है.

हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए संघर्ष व इतिहास:

हिन्दी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और अन्य द्वारा कई आंदोलन किये गये. सन 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पहला प्रयास किया गया, इन्होंने ही हिन्दी को जनमानस की भाषा भी बताया था.

इस विचार पर सन 1949 में काफी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, उसके बाद 26 जनवरी, 1950 को हमारे देश का संविधान बना.

उस संविधान में इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसे भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में निहित किया गया साथ ही बताया गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी.

14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने के कारण इस दिन को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है, परन्तु हिन्दी को राजभाषा के रूप में चुने जाने के कारण गैर हिन्दी भाषी राज्य खासकर दक्षिण भारत के लोगों ने इसका विरोध किया परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा.

राजभाषा हिन्दी के विकास के लिये कार्य:

हिन्दी भाषा का विकास और प्रसार करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ के कर्तव्य के रूप में राज्य को यह निर्देश दिए गये हैं कि वो हिन्दी भाषा भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने और उनका विकास करें.

इसके प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. जिसमें हिन्दी निबंध लेखन, वाद-विवाद, हिन्दी टंकण आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. सरकार द्वारा भी हिन्दी दिवस से सम्बंधित आयोजन बड़े पैमाने पर किये जाते हैं और इन आयोजनों पर अच्छी-खासी रक़म भी खर्च की जाती है. सामान्यत: हर सरकारी अर्ध-सरकारी संस्थान हिन्दी दिवस पर कोई न कोई आयोजन करता है. इस अवसर पर कई पुरस्कार भी वितरित किये जाते हैं.

हिन्दी भाषा की अजीब विडम्बना:

वैसे तो भारत देश की राजभाषा के रूप में हिन्दी बोली जाती है. राजभाषा होने के बावजूद हिन्दी बोलने-लिखने वालों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है जिसके कारण एक हिन्दी बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है.

शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश के समय अंग्रेजी भाषा का बोल-बाला देखने को मिलता है चाहे वो एडमिशन के लिए हो या फिर किसी जॉब के लिए न जाने कितनी बार ही फिल्मों में काम करने वाले कलाकार जब कभी फिल्म के बारे में या अपने बारे में कोई इंटरव्यू देते हैं तो उनकी भाषा आमतौर पर अंग्रेजी ही होती है.

सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होने के बावजूद, हिन्दी को आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि इससे कहीं कम बोली जाने वाली अरबी और फ्रेंच भाषाओ को यह सम्मान हासिल है.

ऐसा क्यों? शायद हमने ही हिन्दी को वो सम्मान और स्थान नहीं दिया जो उसे दिया जाना चाहिए तो फिर दूसरों से कैसे समर्थन की उम्मीद रखें. यदि हम चाहते हैं कि हिन्दी भाषा का सम्मान और स्थान बना रहे तो हमें अंग्रेजी की तरफ ज्यादा आकर्षित न होकर हिन्दी को उसका सम्मान दिलाने का प्रयास करना चाहिए तभी हम हिन्दी भाषा को आने वाले समय में राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त है उसे निरंतर रख पाएंगे.

निष्कर्ष:

राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हिन्दी भाषा लोगों के बीच से कहीं-न-कहीं गायब होती जा रही है और अंग्रेजी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है. यदि स्थिति इसी प्रकार रही तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हमारी राजभाषा हिन्दी हमारे बीच से ओझल हो जाएगी.

यदि हम सच में चाहते हैं कि हिन्दी भाषा का प्रभुत्व राजभाषा के रूप में बना रहे तो हमें इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना होगा. सरकारी कामकाज में हिन्दी को प्राथमिकता देनी होगी तभी हिन्दी भाषा को जिंदा रखा जा सकता है और इसका प्रभुत्व भी कायम रहेगा.

ईशू चन्द्रा
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

Audit Functions in Bank

The financial landscape of the world is constantly evolving and with the digital transformation accelerating the pace of evolution, Banks are now fraught with a wide range of Challenges and various Risks such as Operational Risk, People Risk, Credit Risk, Legal & Regulatory Risk, etc. Therefore it becomes incumbent on the Banks to strengthen the firewalls of their Systems effectively and pro-actively to remain insulated from these Risks and Challenges.

As Bank deals with Public Moneys, it is regarded as a sensitive domain within a compliance heavy eco-system. Various Regulators (Reserve Bank of India, IRDA, SEBI etc.) issue the Regulatory framework for functioning of Banks. These Regulations are built to strengthen the structure of the Banks and to protect the interest of all Stakeholders (Investors, Depositors, Employees).

The Internal Policies of the Banks are designed in alignment with these Statutory Regulations and it is binding on the employees to perform the various Banking functions in conformity to these Regulations/ guidelines of the Bank. Audit is the mechanism to ensure that the Bank's Internal Controls are effective and that the Bank is functioning within the ambit of the laid down guidelines.

WHAT IS AUDIT

Audit as per dictionary is 'Official examination of the present state of something' or 'the process of reviewing and confirming'. Auditing in Accounting is a 'Thorough examination of a Company's Financial Statements to ensure that the financial records are fair and accurate'.

BACKGROUND OF AUDITING

Account keeping and Auditing date back to thousands of years ago and can be traced to ancient civilisations. Historical evidence of money and auditing systems are found in ancient India, Egypt, Mesopatamia, Babylon etc. The Vedas contain references to accounts and auditing. Chanakya (375 BC to 283 BC) has given a detailed definition/narration of Books of Accounts for the State, Tax Collection and Auditing of Public Finances in his book 'Arthashasthra'.

Historically, auditing was concerned with accounting for government activities and reviewing the work done by Tax Collectors. Gradually, the objective of Auditing extended from Tax Collection for the State to Protection of Investor Funds.

During the Industrial Revolution in the mid1700s to the mid1800s, responsibility of running an Organisation was passed from Owners to Managers, thereby necessitating the requirement of Auditors. Auditors were independent of the Management who not only examined for errors in accounting but also investigated for any creative accounting within the records. Such deliberate errors done for achieving personal financial gain was construed as a fraudulent activity.

With increase in volumes, physical examination of all transactions became a stupendous task, and therefore the concept of Sample testing slowly came into practice in the early 1700s, to make the auditing exercise economically viable. This practice is still central to audit today.

The original objective of auditing was to detect and prevent errors and frauds. However, after Industrial Revolution in the 18th Century, with the growth of Joint Stock Companies where Ownership and Management became distinct and disconnected, the focus of Audit functions shifted from detection of errors and frauds to providing credibility to the Financial Statements prepared by the Companies. The audited information is then used in the decision-making process by the Investing Public, Creditors etc., on the assumption that it is reasonably complete, accurate and unbiased.

In India, Audit Regulations require businesses to comply with various types of Audits governed by different Acts or Statutes such as - Statutory Audits, Internal Audits, Secretarial Audits and Cost Audits under the Companies Act, 2013, Tax Audits under Section 44AB of the Income-Tax Act, 1961, GST Audit as per Goods and Services Tax (GST) Law in 2017.

Besides these Mandatory Audits, Organisations voluntarily undertake Internal Audits. Internal Audit is an independent, objective assurance and

consulting activity designed to add value and improve an Organisation's Operations. Further, it brings a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of Risk Management, Control, and Governance Processes. An Internal Audit encompasses assessment of the efficiency of the Internal processes such as working standards of employees, optimal usage of resources, examining the accounting methods and processes and Regulatory compliances.

There are various types of Internal Audits that Organisations conduct such as Financial Audit, Operations Audit, Quality Audit, HR Audit, Information & System Audit, Compliance & Regulatory Audit etc.

AUDIT AND BANKS

The Basel Committee has set out 2 core principles for effective Banking Supervision and Risk Mitigation which are:

» Effective Internal Controls

» Internal Audit

In line with these Core Principles, Reserve Bank of India subjects the Banks to Onsite and Offsite monitoring. Audit is one of the Onsite Monitoring Tools of the Regulator. Banks are subject to regular Statutory Audit by RBI. Besides Statutory Audits, RBI also inspects Banks to check the Compliance levels of Regulations regarding Foreign Exchange, Customer Service etc. In addition, various Internal Audits are mandated by the Regulator to ensure better house-keeping, to assess the level of compliance to various Regulatory guidelines and most importantly to protect the Stake holders' (State, Private Investors, Depositors) funds.

STATUTORY AUDIT AND INTERNAL AUDIT

While Statutory Audit is done annually to form an opinion on the Financial Statement of the Company, an Internal Audit is done basically to prevent and detect errors and frauds. Statutory Auditors are appointed by the shareholders of the Company while Internal Auditors are appointed by the Management of the Company.

Statutory Audit in Banks are done by External Auditors empanelled by RBI. This audit will be focussed on the Regulatory compliances and accuracy of reporting of the Bank in the Financial Statements which include the IRAC and Provisioning compliances.

Internal Auditing in Banks plays a pivotal role in safeguarding the Bank against the various Risks. The Primary role of Internal Audit is to:

- Ensure that Bank is meeting with all the Regulatory requirements
- Detect frauds and financial crimes such as money laundering, terrorist financing, embezzlement
- Identify potential weaknesses in the Internal Controls so as address them to prevent fraudulent activities
- Identify operational inefficiencies and recommend for improvement to increase Efficiency, reduce Costs, improve Customer Satisfaction and increase profitability.

VARIOUS TYPES OF INTERNAL AUDITS IN BANKS

- Risk Based Internal Audit (RBIA) – This is a regular, periodic Internal Audit of all Branches/Offices of the Bank to assess the Business Risk and Control Risk of the Branches/Controlling offices etc.
- Management Audit – This is the Audit of the operations of Controlling Offices such as Regional office, Zonal Office, Central Office, Training Centres, etc.
- Concurrent Audit – Concurrent Audit is mandated by the Regulator to cover minimum 50% of the Business of the Bank. Audit firms are empanelled by the Bank for performing the Concurrent Audit function in Branches selected in descending order of advances to cover minimum 50% of aggregate business and 50% each of deposits and advances of Bank. Concurrent audit of SSBs, CPAC, Integrated Treasury branch, CBS, BSD and Digital payments and Transaction banking department also will be done.
- Revenue Audit – This Audit is to check for any Revenue Leakage. i.e. Excess Interest paid in Deposit accounts, Short Interest collected in Loan Accounts, any omission or short paid service charges, etc. Besides being a part of the RBIA, Concurrent Audit, Special Revenue Audits, Offsite monitoring of Revenue Leakage are also done . The revenue leakages that are detected during the various audits are recovered based on the Audit

findings by the Branches.

- Compliance Audit – This Audit is done to recheck whether the branch/office has rectified the irregularities pointed out in the audit report, as reported/claimed by the Auditee in his/her compliance report.
- Special Audit - Head of Internal Audit (HIA) may consider 100% audit/special audit/100% verification etc. of Branch/Office on the recommendation of FGM/ZM or In-charge of ZAO, suo motto, whenever warranted.
- Snap Audit – This Audit will be conducted by ZAO at the request of FGM/ZM when a delegated authority of branch/RO/ZO tenders resignation/VRS. ZO shall inform ZAO at least 30 days in advance. Snap audit will be closed at ZACE prior to acceptance of resgination/VRS.
- Credit Audit - This Audit is done to confirm that the Documentation, Charge Creation processes have been completed properly in Borrowal accounts (fresh sanctions and/or enhancements and restructured accounts with cut off limit Rs.50 lakhs and above Fund based+Non Fund based). This audit is done at the Post disbursement stage.
- Stock Audit – This is an annual audit of the Stocks and Receivables of Borrowers enjoying Working Capital facilities conducted by External Auditors empanelled for the purpose, based on the certain cut off levels of Loan quantum stipulated in the Credit Monitoring Policy of the Bank.
- Legal Audit – This is an Audit of the Title deeds and Loan documents in respect of all credit exposures of Rs.5.00 crores and above. All Standard, SMA, NPA a/cs falling under this category are subject to periodic legal audit, till the loan stands fully paid. Legal Audit is done to ensure the Legal validity and enforceability of the Loan Documents and the Charge created on the Securities in favour of the Bank.
- Information System Audit – This audit measures the vulnerability of Bank's Information System. This includes identification of the vulnerability of each software application, Identification of sources of threat, Identification of high risk points, Check for abuse of Hardware/Software.
- Forensic Audit –A forensic audit is used to uncover criminal behaviour such as fraud or embezzlement by examining and evaluating the Financial records to look for tax frauds, money laundering, insider trading, scams, market manipulation and other financial crimes.
- HR Audit – This is an Audit of the HR functions of the Bank which include HR Deployment, Compensation, Leave, Transfers, Promotions & Career Building, Staff Welfare schemes, Training, Disciplinary Proceedings, etc.

AUDIT PROCESS IN OUR BANK

a. Organisational set Up in our Bank:

As per RBI guidelines Audit functions of the Bank shall be independent from the Internal Control process to avoid any conflict of interest. Therefore every Bank has a separate Audit department which will not involve in the day to day operations of the Bank. The organisational set up of our Bank with regard to Audit is as below:

- The Audit Committee of the Board - ACB constituted at Apex level will oversee and provide direction to Internal audit and Inspection functions in the Bank and provide guidelines and directions in tune with Bank's Mission and Corporate Objectives
- The Audit Committee of Executives - ACE comprising of all Executive Directors and GMs of all CO departments shall oversee all audit functions and suggest improvements to ACB
- The Zonal Audit Committee of Executives - ZACE comprising of FGM/ZM, In charge of ZAO (Zonal Audit Office), all SRMs/RMs and AGM/CM of AFU (Audit Follow Up) cell of ZO will oversee all audit functions of the Zone and propose corrective steps for improvements at Branches/ROs
- The Regional Audit Committee of Executives - RACE comprising of SRM/RM, AGM/CM, In charge of ZAO and In charge of departments at RO shall attend to audit matters of branches
- The CA&ID – Central Audit & Inspection Department is the vertical for Audit functions of the branch, headed by a General Manager – HIA Head of Internal Audit. ZAO – the Zonal Audit Office with its team of Internal Auditors manages

the Internal Audit and Management Audit functions of the Bank.

- Audit Follow Up (AFU) cells are set up in Zonal Offices and Regional Offices to ensure closure of all Audit reports by the Auditees after due rectifications of the irregularities pointed out by the Auditors in various Audit Reports, within the time frames prescribed under the Audit Policy.
- Auditors in Scale II, III and IV officers with requisite competence, knowledge and experience are posted as Internal Auditors for a minimum term of 3 years.

b. Audit Allocation:

» ZAO will share the quarterly audit plan of RBIA with ZO/RO in advance. All audits will be by surprise, without prior intimation to office concerned

» The periodicity of audit varies from 3 months to 15 months based on the Risk assessment -High, Medium or Low of the branch in the previous audit. Service Support Branch (SSB) will be audited once in 6 months and CPAC once in 3 months.

» If a fraud is detected in any Branch, the Branch will be classified as High Risk, irrespective of the scores secured on different parameters in the previous RBIA

c. Audit Procedure:

» The Controlling office shall maintain updated branch profile which includes ongoing issues at branch and system generated reports. This information is shared in advance to the auditor to plan his/her audit assignment. With this background the auditor understands the overall risk profile of the branch and draws a meaningful plan to carry out effective audit

» The Internal Auditor will cross verify and collate various audit reports viz., previous RBIA report, Concurrent Audit for the Audit period, Revenue Audit, any Special Audit reports etc., for assessing the Risk of the Branch. A risk focussed audit covering all Products, Services and Processes comprehensively is done by the Auditor

» Risk evaluation is done for both Inherent Business Risk and Control Risk using the Audit Report template designed for the purpose allocating scores for various parameters

» The various parameters that are checked during the RBIA include:

→ Customer Relationship Management and Business growth in Branch

→ KYC Compliances and Operations in Deposit accounts, Lockers

→ TDS, GST matters

→ Operations in Internal accounts – Nominal, P&L, BGL

→ Off Balance sheet items

→ Deficiencies if any in Loaning Process, Credit Monitoring, Recovery process – pre-sanction, processing, sanction, post disbursement, Instances of frequent/repeated Adhoc, irregularities in Review/Renewal of borrowal a/cs, Take over a/cs, Restructured a/c

→ Deficiencies in observance of IRAC norms, PS classification, Interest rates

→ Closure of OMS alerts

→ HR matters, System Security, General Administration of Branch, maintenance of hardware, etc.

d. Upskilling of Auditors:

» CA&ID shall keep Audit department informed of all the changes in products, designs, controls, processes and the product/process manuals for evaluating risk and shall design necessary changes in audit programs

» Auditors shall be given periodic training for knowledge up dates regarding Internal Policy guidelines, Banking Operations, CBS functionalities and Technology.

e. Closure of Audit Reports:

» Auditee shall submit rectifications/point wise compliance to AFU cell of RO/ZO, with copy to ZAO within 30 days of receipt of Audit report. If the report is satisfactory it will be closed by RACE within 90 days from date of receipt. No report will be closed if not satisfactory or partly un complied.

» If any of the audit irregularities are not rectifiable, staff lapses will be examined and report will be

placed in RACE/ZACE within 90 days of audit report receipt, for closure.

» If audit report remains open beyond 120 days, warning letter shall be issued to Branch Manager, and if it remains pending beyond 180 days, the Branch will be placed under High Risk category. If such a branch is assessed as High Risk/Very high Risk as per the Audit report, then the Branch will be downgraded to Very High risk and Extremely high risk respectively. Staff accountability exercise will be initiated in such cases and adverse remark shall be entered in the staff record of concerned Branch Head/Officer

» RACE will close all audit reports of Small/Medium/ Large/Very Large branches (excluding Forex - AD branches) of Region except Special reports and Special Audit reports and ZACE will close Management audit reports of respective RO, ZSTC and Training Colleges (Bhopal/Kolkata) except special report & special audit reports

» ACE will close RBIA/RBCA of High-Risk rating branches in addition to audit reports of FFAGM, SAM, ARB, ELB, MCB, CFB, CPAC, AD branches, SSBs, specialised branches and audit reports of other offices under their direct control

QUALITIES OF A GOOD AUDITOR

LAWRENCE SAWYER who was a forerunner of the current definition of Internal Auditing emphasizes the role of an Auditor in assisting the Management and the Board in achieving the Organization's Objectives through well-reasoned audits, evaluations, and analyses of operational areas.

He encouraged the modern Internal Auditor to act as a Counselor to the Management influencing the Business positively, rather than as an Adversary criticizing all degrees of errors and mistakes. Also he recommends that quality auditing should not only report non-conformance and corrective actions but also highlight areas of good practice and provide evidence of conformance. In this way, other departments may share information and amend their working practices as a result, also enhancing continual improvement.

The Audit function of a Bank is essentially a supervisory support function. The Auditor should be well equipped with the Internal guidelines & Regulatory compliances in the working of the Bank, possess indisputable integrity, be highly vigilant, have an unbiased, objective and professional approach and keep himself abreast of the latest technologies. The Auditor will not adopt a fault-finding approach, but a constructive and positive approach. Auditor should keep his eyes and ears open so that he does not miss any important clue or information for making overall assessment of staff, Customer service, control and supervision of Branch/Office. The Auditor through his unbiased, realistic approach should provide a candid, honest and transparent report on the health of the Organisation to the Top Management besides suggesting ways to improve the System wherever warranted, thereby protecting the Organisation from its vulnerabilities to Frauds and Risks.

CONCLUSION

History is replete with instances of huge Bank frauds, Regulatory non-compliances etc. being unearthed by Internal and External Auditors. Internal Audit is a crucial tool for Banks to manage Risks, ensure Compliance and enhance the Efficiency of the Bank. Audit is a remedial/reparative tool, and the benefits of Audit are well utilised only if

a. The Auditor possesses adequate aptitude and attitude to perform the audit functions effectively and efficiently

b. Prompt action is taken by the branch/controlling office to rectify the irregularities/ shortcomings reported by the Auditor

c. The best practices adopted by branches/offices observed by the Auditors are recorded and shared with all branches/offices for the larger benefit of the Bank

References

1. Bank's Internal Audit Policy

2. Internet sources on Audits

S. Tulsi
Chief Manager
CENT NEO

कोई भी वस्तु महान का आश्रय पाकर उत्कर्ष प्राप्त करती है - हर्ष

लेखा परीक्षा

परिभाषा:

किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से संभाले जाने वाले लेखांकन के विनियामक, महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक पहलू को ऑडिटिंग के रूप में जाना जाता है.

लेखा परीक्षा की दो उदाहरणात्मक परिभाषाएँ हैं:

(i) "किसी भी इकाई की वित्तीय जानकारी की स्वतंत्र जांच, चाहे वह लाभ-उन्मुख हो या नहीं, और, उसके आकार या कानूनी रूप के बावजूद, जब ऐसी परीक्षा उस पर एक राय व्यक्त करने की दृष्टि से आयोजित की जाती है." (इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज कमेटी)

(ii) "किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किसी उद्यम के डेटा, विवरण, रिकॉर्ड, संचालन और प्रदर्शन (वित्तीय या अन्यथा) की एक व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच, लेखा परीक्षक, साक्ष्य एकत्र करता है, उसका मूल्यांकन करता है और आगे यह आधार, उसका निर्णय तैयार करता है, जिसे उसकी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया जाता है.

इस प्रकार, लेखा परीक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से लेनदेन और वित्तीय या अन्य डेटा और किसी के द्वारा तैयार किए गए बयान और उसके समर्थन में साक्ष्य या दस्तावेजों की स्वतंत्र और व्यवस्थित रूप से जांच, जांच या सत्यापन, विश्लेषण, मूल्यांकन और विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के बारे में रिपोर्ट की जाती है. किसी ऐसे विशेषज्ञ द्वारा ऐसे डेटा या बयानों का, जिसका उसकी तैयारी से कोई संबंध नहीं है, किसी तीसरे पक्ष की ओर से जिसके पास ऐसे डेटा, बयानों या खातों की जांच करने की न तो क्षमता है और न ही अवसर है. लेखा परीक्षा को "लेखा नियंत्रण" के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात, स्वतंत्र जाँच के माध्यम से लेखांकन के रचनात्मक और रिकॉर्डिंग पहलुओं पर नियंत्रण किया जाता है.

लेखा परीक्षा का दायरा:

हालाँकि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आमतौर पर बैलेंस शीट से जुड़ी होती है, लेखा परीक्षण कार्य में व्यापक आधार शामिल होते हैं और इसमें लाभ और हानि खाते या आय और व्यय खाते और खाता बही की जाँच शामिल होती है; और मूल दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रविष्टियों की जांच भी की जाएगी ताकि बिना किसी संदेह के यह स्थापित किया जा सके कि न केवल खाते अंकगणितीय रूप से सही हैं, बल्कि लेनदेन भी विधिवत अधिकृत हैं और गतिविधियों की सामान्य प्रकृति के अनुरूप हैं.

लेखा परीक्षा एक लेखा परीक्षक को वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने और उसकी विश्वसनीयता स्थापित करने में सक्षम बनाता है. कभी-कभी लेखा परीक्षा को किसी कंपनी के प्रॉस्पेक्टस या वैधानिक रिपोर्ट, समाचार पत्र के शुद्ध प्रसार, उत्पादन खाते, लागत खातों आदि से संबंधित विशेष वित्तीय या सांख्यिकीय विवरणों तक सीमित किया जा सकता है.

लेखा परीक्षा का क्षेत्र वित्तीय रिकॉर्ड और विवरणों से आगे बढ़ गया है और अब इसमें लागत अभिलेख, संचालन, प्रदर्शन, औचित्य, सामाजिक और पर्यावरणीय निहितार्थ आदि शामिल हैं.

लेखा परीक्षा का विकास :

लेखांकन की एक उपयोगी और विशिष्ट शाखा के रूप में लेखापरीक्षा का विकास निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरा है:

(क) प्राचीन उत्पत्ति:

व्युत्पत्ति के अनुसार, 'ऑडिट' शब्द लैटिन शब्द 'ऑडायर' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'सुनना'. प्राचीन समय में हिसाब-किताब तैयार करने वाले लोग प्रविष्टियों और बयानों को सत्यापनकर्ता या लेखा परीक्षक पढ़ते थे, जो सही पाए जाने पर पाठक की बात सुनकर उन्हें पारित कर देते थे. तब से वित्तीय विवरण या लेखांकन अभिलेख के किसी भी स्वतंत्र सत्यापन को 'ऑडिटिंग' के रूप में जाना जाने लगा है.

(ख) संगठन के संयुक्त स्टॉक रूप का प्रभाव:

व्यावसायिक उद्यम का संयुक्त स्टॉक रूप लेखा परीक्षा की अभूतपूर्व वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा है. प्रबंधन से पूंजी के पृथक्करण और किसी कंपनी के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों और अधिकारियों जैसे सीमित संख्या में व्यक्तियों पर शेयरधारकों की निर्भरता ने शेयरधारकों की ओर से खातों के स्वतंत्र सत्यापन के लिए कुछ मशीनरी की मांग की.

इस उद्देश्य के लिए आवश्यक ऑडिट को कंपनी, बैंकिंग और बीमा कानूनों के तहत सभी कंपनियों के संबंध में और आयकर अधिनियम के तहत कुछ निर्धारित रीतियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है. इसी तरह के विचार बड़े साझेदारी वाले व्यवसायों और एकमात्र व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होते हैं, जिनका प्रबंधन वेतनभोगी कर्मचारियों या एजेंटों को सौंपा जाना चाहिए.

(ग) अन्य कारक:

लेखा परीक्षण किए गए खाते विभिन्न कराधान अधिकारियों को प्रस्तुत करने, भागीदारों के बीच विवादों से बचने, ऋण या क्रेडिट की बातचीत और व्यवसाय की बिक्री या खरीद और बीमा दावों के संबंध में भी उपयोगी पाए जाते हैं. इसके अलावा, सरकारी संरक्षण प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित बयानों की आवश्यकता होती है, जैसे आयात और निर्यात लाइसेंस आदि.

इसके अलावा, "आजकल के उद्यमों के बढ़ते आकार और परिष्कार के परिणामस्वरूप उनकी गतिविधियों और कार्यों का विकेंद्रीकरण हुआ है. इससे दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से उद्यमों के शीर्ष प्रबंधन की दूरदर्शिता बढ़ गई है.

इस प्रकार, लेखा परीक्षा को अब लगभग सार्वभौमिक रूप से उन लोगों के मन में वित्तीय मामलों के संबंध में विश्वास पैदा करने के लिए एक विश्वसनीय मशीनरी के रूप में स्वीकार किया जाता है जो किसी व्यवसाय की पूंजी के रूप में अपने धन का निवेश करते हैं और उन लोगों के मन में भी जो किसी विशेष संगठन के साथ लेनदेन या रुचि रखते हैं.

लेखा परीक्षा की तकनीकें:

दस बुनियादी लेखा परीक्षा तकनीकें हैं (जैसा कि प्रो. मौट्ज़ द्वारा सूचीबद्ध किया गया है):

(1) शारीरिक परीक्षण और गिनती:

वास्तव में हाथ में, पारगमन में, या खेप पर मौजूद सभी भौतिक वस्तुएं जो खाते की पुस्तकों में दर्शाई गई हैं, उनकी वास्तव में व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा जांच की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वास्तव में किसी निश्चित तिथि पर मौजूद हैं.

(2) पुष्टि:

प्रेषित माल या सार्वजनिक गोदामों में रखी गई वस्तुओं के अस्तित्व और स्वामित्व की पुष्टि कंसाइनर्स या गोदाम मालिकों के साथ संचार करके की जा सकती है. इसी प्रकार किसी भी लेन-देन की प्रामाणिकता, वैधता और सटीकता बैंकों और अन्य लेनदारों से प्राप्त पुष्टियों और निदेशक मंडल के कार्यवृत्त के माध्यम से स्थापित की जा सकती है.

(3) आधिकारिक दस्तावेजों की जांच और अभिलेखों से तुलना:

प्राधिकारी व्यक्तियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेज़, जैसे बिक्री चालान, इन्वेंट्री सूचियाँ, आदि को अनुमोदित मूल्य सूचियों और मूल्य विस्तार के लिए खरीद चालान के साथ जांचा जा सकता है और प्रविष्टियों, पोस्टिंग और संतुलन के संबंध में लेनदेन की प्रामाणिकता प्राप्त करने के लिए लेखांकन रिकॉर्ड के साथ तुलना की जा सकती है. . इसे 'वाउचिंग' के नाम से जाना जाता है.

(4) पुन: गणना:

खातों के अंकगणितीय रूप से गणना किए गए शेष को उनकी अंकगणितीय सटीकता के रूप में पुन: गणना द्वारा और चुने गए प्रासंगिक कारक के संबंध में सत्यापित किया जाता है. उदाहरण के लिए, लागत कारकों (जैसे, फीफो, एलआईएफओ, औसत) के प्रवाह के बारे में कई धारणाओं में से किसी एक के तहत पुन: गणना द्वारा इन्वेंट्री मूल्यों की जांच की जा सकती है.

(5) बही-खाता रखने की प्रक्रियाओं का पुन: पता लगाना:

विभिन्न लेखांकन प्रविष्टियों या खाता शेष की वास्तविकता और स्थिरता को स्रोत बही-खाता अभिलेखों का पता लगाकर सत्यापन की प्रक्रिया के अधीन किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, बैलेंस शीट में समापन शेष को आगामी अवधि के बहीखाते में वापस रख दिया जाता है.

(6) स्कैनिंग:

इसमें किसी भी लेनदेन, घटना, अभिलेख या साक्ष्य की महत्वपूर्ण जांच शामिल है. उदाहरण के लिए, एक बिक्री बहीखाता को तब स्कैन किया जाता है जब उसके सभी पोस्टिंग विवरण नोट किए जाते हैं और फिर विशिष्ट विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए गंभीर रूप से मूल्यांकन किया जाता है.

(7) पूछताछ:

यह एक प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की एक तकनीक है.

(8) सहायक अभिलेखों की जांच:

अभिलेखों की जांच के माध्यम से प्राप्त विश्वसनीयता जैसे: विक्रेता चालान, सामग्री मुद्दे की आवश्यकताएं, शिपिंग रिकॉर्ड इत्यादि, इन्वेंट्री खाते का समर्थन कर सकते हैं.

(9) संबंधित जानकारी के साथ सह-संबंध:

यह विश्लेषणात्मक समीक्षा के समान है. सह-संबंध विधि का उपयोग लेखा परीक्षक को यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि एक उचित इन्वेंट्री कट-ऑफ बनाया गया है. इसी प्रकार वर्तमान अवधि और/या पूर्व अवधि के लिए बिक्री, उत्पादन, शिपमेंट और खरीद के संबंध में इन्वेंट्री संतुलन की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा अच्छी लेखा परीक्षा तकनीक प्रदान करती है.

(10) प्रासंगिक गतिविधियों और स्थितियों का अवलोकन:

आम तौर पर वर्ष के अंत में, ग्राहक द्वारा इन्वेंट्री मात्रा की गणना की जाती है. इन मात्राओं की सटीकता और वैधता लेखा परीक्षक द्वारा इस प्रासंगिक गतिविधि के अवलोकन से प्राप्त की जा सकती है.

लेखा परीक्षण की प्रमुख प्रक्रियाएँ:

निम्नलिखित को प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के रूप में उद्धृत किया जा सकता है:

(1) इन्वेंट्री, खरीद, पेरोल, बिक्री चालान तैयार करना, स्टॉक मूल्यांकन, मूल्यह्रास लेखांकन और विश्लेषण, चालान की रूटिंग आदि से संबंधित आंतरिक लेखा नियंत्रण की समीक्षा, परीक्षण और मूल्यांकन करना.

(2) नकदी, स्टॉक, निवेश, संयंत्र और उपकरण, फर्नीचर से संबंधित विभिन्न परिसंपत्तियों का निरीक्षण, गिनती और गणना करना और यह निर्धारित करना कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लागत या बाजार मूल्य से कम पर इन्वेंट्री की उचित गणना की जाती है और देनदारों और लेनदारों के शेष आदि की वैधता के संबंध में पुष्टि प्राप्त करना.

(3) सटीकता का प्रमाण प्राप्त करना:

अंतिम सूची की एक प्रति प्राप्त की जा सकती है और इसकी लिपिकीय सटीकता की जाँच और परीक्षण किया जा सकता है; कर्मचारियों की कमाई के अभिलेख प्राप्त करना और नियुक्ति-सह-वृद्धि पत्रों की मूल प्रतियों के साथ सटीकता के लिए इसकी जांच करना.

(4) सामंजस्य, तुलना और पुष्टि करना:

बिक्री चालान का मिलान ग्राहकों के कुल शुल्क से किया जा सकता है. लागत खातों के रिकॉर्ड और वित्तीय खातों की पुस्तकों के बीच सामंजस्य एक उदाहरण है. बैंक समाधान विवरण पुष्टि का एक अच्छा उपाय प्रदान करता है.

(5) किसी भी अतिरिक्त, धीमी गति से चलने वाली, अप्रचलित या बिक्री न होने योग्य वस्तु-सूची के बारे में अवलोकन और पूछताछ.

(6) भौतिक स्टॉक लेने से पहले और बाद में सभी पूर्व-क्रमांकित इन्वेंट्री टैग का लेखांकन.

(7) लेखा परीक्षण प्रथाओं और प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में, परिसंपत्तियों के स्वामित्व और परिसंपत्तियों और देनदारियों के अस्तित्व से संबंधित साक्ष्यों का सत्यापन, लेखा परीक्षक का प्रमुख कर्तव्य है, इससे पहले कि वह प्रमाणित करे कि परिसंपत्तियां और देनदारियां शेष में दिखाई देती हैं शीट व्यवसाय के मामलों की स्थिति का 'सच्चा और निष्पक्ष दृश्य' प्रदर्शित करती है.

लेखा परीक्षा के फायदे:

लेखा परीक्षण के विकास के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों और लेखा परीक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करते समय लेखा परीक्षा से प्राप्त होने वाले मुख्य लाभों का संकेत दिया गया है.

अब उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(1) खातों और वित्तीय विवरणों की पुष्टि स्वतंत्र सत्यापन द्वारा की जाती है और इस प्रकार किसी भी व्यावसायिक संगठन या निकाय के परिणामों और वित्तीय स्थिति की शुद्धता उसमें रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि के लिए सुनिश्चित की जाती है.

(2) लेखा परीक्षा के दबाव के कारण खातों को अद्यतन बनाए रखा जाता है, खासकर जब लेखा परीक्षा की निरंतर प्रक्रिया चल रही हो.

(3) लेखा परीक्षा त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाकर उन्हें सुधारने में मदद करता है. यह लेखांकन विधियों के साथ-साथ सामान्य आंतरिक प्रशासन में दोषों और कमजोरियों, यदि कोई हो, को भी प्रकट करता है ताकि भविष्य के लिए उपयुक्त एहतियाती और निवारक उपाय अपनाए जा सकें.

(4) अंकेक्षित खातों और विवरणों पर भरोसा किया जाता है या विभिन्न विशेष उद्देश्यों के लिए अपरिहार्य हैं, जैसे दावों की प्राप्ति, कर निर्धारण, पूंजी जुटाना या उधार लेना, शेयरों का मूल्यांकन, खातों का समायोजन या भागीदारों के बीच विवादों का निपटान, खरीद या बिक्री व्यापार, आयात और निर्यात नियंत्रण और अन्य सरकारी नियमों का अनुपालन.

उपरोक्त विचार व्यावसायिक संस्थाओं के साथ-साथ गैर-व्यापारिक संगठनों पर भी समान रूप से लागू होते हैं. दूसरे शब्दों में, जहां भी वित्तीय लेनदेन शामिल होते हैं और वे कुछ परिचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से होते हैं, लेखा परीक्षा से उपरोक्त लाभ मिलते हैं. हालाँकि, एक मायने में, चिंताओं के दूसरे समूह के मामले में लेखा परीक्षा अधिक उपयोगी और आवश्यक है.

धर्मार्थ, धार्मिक, शैक्षिक, पेशेवर और अन्य गैर-लाभकारी-अर्जक और गैर-व्यापारिक निकाय बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सदस्यता, दान और अनुदान से अपना धन जुटाते हैं, और सार्वजनिक लाभ के लिए ऐसे धन का उपयोग करते हैं. विभिन्न उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक और निजी ट्रस्टों का मामला भी ऐसा ही है.

यदि सार्वजनिक धन और सार्वजनिक हित शामिल हैं और ट्रस्ट फंड कुछ निष्पादकों और/या प्रशासकों के हाथों में निहित हैं, तो धन के दुरुपयोग या हेराफेरी का पता लगाने और जांच करने की दृष्टि से संबंधित खातों का लेखा परीक्षा कराना अधिक फायदेमंद है.

अनिल कुमार चौपड़ा
मुख्य प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

ख़त

आज गांव से एक खत आया, कागज़ में समेट,
मिट्टी की खुशबू, बचपन की यादें, और स्याही में लपेट,
मां के साथ आंसू भी लाया.

लिखा था, कब आओगे? जब जाओ तो अकेले मत आना,
बहू और बच्चों को भी साथ लाना.

मेरी तन्हाई के सन्नाटों से ये दीवारें रो सी रही हैं,
वर्षों से तुम्हारे इंतज़ार में,

वो नीम की दरखत, वो उसपे पड़ी बेल, सो सी रही हैं

तुम आओ, तो इन मुर्दा दीवारों में शायद जान आ जाये!

अब वो तस्वीरों पर पड़ी धूल भी मुझे तेवर दिखाती है,
इन बूढ़े हाथों में, ज़ोर न देख, इतराती है.

तुम आओ, और इनको फटकार लगा कर जाओ,
ताकि वो वीरान सी रसोई भी जान उठे

कि मुझसे रूठकर उसने अच्छा नहीं किया, आओ, और बता दो
उसे, कि मेरे आगे तुम हो, मुझे अकेला देख,
अपना ज़ोर न दिखाए!

सुनो,

तुम आओ, तो एक कुर्सी भी लेते आना, कि मेरी कुर्सी की उम्र
मेरे हौसलों से कुछ अधिक हो गयी है!

तुम जल्दी आना! तुम बस जल्दी आना!

वो ख़त पढ़कर, जो सीने में चीस उठी, तो ये एहसास हुआ,

कि मां की लोरी, उनकी डांट, कितनी दूर छोड़ आयी हूं मैं..

चंद पैसे कमाने जो निकली, तो मेरी मां के कुछ ख्वाब,
और उसको, अकेला छोड़ आयी हूं मैं!

सुश्री साक्षी मुवाल
सहायक प्रबंधक
शाखा- सेक्टर 37, चन्डीगढ़

पराजय, अपयश, कुटिल आचरण और द्वेष हमारे पास कभी न आएं - अथर्व वेद

हिंदी और भाषायी विविधता

भारतीय संस्कृति विविधताओं से पूर्ण है यहां विभिन्न भाषा भाषी समुदायों, विभिन्न धर्मों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं. यही भारत की विश्व भर में पहचान है. हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है कोस कोस पर बदले पानी, आठ कोस पर वाणी यह दर्शाता है कि भारतीय भाषाओं में कितनी विविधता है. भाषायी विविधता ही किसी संस्कृति को समृद्ध बनाती है. अगर हम हजारों वर्ष पूर्व की बात करें तो एक समय ऐसा भी था जब कोई भाषा ही नहीं थी, फिर एक समय ऐसा आया जहां भाषाओं का विकास प्रारंभ हुआ. शुरूआत में सांकेतिक भाषा, फिर चित्रों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति शुरू की गई. वर्तमान समय में हम जितना उत्साहित एक्शन फिल्मों या रोमांटिक फिल्मों के लिए रहते हैं शायद वही उत्साह उस समय में बनाई गईं गुफाओं में बने चित्रों का रहा होगा. परंतु हमारे इतिहास के विकास का कारण भी भाषा ही रही होगी, क्योंकि भाषा ने ही रसों, भावों और तथ्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक घटित घटनाओं को संप्रेषित किया होगा. वर्तमान में जितने भी बडे संस्थान हैं उन सभी के मोटो आज भी देवनागरी लिपि में लिखे जाते है. चाहे वह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी हो या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो. यह भाषा की अभिव्यक्ति को दर्शाता है कि हमारी भाषा कितनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बनाई गईं हैं. श्रीलंका एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकता है जहां भाषायी विविधता को महत्व न दे कर श्रीलंका को कितनी विकट समस्याओं का सामना करना पडा है. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने भी भारत का वर्णन करने के लिए 'अनेकता में एकता, भारत की विशेषता' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे यह परिलक्षित होता है कि हमारी विविधता हमारे लिए सदैव प्रिय रही है. भारत में न केवल भाषिक विविधता अपितु धार्मिक, सांस्कृतिक तथा विविध प्रकार की विविधता है. परंतु संपर्क भाषा सदैव हिंदी ही रही है. आज आप भारत के किसी भी कोने में हों आप पायेंगें कि सभी क्षेत्रीय भाषा भाषी हिंदी को बड़ी सहजता से संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाते हैं. हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने में हिंदी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दिया हुआ बहुत बड़ा योगदान है. भारत में दूसरी भाषाओं के प्रति कितना सम्मान है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत की संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखने वाले श्री एन गोपालस्वामी अयंगर जी थे. जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी. हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सर्वाधिक समर्थन हिंदीतर भाषियों का ही था, क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति रूपी माला का वो धागा है जो सभी मोती रूपी भाषाओं को एक साथ पिरोये हुए है. इस वर्ष हुए जी - 20 शिखर में विश्व भर ने "वसुधैव कुटुम्बकम्" के वास्तविक अर्थ को समझा जहां विश्व भर में प्रचलित सभी भाषाओं को जी -20 की आधिकारिक बेवसाइट पर स्थान मिला. इस वर्ष हमारे बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ. जो हमारे बैंक की प्रगति में पुन: राजभाषा का योगदान है. चूंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है इसीलिए मुझे हिंदी से विशेष लगाव है. और केवल इसलिए कि मुझे लगाव है हिंदी अच्छी भाषा है ऐसा मैं नहीं कहता परंतु जितने भी भाषायी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है सभी के अनुसार चाहे वह ध्वनि के आधार पर हो यो अन्य किसी आधार पर हिंदी अपेक्षाकृत ज्यादा वैज्ञानिक है. यह कहना गलत न होगा की हिंदी आत्मा की भाषा है, और हिंदी में आत्माभिव्यक्ति बड़े ही सहजता के साथ संभव है. विश्व की सभी भाषाएं सुंदर है, परंतु जो प्रेम मुझे मेरी मातृभाषा से है. उसका स्थान अन्य कोई भाषा नहीं ले सकती. अंत में आप सभी को हिंदी दिवस की हृदयंगम शुभकामनाएं.

श्री कृष्णदेव यादव
मुख्य प्रबंधक - प्रशासन
सेंट नियो, केन्द्रीय कार्यालय

हिन्दी में प्रवीणता

यदि किसी कर्मचारी ने-

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है.

दि. 05.08.2023 को हमारे बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला की 142वीं जन्म जयंती के अवसर पर केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित समारोह मे माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी.राव, कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही, श्री एम वी मुरली कृष्णा एवं मुख्य अतिथि के रुप में सर सोराबजी पोचखानवाला की पौत्री डॉ पीलु हकीम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण.

दि. 15.08.2023 को केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह.

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा कोटा,जयपुर एवं ठाणे क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा संबंधी सफल निरीक्षण किया गया. निरीक्षण की कुछ झलकियां

माननीय सांसदों का स्वागत करती हुई महाप्रबंधक राजभाषा, सुश्री पॉपी शर्मा.

क्षेत्रीय कार्यालय ठाणे का निरीक्षण करते हुए माननीय सांसदगण.

निरीक्षण के पश्चात प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए माननीय सांसदगण.

निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय ठाणे द्वारा तैयार हिंदी पोस्टर का विमोचन करते हुए माननीय सांसदगण.

निरीक्षण करते हुए माननीय सांसदगण.

निरीक्षण के पश्चात क्षेत्रीय प्रमुख कोटा को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए माननीय सांसदगण.

निरीक्षण के पश्चात क्षेत्रीय प्रमुख जयपुर को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए माननीय सांसदगण.

निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय कोटा एवं जयपुर द्वारा तैयार हिंदी पोस्टर का विमोचन करते हुए माननीय सांसदगण.

दिनांक 16 अगस्त, 2023 को श्री एम वी. राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता मे हैदराबाद में टाउनहॉल बैठक का आयोजन.

दिनांक 31 अगस्त 2023 को माननीय कार्यपालक निदेशक महोदय श्री विवेक वाही जी के गुवाहाटी की अध्यक्षता में टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में श्री राजेश वर्मा, अंचल प्रमुख और अंचल के स्टाफ सदस्यगण उपस्थित थे.

क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद में कार्यपालक निदेशक श्री एम वी मुरली कृष्णा की अध्यक्षता में टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया गया.

दिनांक 18.07.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा आयोजित 'साइबर क्राइम और सुरक्षा' विषय पर श्री प्रेमवीर सिंह, पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद ने अपना व्याख्यान दिया. इस अवसर पर अंचल प्रमुख श्रीमती कविता ठाकुर एवं क्षेत्रीय प्रमुख, अहमदाबाद डॉ. हिमांशु गुप्ता.

दिनांक 14.07.2023 को हमारे आंचलिक कार्यालय भोपाल में की मार्केटिंग टीम की पहल पर महेन्द्रा कंपनी द्वारा इलैक्ट्रिक एसयूवी का अनावरण अंचल प्रमुख माननीय श्री तरसेम सिंह जीरा एवं क्षेत्रीय प्रमुख श्री बी. आर. रामाकृष्णा नायक करते हुए.

दिनांक 11 सितंबर, 2023 को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त कार्मिक संघ की पहल पर आंचलिक कार्यालय भोपाल द्वारा शारीरिक जांच शिविर में अंचल प्रमुख श्री टी एस जीरा दृष्टव्य हैं

दिनांक 23 अगस्त, 2023 को आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 23/08/2023 से दिनांक 30/09/2023 तक चलाये गये. 'ईच वन फेच वन ईच वन' विशेष संयुक्त अभियान - का उदघाटन करते हुए अंचल प्रमुख श्री शीशराम तुन्दवाल.

चंडीगढ़ अंचल प्रमुख श्री शीशराम तुन्दवाल को बैंकएश्योरेस में अंचल के अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए टाटा एआईए द्वारा सम्मानित किया गया.

चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इटरप्राइसेस द्वारा 09 जुलाई 2023 को आयोजित सेमिनार में बैंक के योगदान के लिए दिल्ली अंचल प्रमुख श्री जे एस साहनी, को मोमेन्टों प्रदान करते हुए चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इटरप्राइसेस के प्रेसिडेंट श्री मुकेश मोहन गुप्ता.

दिनांक 14.08.2023 को हैदराबाद में विभाजन एवं विभीषिका दिवस-2023 के अवसर पर वरिष्ठतम सेन्ट्रलाइट साथियों एवं ग्राहकों को सम्मानित किया गया।

दिनांक 08.08.2023 को आंचलिक कार्यालय, लखनऊ में क्षेत्रीय प्रबंधकों की समीक्षा बैठक में श्री ए.के. खन्ना, अंचल प्रमुख, कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख श्री मनोज श्रीवास्तव को पुरस्कृत करते हुए.

सेवानिवृत्ति

सेवानिवृत्ति उपरांत सुखद एवं दीर्घायु जीवन हेतु मंगलकामनाएं...!!

श्री के एस एन वी सुब्बाराव,
महाप्रबंधक

श्री एस एस राव,
महाप्रबंधक

श्री आनंद कुमार,
उप महाप्रबंधक

श्री प्रवीण रॉय,
उप महाप्रबंधक

श्री आर के मीणा,
उप महाप्रबंधक

श्री अजय टंडन,
उप महाप्रबंधक

श्री हर लाल मीना,
उप महाप्रबंधक

श्री प्रदीप कदम,
उप महाप्रबंधक

श्री संदीप्त पटेल,
उप महाप्रबंधक

श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा
उप महाप्रबंधक

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	''क'' क्षेत्र	''ख'' क्षेत्र	''ग'' क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. 'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 100% 2. 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 100% 3. 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 65% 4. 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 100%	1. 'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 90% 2. 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 90% 3. 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55% 4. 'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 90%	1. 'ग' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 55% 2. 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 55% 3. 'ग' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55% 4. 'ग' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	50%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों	40%	30%	20%
		(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, ''क'' क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, ''ख'' क्षेत्र में 25% और ''ग'' क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए		

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लाभ

Tax Redemption

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 80C में 1.5 लाख तक की छूट

Flexible deposits

न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष

GIVE US A MISSED CALL FOR DEPOSIT ASSISTANCE 922 350 2222

CONNECT US ON WHATSAPP AT 998 097 1256

*Terms & Conditions apply

www.centralbankofindia.co.in